

बोर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

17 = -

काल नू.

250. ५ ॥

खण्ड

१०४

## मरणसोन्दियांगंज, देह

लेखक—

पं० परमेश्वरदास जैन न्यायालीं—सूत्र।

प्रकाशक—

तिथि सूलखन् जैन मुलीम ललितपुर (बाटी)

तथा

वा० साकेरचन् मगनलाल सरेया—सूत्र।

[ल० इयह मौर्खिलाड गी जैन बेच ललितपुर और ल०  
वा० मगनलाल चतुर्थ दशी सरेया मुलीम सूत्रिये  
“लेखिए” और “वीर” के बाहरीपो भेद।]

प्रकाशक  
३०००

वीर सं० २५५५.  
विषय सं० ११११.

## विषय सूची ।

---

१—मरण भोजकी उत्पत्ति	..	१
२—मरणभोजकी भयंकरता	..	६
३—शास्त्रीय शुद्धि	..	९
४—शंख समाधान .....	....	१२
५—समदत्ति और कान ..	....	२३
६—मरणभोज निषेधक कानून	....	२७
७—मरणभोज विरोधी आःदोकन	....	३१
८—मरणभोजके प्रातीय रिवाज	..	४३
९—करुणाजनक सच्ची घटनायें	..	५६
१०—मुपसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिप्राय	..	६८
११—मरणभोज कैसे हुके ?		८५
१२—कविता संग्रह	....	९२

—२० जनरिंजन '२- डिमिट्रा व्रेस, ख्याटिश अकला-सूरतमे  
मूल बन्द किसनद स कापड़ियने मुद्रित किया ।

# गुरु आभार ।

मैंने अपने पूज्य पिताजी श्री० सिंघई मौजीलालजीके स्वर्गवास होनेपर मरणमोज नहीं किया, कारण कि मैं मरणमोजको धर्म एवं समाजका धातक एक भयंकर वाप समझता हूँ । किन्तु मैंने यह निदेश किया था कि पिताजीके स्मरणार्थ एक ऐसी पुस्तक लिखी जाय जो 'मरणमोज' के विशेषमें अच्छा आनंदोक्तन कर सके । इसके लिये मैंने तथा मेरे पूज्य बड़े भाई सिंघई मूलचंदजीने १००) के दानका संकल्प किया था । उसमेंसे २०) के रजत चित्र (मगवान पार्वतनाथस्वामी और भ० महावीर स्वामीके ) ललितपुर और महरौनीके मंदिरोंमें विराजमान किये थे । ८०) इस पुस्तकमें लगा दिये हैं । इसके अतिरिक्त ३५) के मूल्यकी ४० प्रतिया चारुदत्त चरित्रकी भी वितरण की हैं ।

हमारे मित्र श्री० साकेरचन्द मगनलाल सरैया-सूतने भी अपने स्व० पिता श्री० मगनलाल उत्तरचन्द सरैयाके स्मरणार्थ इसमें ८०) प्रदान किये हैं । और हमारे मित्र प० मंगलप्रसादजी शास्त्री ललितपुरने भी अपनी स्व० भावी (धर्मपत्नी सिं० रामप्रसादजी) के स्मरणार्थ २५) प्रदान किये हैं । इस प्रकार यह पुस्तक प्रगट होकर 'जैनमित्र' और 'बीर' के ग्राहकोंको मेट दीजारही है । इसलिये मैं अपने आर्थिक सहयोग देनेवाले इन मित्रोंका आभास हूँ ।

(γ)

साथ ही मैं उन सभी सज्जनोंका भी आभारी हूँ जिनने इस पुस्तकके लिये सच्ची घटनायें तथा अपनी सम्मतियां और कवितायें आदि मेज़बार मेरे इस कार्यमें सहयोग दिया है।

इस पुस्तक के विवेकी एवं उत्साही पाठकों से मेरा साम्राज्य निवेदन है कि आप इसे पढ़कर जनतामें 'मरणमोज' विरोधी विचारों को फैलायें और ऐसा प्रयत्न करें जिससे शोड़े ही समयमें इस भयंकर प्रथाका नाश होजाय। मरणमोज भी प्रथा जैन समाजका एक कलंक है। जो भाई बहिन इस पुस्तक की सहायता लेकर इस कलंकको मिटानेका प्रयत्न करेंगे उनका भी मैं आमारी होऊंगा।

चन्द्रावाडी-सूरत } निवेदकः—  
ता० १९-१२-३७. } परमेष्ठीदास जैन न्यायतीर्थ ।



\* \* \* \* \*  
 परिचय ।  
 \* \* \* \* \*

( १ )

स्वर्गीय श्रीमान् सिंघई मौजीलालजी जैन वैद्य-  
 का जन्म यू० पी० के झाँसी ज़िलान्तर्गत महरौनी नगरपाली आधिकार  
 विक्रम संवत् १९३५ में हुआ था । आपके पिताजीका नाम श्री०  
 सिंघई दयाचंद्रजी था ।

आपके तीन पुत्र हुए । अपने लघु पुत्र पं० परमेष्ठीदासजीके  
 जहन, प्रतिभा, उत्साह और कर्मठतासे उन्होंने इस जात्युत्थान और  
 धर्म प्रभावनाकी खातिर मर-मिट-जाने-के-अरमान-बालेको पहिचान  
 लिया । तुनांचे, अपने बड़े लड़कोंकी मुलाजमत लक्षितपुरपें होनेके  
 कारण जब ये महरौनीसे लक्षितपुर सकुटुम्ब तशरीफ ले आए,  
 और वहां व्यापारिक असफलतासे उत्पन्न आर्थिक सङ्कटके बाबजूद  
 हर हालतमें परमेष्ठीदासजीको पढ़ाना जारी रखा, जिसका मुवारिक  
 नतीजा यह निकला कि आज जैन कौम अपने इस फरजन्द पर  
 नाज करती है । जैन समाजके इस Whip ने हमेशा धर्मके दायरेमें  
 सहकर प्रेस और प्लेटफार्मसे समयोचित क्रांतिके नारे बुलन्द किये ।  
 जिनवाणी माताके दामनको “ चर्चासागर ” जैसी नापाकीज़र्गीसे  
 पङ्किल होनेसे बचानेमें, ‘दस्साओंको पूजाविकार’ दिलानेमें, जैनगम—  
 सम्पत्त ‘विजातीय—विवाह’ का प्रोपेगेण्डा करनेमें, ‘जैनधर्मकी  
 उदारता’ का दिग्दर्शन करानेमें, उन्होंने जिस शक्तिरस् संलग्नताके  
 साथ काम किया है उसे क्या कभी सहवाय—विचारक जैन समाज  
 मूल सकेगी ?

पर इन पं० परमेष्ठीदासजीमें वर्ष—सेवाकी यह किपट फूँकने-वाले थे महसैनीके सुविस्थात सिंघई वंशके चमड़ते हुए सिरारे श्री० मौजीलालजी उर्फ “ दाऊजू ” ही । आपकी आत्मा वर्ष-भावनाओंसे निरन्तर सरशार रहती, प्रतिदिन दर्शन, स्वाध्यायादि वर्ष कार्य करते । खुद समाज-सुधारक तो थे ही । वे अपने लघु पुत्र पं० परमेष्ठीदासजीके तमाम आन्दोलनों, विचारों, लेकचरों, लेखों वगैरह प्रवृत्तियोंसे न सिर्फ सहमत रहते बल्कि प्रोत्साहन भी देते रहते ।

परोपकारी सिंघईजी सफल वैद्य थे । औषधियों बनाते और सत्पात्रोंको मुफ्त तकसीम करते । ज़िदगीके आखिरी रोज़ भी एक मरीज़को देखने गये, औषधि देकर लौटे, और उसी दिन आश्विन बढ़ी १३ विं सं० १९९३ ( ता० १५-१०-३६ ) की रात्रिको निराकुलतापूर्वक स्वर्गवासी होगये ।

संवत् १९८८ में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री० वंशीबरजीका मात्र ३२ वर्षकी आयुमें स्वर्गवास होगया । लेकिन आपने साहसपूर्वक उनका “ मरणभोज ” करनेसे साफ इन्कार कर दिया ।

आपके द्वितीय पुत्र सिं० मूलचन्द्रजी जन लितपुरकी एक सुप्रसिद्ध पेड़ीपर कार्य करते हैं । और उपरुपुत्र श्री० पं० परमेष्ठी-दासजी न्यायतीर्थ सूरतमें जैनमित्र कार्यालयके मैनेजर हैं । और “ बीर ” का संपादन भी करते हैं ।

सन्तोषकी बात है कि सिंघईजीका ‘मरणभोज’ न करके उनके स्मरणार्थ यह पुस्तक प्रगट की जारही है । मेरी भावना है कि यह किताब सहदय बीरोंके हृदयमें “मरणभोज” की वर्चर प्रथाके लियाक

( ७ )

जोशकी ऐसी जबाड़ा भइकाये जो रुद्धिमस्तों और दक्षिणामूर्तों के बुशाये न बुझे ।

( २ )

स्वर्गीय श्री० मगनलाल उत्तमचन्द्रजी सरैयाका जन्म सूरतमें विक्रम सं० १९४८ में हुआ था । आप नृसिंहपुरा दि० जैन थे । आपने गुजरातीका सामान्य ज्ञान प्राप्त करके सरैया ( गंधीगिरी ) का व्यवसाय शुरू किया । और उसमें अच्छी कामियाबी हासिल की । आपको पुस्तकें लिखने और स्वाध्याय करनेका बड़ा शौक था । आपका स्वर्गवास मार्गशीर्ष शुक्ला १० सं० १९७४ में असमयमें ही होगया था ।

आपके दो पुत्रिया और एक पुत्र हुआ । उनमेंसे बर्तमानमें पुत्र श्री० साकेचन्द्र मगनलाल सरैया हैं, जो अत्यन्त उत्साही, व्यवसायी युवक हैं । आपने देशसेवा करते हुए जेलयात्रा भी की है । एक सच्चे सुधारकके मानिन्द आपने अपना अन्तर्जातीय ( दि० जैन मेवाडा जातिमें) विवाह किया है । आपने अपने पिताजीके स्मरणार्थ इस पुस्तकके प्रकाशनमें (८०) प्रदान किये हैं ।

( ३ )

श्री० पं० मंगलप्रसादजी जैन शास्त्री ललितपुर सुधारक युवक विद्वान है । आपके डे माई श्री० रामप्रसादजी सिंघईकी धर्मपत्नीका कुछ ही समय पूर्व असमयमें ही स्वर्गवास हो गया है । आपने उनका मरणभोज नहीं किया और इम उपयोगी पुस्तकके प्रकाशनार्थ (२५) प्रदान किये हैं । निवेदक—

नारायणप्रसाद जैन B. Sc.

## समर्पण !

श्रृङ्ख पिताजी !

आपके स्वर्गवासके बाद “मरणभोज” और सुख पर रुद्धिबाद और पाखण्डोंकी विशाल सेनाने मुक्ष पर भयंकर आक्रमण किया। किन्तु आपके जात्युत्थान एवं समाजसुधारके आइशॉंसे ओत-प्रोत यह सिपाही इस ‘महानाश’ के आगे तिलभर भी झुकनेवाला नहीं था। और अन्तमे यही हुआ भी। यह पुस्तकनिर्माण भी उसीका शुभ फल है।

पर मूलरूपमे आप ही तो इसके प्रेरक हैं, अतः यह तुच्छ कृति आपकी इमृति स्वरूप आपको ही सादर तथा अद्वापूर्वक समर्पित है।

—परमेष्ठी ।



स्व० सिंघई मौजीलालजी जैन वैद्य ललितपुर ।

जन्म-सं १०२६  
आश्रित ।

स्वर्गवास-सं १९९३  
आश्रित ।

“जैनविजय” प्रेष-सूत ।

श्रीबीतरागाय नमः ।

## मरणभोज ।

जैनागमविषद्वोयं मृत्युभोजो निवार्यताम् ।  
लूटिरेषोऽतिधोराऽस्ति दशमप्राणनाशिनी ॥ १ ॥  
गृहहीनाः महाक्षेत्राः असरुया विधवा यथा ।  
सजाता. स महाब्याधिं शीघ्रमेवापस्थार्यताम् ॥ २ ॥  
अमंगलो मृत्युभोजः ओऽन्तेजोऽपहारकः ।  
आधिव्याधिसमापूर्णः दुरंतोऽन्तसंनतिः ॥ ३ ॥  
शास्त्रानुमोदितो नैव नव युक्तिपर्थित ।  
मृत्युभोजो बहिष्कार्य कथं श्रेयस्करो भवेत् ॥ ४ ॥  
सम्यग्घटिष्परित्यक्त मिथ्याघटिसमर्थित ।  
पुष्टिं ये मृत्युभोजं ते नरा न नरा खरा ॥ ५ ॥

— चैनसुखशम जैन न्यायतीर्थ ।

## मरणभोजकी उत्पत्ति ।

मरणभोजका कर्थ विसी मृत व्यक्तिका नामसे या डसके निमि  
त्तसे जाति, समाज या किसी समूहको भोजन कराना है। इसे नुक्ता,  
बारमा, काज या मीसर भी कहने हैं। यह अमनुषिक्त प्रथा कब,  
कैसे, किसके द्वारा और वयोंका उत्तराज्ञ हुई यह न तो मैं स्वयं  
जानता हूं और न सौ विद्व नोंको पत्र देनेपर उनसे ही कोई संतोष

कारक उत्तर कहींसे मिला है। इसलिये मैं मानता हूँ कि जैसे चोरी, चबूचियार, हत्या या अन्य ऐसे ही अत्याचारोंका कोई इतिहास नहीं, वहसी प्रकार मरणभोजकी अमानुषिक प्रथ का मी इतिहास नहीं मिलता।

हा, आत्मजागृति कार्यालय जैन गुरुकुल-व्यावरसे प्रगट हुई 'पुस्तक 'मुख्यी कैसे बनें' में किरियावर (मरणभोज) की उत्पत्तिके सम्बन्धमें लिखा है कि "किसी सेठके पुत्रने पिताकी मृत्युके रंजसे भोजन छोड़ दिया तो चार वुद्धियोंने उसके घरपर भोजनकी थाली ले सत्याग्रह किया कि आप स्वाओ तो हम स्वायेंगे। इससे सादा भोजन तो शुरू हुआ किन्तु वह सेठका पुत्र मीठा भोजन नहीं स्वाता था, उसे शुरू करानेके लिये पुन. मिठाई बनवाकर थाली परोसकर बैठ गये और मीठा खाना शुरू कराया। इससे कई लोग पिताभक्तिशी प्रशंसा करने लगे। यह देख दूसरोंने भी नकल करमा चाही और चारकी जगह दस वुद्धियां आये, फिर तीसरेने २५को बुलाया, फिर सेहड़ों और अब तो हजारोंको बुलाकर मरणभोज होने लगे।"

जो भी हो, मरणभोजकी उत्पत्ति चाहे इस तरह हुई हो या किसी दूसरी तरह, किन्तु यह है बहुत ही भयानक। ब्रह्मणोंने तो इसे धर्मका महान अग बताया और यह गरीब अमीर सभी द्विन्दुओंमें पचलिन दोगई। जिस गरीबने जिन्दगीमर कभी मिष्टान्न न साया होगा वह भी उपने घाके लोगोंशी मृत्यु होनेपर जातिके लोगोंको मिष्टान्न भोजन करता है। कारण यह है कि उसे ब्राह्मण पहितों द्वारा यह विश्वास दिलाया ज ता है कि मरणभोज करनेपर ही मृतात्माको शान्ति व सद्गति मिलेगी। चिना मरणभोजके मृता-

‘त्या’ स्मशानकी रास्ते में ही कोटता रहता है। उसे रास्ते से निकालकर मुक्तिमें पहुंचानेका एक मात्र उपाय मरणमोज है। यह विश्वास अशिक्षितोंमें ही नहीं किन्तु शिक्षित हिन्दू धरानोंमें भी बहुतायतसे पाया जाता है।

किन्तु सबसे बड़ा आश्रय तो यह है कि सत्यकी उपासक, कर्मीके बन्ध मोक्षकी व्यवस्था जाननेवाली तथा जन्ममरणसे सिद्धान्तसे परिचित जैन समाजमें भी अनेक नगद यही मूढ़तापूर्ण विश्वास छाया हुआ है। जबकि जन शास्त्र कहते हैं कि मरण होनेके बाद क्षणभरसे पहले मृतात्मा दूसरी योनिमें पहुंच जाता है और उसपर किसी अन्यके किये हुये कार्योंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो भी अनेक मूढ़ जैन लोग जैनतरोंकी मान्यतानुसार मरणमोजसे शुभ गतिमें जाने या तरनेकी शक्ति मानते हैं।

‘ यहापर मरणमोज सम्बन्धी हिन्दू शास्त्रोंके सारहीन कथनकी समालोचना नहीं करना चाहता, किन्तु मुझे तो यहां मात्र इतना ही कहना है कि कमसे कम जैनाचारकी वृष्टिसे तो मरणमोज करना घोर मिथ्यात्वका कार्य है। इसे जो आवश्यक कृत्य मानकर करता है वह सच्चा जैनी नहीं है। हमारे एक भी जैन आष शास्त्रमें मरणमोजका कोई विविध विवान नहीं है। जैनाचार्योंके द्वारा निर्माण किये गये आवकाचारोंमें जैन गृहस्थकी साधारणसे साधारण क्रियाओंका कथन किया गया है, किन्तु किसी भी आचारशास्त्रमें मरणमोजका विवान नहीं है। फिर भी मृढ़तावश जैन लोगोंमें यह प्रथा चालू है, यह स्वेदकी बात है।

जैन समाजमें दो क्रियाकोश प्रचलित हैं, एक स्व० पंडितप्रबर दौलतरामजीका और दूसरा प० किशनसिंहजीका । इनमेंसे प० दौलतरामजीका क्रियाकोश अधिक प्रमाणीक माना जाता है । उसमें सुतकपातककी विधिका वर्णन करके भी कहीं मरणभोजका कोई विचार नहीं किया है । एक बात यह भी है कि जैन कथाग्रन्थोंमें महापुरुषोंका विस्तृत जीवनपरिचय दिया गया है । उनमें उनके जीवनमरणकी छोटीसे छोटी घटनाओं एवं क्रियाओंका उल्लेख है । किन्तु क्या कोई बतला सकता है कि किसी महापुरुषने अपने पूर्वजोंका या किसी महापुरुषका उनके कुटुम्बियोंने मरणभोज किया था ? सच बात तो यह है कि मरणभोज न तो जैन शास्त्रानुकूल है और न इसकी कोई आवश्यकता ही है ।

मैंने मरणभोज सम्बंधी ५ प्रश्नोंके १०० कार्ड छपाकर जैन समाजके १०० अग्रण्य विद्वानोंके पास भेजे थे, उनमें एक प्रश्न यह भी था कि क्या मरणभोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी टृष्णिमें उचित है ? किन्तु कुछ सज्जनोंने निषेधात्मक उत्तर ही दिये, मगर अन्य कट्टर रूढिचुत्त पण्डितोंका इसका यथार्थ उत्तर देनेका साहस ही नहीं हुआ । हो भी कहासे ? वे किसी भी तरह मरणभोजको शास्त्रानुकूल सिद्ध कर ही नहीं सकते ।

स्थितिपालक दलके नेता प० मवखनलालजी शास्त्रीके सम्पादकत्वमें निकलनेवाले जैनगजट वर्ष ४२ अंक ७ (ता० २८-१२-३६) में मा० ज्ञानचंदजी जैनने एक विज्ञप्ति छपाई थी कि “मरणभोज शास्त्रसमर्त है, इसपर विद्वानोंसे प्रार्थना है कि वे अपना

मत सप्रमाण गजटमें प्रगट करें, ताकि शंका निवारण हो ।” किन्तु इस आवश्यक प्रश्नहाँ उत्तर देनेका साहस न तो गजटके सम्पादकजी ही कर सके और न कोई दूसरा । इसका भी कारण स्पष्ट है कि कहीं भी मरणमोजकी शास्त्रसम्मतता नहीं मिल सकती ।

तात्पर्य यह है कि मरणमोजका विधान न तो जैन शास्त्रमें है और न जैनाचारकी वृष्टिसे ही यह कार्य उचित है । जैनोंमें तो इसका प्रचार मात्र अपने पड़ोसी हिन्दुओंसे हुआ है, उन्हींका यह अनुकरण है । यही कारण है कि आजसे सौ-पचास वर्ष पूर्व प्रायः सारी जैन समाजमें मरणमोजके साथ ही उसकी आगे पीछेकी तमाम क्रियायें हिन्दू क्रियाओंके समान ही कीजाती थीं, जिनका निषेध करते हुये ५० किशनसिंहजैने अपने क्रियाकोषमें लिखा है कि:-

दृग्ध क्रिया पाछे परिवार, पाणी देय सबै तिहिवार ।

दिन तीजेसो तीयो करै, मात सराई मसाण हूँ धरै ॥ ५७ ॥

आदी सात तवा परि ढाहि, अदन टिपकी दे नरनारि ।

पाणी दे पाथर बड़काय, निनदसण करिकै घरि आय ॥ ५८ ॥

सब परियण जीमत तिहिवार, बाबा करते गांस निकार ।

साज लगे तिनि ढांक रिषाय, गाय बछा कु देय पुवाय ॥ ५९ ॥

ए सब क्रिया जैन मत माँहि, निंद सकल भावै सक नाहिं ।

इस प्रकार आगे भी तमाम मिथ्या क्रियाओंका वर्णन करके जैनोंको उनके त्यागनेका उपदेश दिया है । और स्पष्ट लिखा है कि एक दो या तीन समयमें तो जीव अन्य भवमें पहुंच जाता है, फिर व्यर्थ ही क्यों आड़म्बर रखते हो ? उसके निमित्तसे ग्रास (अङूता-पिण्ड) निकालना, पानी देना आदि सब मिथ्यात्व है । कारण कि

मृतात्मा फिर उसके उपभोगके लिये न तो वापिस आता है और न राखमें पढ़ा रहता है, न मरण स्थानपर मंडराता रहता है । इसलिये तमाम मिथ्या क्रियाओंका त्याग करो । ५९ में छन्दमें परिज्ञोंके जीमनेकी रुद्धि बताकर उसे भी नियंत्रण कहा है ।

किन्तु हम आज देखते हैं कि जैनोंमें प्रायः तमाम मिथ्या क्रियायें प्रचलित हैं । मरणभोजके लिये शक्ति न होनेपर भी अनाथ विघ्वाओंके गहने बेचे जाते हैं, उनके मकान बेच दिये जाते हैं, सारी सम्पत्ति स्वाहा करदी जाती है और तुक्ता क्रिया जाता है । ऐसा न करनेपर उसकी निन्दा होती है और कहीं कहीं तो मरणभोज न करनेवालोंको जातिबहिष्कृत भी कर दिया जाता है । यह सब बातें आपको आगे करुणाजनक घटनाओंके प्रकारणमें देखनेको मिलेंगी ।

### मरणभोजकी भयंकरता ।

मरणभोजकी राक्षसी प्रथाके कारण अनेक विघ्वायें बर्बाद होगीं, अनेक बच्चे दाने दानेको तरस रहे हैं, अनेक ऊचे घर कर्जे करके मिट्टीमें मिल गये हैं । इस भयंकर प्रथाकी पुष्टिके लिये कई गृह-स्थोंको घर जायदाद बेचना पढ़ा, गहने वर्तन बेचना पढ़े और अपना जीवनतक बेच देना पढ़ा, किन्तु निर्दयी पंचोंने जीवन लेकर भी जीमन नहीं छोड़ा ।

निर्दयताके साथ ही साथ यह कितनी भयंकर असभ्यता है कि माता मरे या पिता, भाई मरे या भौजाहीं, काका मरे या काकी,

पुत्र मेरे या पुत्री, पति मेरे या पत्नी किन्तु तत्काल ही मोदक उड़ानेकी तैयारी होने लगती है। इसी विषयमें एक सज्जनने किसा है कि “मरणभोजभोजियोंने सहानुभूतिको संखिया दे दिया, कृतज्ञताको कौटीके मोल बेच दिया, समवेदनाकी मद्रताको भट्टीमें झोक दिया, मुद्रेके मालपर गीध और कुत्तोंकी तरह टूट पड़े, खूनसे सने सारेको हड्पने लगे, लोहमरी लपसी डकार गये, रक्तसे लथपथ रबड़ीको सबोड़ गये, कराहते हुये आत्मीयोंके कृदनको सुननेके लिये कान फोड़, आगापीछा मूरु चटोरी जिहाके चाकर बन गये।” क्या यही दया और अहिंसाका स्वरूप है? क्या यही आर्य सभ्यताकी निशानी है? भोजनभक्त नरपिशाचो! तनिक अपनी हियेकी आँखें खोलो और इस पाशवतापर विचार करो!

जा मरणभोजके दृश्यको तो एक्ष्वार देखिये—एक तरफ कफन खरीदा जारहा है तो दूसरी ओर मरणभोजकी तिथि तय की जारही है, इधर जनाजा निश्चक रहा है तो उधर पकवान उड़ानेकी प्रतीक्षा होरही है, इधर चितापर मुर्दा जल रहा है तो उधर निमचनकी फहरिश्त बनाई जारही है, इधर विघ्वा सिर और छाती कूट कर हाय हाय कर रही है तो उधर उड्डुओंकी तैयारी होरही है, इधर पितृहीन बालक आहें भर रहे हैं तो उधर पच लोग नुक्केकी चर्चामें तल्लीन हैं, इधर घरके लोग आमू बहा रहे हैं और जोर बोरसे चिल्ला रहे हैं तो उधर हृदयहीन स्त्री पुरुष लड्डू गटक रहे हैं। यह कैसा दयनीय एवं निष्ठुरतापूर्ण कृत्य है, जिसे देखकर दया तो किसी अन्धेरे कौनेमें खड़ी हुई रोती होगी।

सबसे अधिक दुखकी बात तो यह है कि मरणभोजकी कहुनताको जानते हुये भी आज कितने ही भोजनभट्ट, पेटार्थु और घर्मके ठेकेदार बननेव ले हृदयहीन व्यक्ति इस निर्देयतापूर्ण मरण-भोजकी पुष्टि करते हैं । उनके पास न तो कोई धर्मशास्त्रोंका प्रमाण है और न कोई तुद्धिगम्य तर्क । फिर भी वे अपने हठबादको पुष्ट करते रहते हैं । यदि उनके पास कोई प्रमाण है भी तो एक मात्र त्रिवर्णाचार हो सकता है । वया कोई मरणभोज समर्थक विद्वान् किसी आर्षग्रन्थमें मरणभोजका प्रमाण बता सकते हैं ?

जिस त्रिवर्णाचारका प्रमाण दिया जा सकता है वह ग्रन्थ शिथिलाचारका पोषक है, उसमें योनिपूजा, पीपलपूजा, श्राद्ध, तर्पण और ऐसी ही अनेक मिथ्यात्व पोषक बातोंका विधान है, जो जैनत्व-सम्बन्धको नष्ट करनेवाली हैं । उसमें तो तीसरे दिनसे लगाकर बारहवें दिन तक बराबर भोजन करानेका विधान किया गया है और हिंदू शास्त्रोंके आधारसे श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदानका पूरा २ वर्णन करके उन्हें जैनोंके लिये विधेय बताया है । तात्पर्य यह है कि भट्टा-रक सोमसेनके त्रिवर्णाचारमें जैनियोंका जैनत्व नष्ट करनेवाले अनेक विधि विधान भरे पढ़े हैं । उसीमें मरणभोज भी एक है । इसके अतिरिक्त कोई भी प्राचीन या अर्वाचीन जैनशास्त्र मरणभोजका समर्थन नहीं करता ।

प्रत्युत पण्डितप्रबर सदासुखदासजीने रत्नकरणश्रावकाचार श्लोक २२ की टीकामें मरणभोज, श्राद्ध, तर्पण आदिको लोकमू-दृता बताया है ।

त्रिवर्णाचार तथा ब्रह्मसुरि कृत प्रतिष्ठातिलङ्घमें एक ही तरहके अक्षरशः नकल किये हुए कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जिनका तात्पर्य यह है कि यदि दुष्ट तिथि, दुष्ट नक्षत्र या दुष्ट वारमें अथवा दुर्भिक्ष, शस्त्र, अभिपात या जलपात आदिसे मरण हो तो कुटुंबीजनोंको प्रायश्चित्त ( तदोषपरिहारार्थ ) के हेतुसे अन्नदानादि देना चाहिये । इससे यह ज्ञात होता है कि पहले मरणभोक्ती प्रथा प्रायश्चित्तके रूपमें प्रारम्भ हुई थी । उस समय मात्र पांच युगलोंको अन्नदान देनेकी ( पञ्चानां मिथुनानां तु अन्नदानं ) विधि थी । फिर भी यही धीरे धीरे बढ़कर सैकड़ों हजारोंको बढ़ा खिलानेके रूपमें परिणत होगई । और अब तो सभी पकारके मरणोपक्षमें बृहत् भोज किया जाता है तथा उसमें हजारों रूपया खर्च किये जाते हैं । जबतक यह प्रथा बन्द न होगी तबतक न तो समाजकी दयनीय दशा सुधर सकती है और न समाज अमानुषिकताके कलंफसे ही मुक्त हो सकती है ।

### शास्त्रीय शुद्धि ।

हिन्दू स्मृतियोंकी नकल करके सोमसेन भट्टारकने मरणशुद्धिके लिये भोजन कराना आवश्यक बताया है, तब आचार्य गुरुदासने प्रायश्चित्तसंप्रह चूलिकामें किला है कि:—

जडानलप्रवेशेन भूगुपाताच्छिशावपि ।

बालसन्यासतः भ्रेते सद्यः शौचं गृहित्रते ॥ १५३ ॥

अर्थात्—जलमें हूँचने, अभिमें जलने, पर्वतसे गिरने, बाक-

कक मरने या बाक ( मिथ्याहृषि ) सन्याससे मरने पर तत्काल ही शुद्धि होजाती है ।

किन्तु इस आर्षवाक्यके विरुद्ध सोमसेन त्रिवर्णचारमें गौदा-नादि तथा भोजन करानेपर शुद्धि मानी गई है । ऐसी स्थितिमें प्रायश्चित्त समुच्चय ग्रंथको ही प्रमाण मानना बुद्धिमानी है । कारण कि “ सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् । ” अर्थात् सामान्य शास्त्रकी अपेक्षा विशेष अधिक प्रामाणिक होता है । इसलिये शिथिकाचारी मिथ्याप्रचारी भट्टारक सोमसेनकृत त्रिवर्णचारकी अपेक्षा प्रायश्चित्त समुच्चय अधिक प्रामाणिक शास्त्र है । और फिर त्रिवर्णचार तो कोई शास्त्र भी नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि हम पहले बता चुके हैं कि जल-पातादिसे मरनेपर तो तत्काल ही शुद्धि होजाती है और वैसे सामान्य मरण होनेपर अमुक दिन बाद स्वयं शुद्धि होजाती है । यथा—

ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूदा दिनैः शुद्धयन्ति पञ्चभि ।

दश द्वादशभिः पक्षाद्यथासस्त्वयप्रयोगत ॥ १५३ ॥

—प्रायश्चित्त सम्बन्ध चूलिका ।

अर्थात्—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी स्वजनके मर जानेपर क्रमशः पाच, दस, बारह और पन्द्रह दिनके बीतनेपर स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं । इससे वह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि जैनोंकी पातक शुद्धि १२ दिन बीत जानेपर स्वतः होजाती है । इसलिये मरण-भोजसे शुद्धि होना मानना एक मात्र मिथ्यात्म है । मरणके बादकी पातकशुद्धि तो काळशुद्धि है ।

इसलिये अमुक काल व्यतीत होजानेपर स्वयमेव शुद्धि होजाती है। यदि इसके लिये मरणभोज करना भी आवश्यक होता तो आचार्य गुरुदास उसका भी उल्लेख अवश्य करते। किन्तु उनने ऐसा न करके मात्र कालशुद्धि ही बताई है। व्यवहारमें भी यही देखा जाता है कि तेरहवें दिन (कहीं कहींपर १० दिनमें ही) शुद्धि होजाती है, और विना मरणभोज किये ही लोग देवदर्शन तथा पूजादि कार्य करने लगते हैं। इससे सिद्ध होगया कि मरणभोज शुद्धिके लिये भी अनावश्यक है।

मूलाचारके समयसाराधिकारमें भी सूतकका उल्लेख है और उसकी शुद्धिके लिये लौकिक ग्लानिके त्याग करनेका उपदेश दिया है। यथा —

“ लोकव्यवहारशोधनार्थं सूतकादिनिवारणाय लौकिकीजुगुप्ता परिहरणीया । ”

अर्थात् - लोकव्यवहारकी शुद्धिके लिये सूतकादिके निवारणके लिये लौकिक ग्लानिका त्याग करना चाहिये। इसीको स्पष्ट करते हुये विद्वज्जनबोधकमें कहा है कि “ लोकव्यवहारमें ग्लानि नहीं उपजै तैसे प्रवर्तन करना, याहीतै लोकमै सूतकादिके त्याज्य दिन जे हैं तिनमैं स्वाध्याय पूजन नहीं करते हैं, सो भी धर्मका ही विनाय निमित्त ग्लानिरूप दिनका त्याग है। ”

इससे भी स्पष्ट सिद्ध है कि मात्र ग्लानिका त्याग कर बंद की हुई स्वाध्यायादि धार्मिक क्रियाओंका प्रारम्भ कर देना ही लौकिक शुद्धि है। इसीसे सूतक-पातककी अशुचिता मिटकर ग्लानि मिट

जाती है। यहापर 'सूतकादिके व्याजय दिन जे हैं' कहकर कालशुद्धि पर ही मार दिया है। इसके लिये मरणभोज आदिकी आवश्यकता नहीं है। अन्यथा उसका उल्लेख भी यहां अवश्य किया जाता। इससे भी सिद्ध है कि मरणभोजका न तो शास्त्रीय विधान है और न उसकी कोई आवश्यकता ही है। फिर भी जो मरणभोज करते हैं वे अज्ञान, अविवेक, हठ और मान बढ़ाईके मूले हैं यही समझना चाहिये।

### शङ्का समाधान ।

मरणभोजके सम्बन्धमें लोग जो विविध शकायें किया करते हैं वे प्राय इमप्रकारकी हुआ करती हैं। उन्हें यहापर किसकर साथ ही उनका उत्तर भी दिया जाता है।

(१) शङ्का—या हमारे पूर्वज मूर्ख ये जो वे अभीतक नुक्ता (मरण भोज) करते आये हे? हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिये।

समाधान—यहली बात तो यह है कि पथमानुयोग या अन्य इतिहाससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे प्राचीन पूर्वज मरणभोज करते थे। किसी भी चक्रवर्ती राजा महाराजा या महापुरुषके मरण-भोजका कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। कई विदेशी यात्री मारतमें आये जिनने मारतके छोटेसे छोटे रीतिरिवाजोंका वर्णन किया है, किन्तु उनने भी कहीं मरणभोजका कोई उल्लेख नहीं किया। इससे सिद्ध है कि हमारे प्राचीन पूर्वज मरणभोज नहीं करते थे।

हा, अर्द्धचीन लोगोंमें इसका रिवाज अवश्य चल पढ़ा है । किन्तु हमारा उसी समयसे पतन भी खूब हुआ है । मरणभोज आदि कुरीतियोंके कारण सारा देश नष्टभृष्ट होगया है । इसलिये यदि हमारे पहलेके लोगोंने ऐसी मूढ़ताका प्रारंभ किया था तो क्या हमें भी उसका अनुकरण करना आवश्यक है ? हमें कुछ विवेकसे भी तो काम लेना चाहिये । क्या जिसके पूर्वज चोरी करते थे उसे भी चोरीका अनुकरण करना चाहिये ? जिसके पूर्वज हत्या, व्यभिचार, अनाचार आदि दुष्कृत्य करते थे क्या उपको भी यही दुष्कृत्य करना चाहिये ? यदि पैटार्थ कियाराण्डियोंने पूर्वजोंको धोखेमें ढाक-कर मरणभोजकी प्रथा चलू कराई और उनने इसीमें मृतात्मकी मुक्ति मानकर उसे प्रारंभ भी करदी तो क्या आज इसका इतना मयक्षर परिणाम देखते हुये भी हमें यहाँ करना चाहिये ?

अज्ञान एवं परिस्थितिके बशीभूत होकर पूर्वजोंने तो बालवि-वाहकी प्रथा भी चालू करदी थी और वे दुष्मुंहे बालकशालिहाओंके विवाह करते थे, तो क्या हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिये ? निनके पूर्वज पशुपत्त करते थे, विधशाओंको अभिचितामें जड़ाकर सती बनाते थे, कशी करवतार जाकर आत्महत्या करते थे यदि उनकी संतान अपने पूर्वजोंकी दुहाई दे और कहे कि क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे, तो क्षण यह कृत्य आज भी उचित माने जायेंगे ? यदि नहीं तो मात्र मरणभोजके लिये ही क्यों पूर्वजोंकी दुहाई दीजाती है ? पूर्वजोंके सभी कार्य अनुकरणीय नहीं होते, किन्तु उनमें यथा-र्थता और अयथार्थताका विचार करना चाहिये तथा हिताहित भी सोचना चाहिये ।

(२) शांका—सम्बन्धीको मृत्युसे जो शोक होता है उसे मुलानेके लिये नुक्ता (मरणमोज) करना आवश्यक है । मरणमोज करनेसे पंच लोग तथा जातिके स्त्री पुरुष अपने घर आते हैं और सान्त्वना देकर दुःख हल्का करते हैं, इसलिये मरणमोज करना आवश्यक है ।

**समाधान**—यह भी अज्ञानतापूर्ण दलील है । सम्बन्धीके मरनेपर यदि मरणमोज करनेसे ही लोग सान्त्वना देने आते हैं अन्यथा नहीं आयेगे तो ऐसी भावूती सान्त्वना प्राप्त करनेकी आकांक्षा रखना भयंकर भूल है । जो लोग मरणमोजके लोभसे तो सान्त्वना देने आवें और उसके बिना नहीं आवें ऐसे नीच पुरुषोंका तो सुंह देखना भी पाप है ।

दूसरी बात यह है कि मरणमोज करनेसे यह उद्देश्य भी तो नहीं सरता । कारण कि मरणमोजके दिन तो वा के स्त्री पुरुष और भी रुदन करते हैं तथा मरणमोजके बाद भी मढ़ीनोंतक दुखी बने रहते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु जिन गरीब घरोंसे या अनाथ विधवाओंसे शक्ति न होनेपर भी मरणमोज कराया जाता है और वे विरादरीके भयसे अपना मकान तथा गहनेतक बेचकर मरणमोज करती हैं उनकी सान्त्वना तो क्या होती है, उल्टी जिन्दगी ही बिगड़ जाती है । वे जीवनभरके लिये दुखी होजाती हैं । इसलिये मरणमोजसे सान्त्वना मिलनेकी दलील व्यर्थ है ।

इम देखते हैं कि जिनके यहां मरणमोज नहीं होता या जड़ा चालीस वर्षसे नीचेका मरणमोज करनेका प्रतिबन्ध है वहा भी तो

बुःखान्ति होती ही है और उनके बहां भी लोग समवेदना बतानेके किये आते ही हैं । इसलिये भी मरणमोज करना व्यर्थ सिद्ध होता है ।

(३) शंका—मृत व्यक्तिके बाद पचोंको भोजन करानेसे मृतात्माको शान्ति मिलती है और समदत्ति (दान) का भी अवसर मिलता है ।

**समाधान**—जैन सिद्धान्तानुसार मृतव्यक्तिके बाद भोजन कराने या न करानेसे मृतात्माका कोई संबंध नहीं रहता । वह जीव तो एक दो या तीन समयमें ही परमव्ययमें पहुच जाता है । इसलिये मरणमोजसे मृतात्माकी शान्ति मानना महामूढ़ता या धोर मिथ्यात्व है । रही समदत्तिकी बात, सो यह भी अज्ञानकी घोतक है । इस विषयमें मैं आगे 'समदत्तिपक्षण' में लिखूँगा ।

(४) शंका—हम अभीतक दूपरोके यहा मरणमोजमें जाकर बड़ह खाते रहे हैं तो अब अपने यहा मौका आनेपर विना बदला चुकाये कैसे बन्द करदें ?

**समाधान**—इस शंकामें अंधानुकरण और कायरता है । यदि अभीतक हम अपनी मूर्खतासे इप अमानुषिक कृत्यमें भाग लेते रहे हैं तो क्या आवश्यका है कि मात्र बदला चुकानेकी गरजसे इस मूर्खताकी परम्पराको चालू रखा जाय ? जबकि अब मरणमोजकी घातकता मालूम होचुकी है तब उमे तकाल छोड़ देना चाहिये और उसका प्रारंभ अपने घरसे ही करना चाहिये ।

यदि इस शंकामें कोई दम है तो फिर किसीसे कोई भी व्यसन नहीं छुड़ाया जासकता । वयोंकि व्यसनी भी तो यही शंका कर

सकता है। वर्तमानमें जिन प्रान्तोंमें शराबका पीना कानूनन बन्द हुआ और होरहा है वहाके पियकह लोग भी तो यह कह सकते हैं कि अभीतक हम दूसरोंकी बहुतसी दावतोंमें आकर शराब पीते रहे हैं, अब हम अपने यहा अवसर आनेपर कैसे बंद करदें? तब क्या कोई भी विवेकी हसी दलीलपर शराब पीना चालू रखना उचित मानेगा? यदि नहीं तो यह दलीक मात्र मरणभोजपर कैसे लागू होसकती है?

दूसरी बात यह है कि जब धीरे धीरे मरणभोजकी प्रथा उठ जायगी तब यह प्रश्न स्वयमेव हल होजायगा। पारंपरमें सहनशक्ति, साहस और अटलता चाहिये। यदि कोई अभीतक दूसरोंके मरणभोजमें शामिल होता रहा है तो अब अपनी मृढ़ताको स्वीकार कर सबके सामने स्पष्ट कह देना चाहिये और भविष्यमें अपनेको मरणभोजके शामिल न होनेकी घोषणा कर देनी चाहिये।

(५) शांका—मृत व्यक्तिकी यह अंतिम इच्छा थी कि उसके बाद उसका मरणभोज अवश्य ही किया जाय। इसके लिये वह कुछ रूपया भी निश्चालकर रख गया है। तो क्या हम उसकी आसें बन्द होनेपर उसकी इच्छाको दुर्बल ढालें और उसके द्वाही बनें?

समाधान—मृत व्यक्तिकी अयोग्य इच्छाकी भी पूर्ति करना उचित नहीं है। हाँ, उसके संकलित द्रव्यका सदुपयोग किया जा सकता है। उस द्रव्यको धर्मपचार, समाजसुधार और ऐसे ही हितकारी कार्योंमें लगाइये जिससे मृत व्यक्तिहा नाम चिरस्थायी रह सके। एक दिनके भोजन करा देनेसे किसका कल्याण होनेवाला

है ? और फिर मरणभोजके भयंकर परिणामको देखते हुये मृत व्यक्तिकी अज्ञानमयी हृच्छाकी पूर्ति वयोङर करनी चाहिये ? विवेक भी तो कोई वस्तु है । प्रत्येक कथेमें उतका उपयोग करना चाहिये ।

(६) शांका-मरणभोजके समय आने नगर और बाहरके भी कोग आकर एकत्रित होते हैं, उनसे दुख हल्का होता है और परिचय तथा सहानुभूति भी बढ़ती है ।

**समाधान—** गरिबय और सहानुभूतिके तो और भी अनेक अवसर तथा साधन मिल सकते हैं तब इस राक्षसी रूढ़िके नामपर क्यों ऐसी आशा रखती जाती है ? रही लोगोंके एकत्रित होनेकी बात, सो जिसे सच्ची सहानुभूति होगी वह मरणभोज न होनेपर भी दुःखके अवसरपर आ जायगा और सच्ची समवदना प्रगट करेगा । किन्तु जो लड़दुओंके निमित्तमें ही दौड़े आते हैं, उन स्वार्थी लोगोंकी बनावटी सहानुभूतिसे भी क्या लाभ ? उनकी सहानुभूति दुखियासे नहीं किन्तु लड़दुओंमें होती है । अन्यथा क्या कोई बतायगा कि कभी मरणभोज—भोजियोंने उस विचारी विषवासे पूछा भी है कि तुने मरणभोजका प्रबन्ध कहासे किया ? गहने और मकान बेचकर अब क्या करेगी ? तेरा और तेरे बच्चोंहा पालन कैसे होगा ? जब आवश्यका ५ड़े हग हेरी मदद करेंगे । हत्यादि । भाऊ, जो लोग रक्तके लड़द्वाखाने हैं उनमें इनी मानवता अर्थे भी कहासे ? वे तो उल्टे उस विषवाके माधानको कुर्क कराने, विषवाने और उसे मिटानेमें शामिल हो जाते हैं ।

(७) शांका—जिनके पास धन है वह मरणभोज करें, और

जिनके पास नहीं है उनसे जबर्दस्ती कौन करता है ? गरीब लोग मात्र अपने कुटुम्बीजनोंको या पाच पंचोंको जिमा दें तो क्रिया हो जाती है । यह तो अपनी अपनी शक्तिके मुताबिक करना चाहिये । इसमें क्या हर्ज है ?

**समाधान-**ऐसी दलीलें कहर स्थितिपालक पण्डितोंके मुंहसे भी सुनी जाती हैं । कितने ही मुखिया पंच लोग भी ऐसा ही कहते सुने गये हैं, किन्तु यह मात्र शब्दछल है । कारण कि किसी भी रूपमें ऐचिठक या अनैचिठ भ्रष्टभोजकी प्रथा चालू रहनेसे यह अधिकर अत्याचार नहीं पिट सकता । शक्ति अशक्ति तथा इच्छा अनिच्छाकी बातें करनेवाले लोग उस मृत व्यक्तिके कुटुम्बको हतना शर्मिन्दा और विवश बना देते हैं कि गरीबसे गरीब लोगोंको भी भ्रष्टभोज करना ही पड़ता है । जो मरणभोज नहीं करता उसे बदनाम किया जाता है, उसके अ.गे पीछे बुराइयाँ की जाती हैं, विविध कल्पनायें की जाती हैं, असहयोगकी घमकी दी जाती है, बहिष्कारका भय दिखाया जाता है, विवाह-शादियोंमें अड़चनें पैदा की जाती हैं और इप तरह रजवू कर दिया जाता है कि घरमें कलके लिये स्वानेको न होनेवर भी भ्रष्टभोज करना पड़ता है ।

कहीं कहीं तो ऐसा भी रिवाज है कि जब भ्रष्टभोज करनेवालेको मारी व्याज देने पर भी रघुर रुपया नहीं मिलता तब पंच लोग उसमें दण्डश्वरूप चिट्ठी लिखता लेते हैं । जिसका अर्थ यह है कि आबके लोग तुम्हारी शादी आदिये केवल इसी शर्ते पर शामिल होंगे जब कि तुम अरने ऊर चढ़े हुये यौवनका व्याज प्रतिमास ५) के

हिसाबसे पंचोकी पूजीमें जमा कराने रहोगे । ऐसा अनिवार्य मरण-भोजका कानून है गांवोमें पाया जाता है । तब फिर गरीबोकी मर्जी पर छोड़नेकी बात तो सर्वथा असत्य और छलपूर्ण है ।

(८) शास्त्र-यदि मरणभोज नहीं किया गया तो जैनेतर समाज हमसे घृणा करेगी और हमें नीच मानेगी ।

**समाधान-**यह मध्य भी व्यर्थ है । और संभवतः इसी भयको लेकर ही जैन समाजमें मरणभोजका प्रारम्भ हुआ हो । किन्तु यह प्रबल आन्दोलनके साथ बंद किया जासकता है । और सर्वत्र ही मरणभोजके बन्द होनेपर तथा जैनेतर जनताको यह मालूम होजाने पर कि मरणभोज जैनधर्मके विरुद्ध है—कोई भी विरोध नहीं करेगा ।

जैन लोग हिन्दुओंके देवी देवताओंको नहीं पूजते, उनकी तरह श्राद्धादिक नहीं करते और उनके आचार विचारसे जैनोंका आचार विचार भिन्न ही रहता है । ऐसी स्थितिमें जैनेतर लोग जैनोंसे किसी प्रकारकी घृणा नहीं करते । इस प्रकार जैन समाजमें सार्वत्रिक मरणभोज बन्द होजानेपर कोई किसी प्रकारकी घृणा नहीं करेगा । अभी भी जो लोग मरणभोज नहीं करते या जिन आमोंमें ४० वर्षसे कम आयुवालोंका मरणभोज पंचायतने बन्द कर दिया है वहापर जैनेतर जनता जैनोंसे घृणा नहीं करती । कारण कि वह जानती है कि इनकी समाजको यह कार्य मंजुर नहीं है और यह इनके धर्मके खिलाफ है । तब घृणादिका कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा । दूसरी बात यह है कि किसीके भयसे हमें धर्मविरुद्ध और नुरे कार्य नहीं करना चाहिये ।

(९) शंका—तब कि मरणभोजकी प्रथा उठा दी जावगी तो फिर मरणशुद्धि-सूतक आदिकी भी क्या बखरत है ? उसका कथन भी तो शास्त्रोंमें नहीं है ।

**समाधान**—मरणभोजसे शुद्धिका कोई संबन्ध नहीं है । मरण शुद्धिकी आवश्यकता तो प्रत्येक बुद्धिमानके ध्यानमें आ सकती है । कारण कि मरणके कारण स्वाभाविक अशुचिता हो ही जाती है । पं० दौलतरामजीके कियाकोषमें भी शुद्धिका विधान है । और यदि नहीं भी होता तो भी शुद्धि इतना स्वीकार किये बिना नहीं रहती कि मरणशुद्धि करना नहाना घोना आदि आवश्यक है । किन्तु मरणभोजका इस शुद्धिके साथ गंठजोड़ा कर देना उचित नहीं है ।

(१०) शंका—तेरहवें दिन मरणभोज करके शुद्धि होती है और तभी गृहस्थ पूजा तथा दानादि देनेका अधिकारी होता है । मरणभोजके बिना उसमें पूजा दानादिकी पात्रता कैसे आसकती है ?

**समाधान**—तेरहवें दिन शुद्धि होना तो कालशुद्धि कहलाती है । मरणभोजमें शुद्धि करनेकी शक्ति नहीं है । यदि मरणभोज करनेसे ही शुद्धि होती है तो इसका सष्टु अर्थ यही हुआ कि मरणभोजमें जो लोग जीमनेको आने हैं वे अशुद्धिमें जीमने हैं और उनके जीम लेनेपर शुद्धि होती है । तब तो पंच लोग अशुद्धिमें जीमनेके कारण पापके मार्गी होंगे ।

यदि कोई यों कहे कि शुद्धि तो तेरहवें दिन हो ही जाती है उसके बाद मरणभोज होता है । तो इमका अर्थ यह हुआ कि शुद्धि करनेमें मरणभोज कारण नहीं है, कारण कि वह शुद्धि होनेके बाद

होता है । ऐसी स्थितिमें ( तेरहवें दिन स्वयमेव शुद्धि होजानेपर ) यदि कोई मरणभोज न करे तो क्या वह अशुचिता पुनः लौटकर उसके घरमें छुस आयगी ? तनिक बुद्धिसे भी तो विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि कहीं कहींपर १०-११-१२ बें दिन भी मरणभोज किया जाता है । तो क्या मरणभोजमें ऐसी अक्षिति है कि वह जब भी किया जाय तभी अशुचि दूर भाग जाती है ? कहीं जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि एक घरमें कह मरणभोज है, सब रसोई तैयार होगई, और आज रात्रिको उसी घरमें किसी दूसरे आदमीकी मृत्यु होजाती है । फिर भी उसे फूंक कर दूसरे दिन ही मरणभोज किया जाता है और शुद्धिके ठेकेदार दयाहीन जैनी वहां जीमने चले जाते हैं । मैं पूछता हूँ कि क्या वहाँ पर अशुचिता नहीं लगती ? क्या अपवित्रतामें ऐसा विमाग हो सकता है कि यह तो असुक आदमीके मरणकी अपवित्रता भी जो दूर होगई, और अब दूसरेकी प्रारम्भ होती है जो हमारे लड़दुखों पर असर नहीं कर सकती ? इसे स्वार्थ, गृद्धपन या लड़दुखक्किके सिवाय और क्या कहें ? पाठक आगेके प्रकरणोंमें ऐसी घटनाओंको देखेंगे ।

एक बात और भी है कि कहीं जगह तेरहवें दिन, कहीं जगह महीने दो महीने, वर्ष दो वर्ष या बारह वर्ष बीत जानेपर भी मरणभोज किया जाता है । ऐसे कहीं उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं और समाज भी जानती है । तब क्या उन लोगोंको इतनी लम्बी अवस्था कह मरुद्ध ही माना जाता है ? नहीं, वे मरणभोज न करनेपर भी

तेरहवें दिन स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं और दानपूजादि सतकर्म करने लगते हैं ।

जहापर मरणमोजकी कठई बंदी कर दी गई है या जहा ४०-४५ वर्षके पूर्वका मरणमोज नहीं होता वहा भी तो तेरहवें दिन (मरणमोज न करनेपर भी) स्वयमेव शुद्धि होजाती है और वह दान पूजादिका अधिकारी होजाता है । वर्तमानमें भी ऐसे घरोंमें मुनिराज आहार लेते हैं और वे लोग पूजादि करते हैं । तात्पर्य यह है कि यह कालशुद्धि है जो तेरहवें दिन स्वयमेव होजाती है । इसमें मरणमोज कार्यकारी नहीं है । शास्त्रोंमें भी कालशुद्धिपर ही जोर दिया है और लिखा है कि —

ब्राह्मणक्षत्रियविद्शृङ्। दिनैः शुद्धयन्ति पञ्चभिः ।

दश द्वादशभि पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १५३ ॥

—प्राचीनसम्बन्ध चूलिका ।

अर्थात्—ब्राह्मण क्षक्षिय वैश्य और शूद्र अपने किसी स्वजनके मरजाने पर क्रमसे पाच दिन, दश दिन, बारह दिन और पद्धति दिन बीत जानेसे शुद्ध होते हैं । (टीकाकार प० प्राचीनलज्जी सोनी )

इससे बिलकुल स्पष्ट है कि वैश्य लोग १२ दिन बीत जानेसे स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं । मरणमोज आदिकी मिथ्यारूढि तो ढोगी लड्डू छोलुपियों द्वारा चलाई गई है और ऐसे लोग ही इसकी पुष्टि करते रहते हैं ।

यहा तो मात्र १० शंकायें उठाकर ही उनका बयानोम्य समाधान किया गया है । किन्तु और भी जो माई इस सम्बन्धमें किसी

तरहकी शंका करेंगे उनका मैं यथाशक्य समाधान करनेके लिये तैयार हूँ। मैं देखता हूँ कि समाजमें मरणभोजके विषयमें प्रायः ऐसी या इस प्रकारकी ही शंकायें बहुधा की जाती हैं जिनका उल्लेख और समाधान किया जाचुका है। आशा है कि इनसे मरणभोज भोजियोंका कुछ समाधान असङ्ग होगा।

## समदत्ति और लान।

जैन समाजके किये यह दुर्भाग्यकी बात है कि उसके पीछे अनेक विनाशक रूढियाँ कर्गी हुई हैं। जिस मरणभोजके विषयमें मैं अभी लिख आया हूँ उतने मात्र हीसे समाजका छुटकारा नहीं होने पाता, किन्तु कई प्रातोंमें मरणोरक्षकमें लान भी बाटी जाती है। और इसका अधिकतर रिवाज खण्डेलवाल जैनोंमें है। दूसरी कई जैन जातियोंमें भी इसका रिवाज है। इस रिवाजने भी जैन समाजकी खूब दुर्दशा की है। इस पर भी दुख तो इस बातका है कि इसे हमारे कुछ मरणभोजिया पण्डित धर्मका अङ्ग और समदत्तिका रूप बताते हैं, जिससे भोली जनता उसे नहीं छोड़ सकती।

‘हमारे कई पाठक संभवत. लान’ को नहीं जानते होंगे। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके उपरक्ष्यमें कई स्थानोंपर वर्तन आदि बाटनेका रिवाज है। उसे लान (लाण या लानी-लाणी) कहते हैं। इस मिथ्या बाहबाहीमें हजारों रुपया बर्बाद किये जाते हैं। गरीबोंको भी देखा देखी यह कार्य करना पड़ता है और वे ऐसा करके सदाके लिये मिट जाते हैं।

कुछ त्रिवर्णाचारी पिण्डत जैसे मरणभोजको आवश्यक क्रिया बताते हैं वैसे लानको भी धर्मका आवश्यक अंग और समदत्ति कहते हैं। इस प्रकार आर्षज्ञाका विचार न करके केवल रूढिको ही धर्म मान लेना कितना भयंकर अज्ञान है। ब्राह्मणों और कुछ भोजनमट्ट मट्टारकोंकी कृता से जैन समाजमें मरणभोज ही नहीं, किन्तु श्राद्ध, तर्पण, गौदान, पीठ पूजा, पिण्डदान और ऐसी ही अनेक मिथ्या मान्यतायें छुम गई हैं। और वे सब त्रिवर्णाचारादि रचकर धर्मज्ञाके रूपमें सामने रखी गई हैं। उन्हींमेंसे मरणभोज और मरणोपक्रमें लान बाटना भी है। लेकिन सचमुचमें लान या मरणभोज श्राद्धका रूपान्तर है जोकि जैनशास्त्रानुसार मिथ्यात्व माना गया है।

मैं मरणभोज और लानको श्राद्धका रूपान्तर इसलिये कह रहा हूँ कि वह मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया जाता है जो कि मरणभोजिया पिण्डतोंके कथनानुसार समदत्ति-दान कहा जाता है। ऐसे दानका निषेध प० आशाघरजीने सागारधर्ममृत अध्याय ५ इलोक ५३की टीकामें किया है। उनने लिखा है कि—

“ श्राद्धं मृतपित्राद्युद्देशेन दानम् । ”

अर्थात्—मृत पितादिके उद्देश्यसे दान करना श्राद्ध है और वह “ न दद्यात् ” नहीं देना चाहिये। उनने ऐसे श्राद्धको (सुदृगदुहि श्राद्धादौ) सम्यक्तका बातक बताया है। इसलिये लानके नामपर बर्तन बाटना या समदत्तिके नामपर मरणभोज देना एक प्रकारका श्राद्ध है और सम्यक्तका बातक होनेसे त्याज्य है।

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि जब मरणोपक्रममें बर्त-

नादिका दान ( लान ) देना मिथ्यात्व है तब आपने अपने स्व० पिताजीके नामपर यह पुस्तक वयों वितरण की । इसका समाधान तनिक ही विवेकपूर्वक विचार करनेसे होजाता है । लान ( वर्तन ) बाटना एक प्रकारका परिग्रह देना है । किन्तु पुस्तकादि परिग्रह नहीं है । परिग्रहपूर्ण दान देनेका जैनाचार्योंने निषेध किया है । यथा:-

जीवा येन निहन्यन्ते येन पात्र विनश्यति ।

गगो विवर्द्धते येन यस्मात् सपष्टते भयम् ॥ ९-४४ ॥

आरम्भा येन जन्यते दुःखितं यच्च जायते ।

धर्मकार्मैर्न तदेयं कदाचन निगथते ॥ ९-४५ ॥

—अभितरणति शावकाचार ।

अर्थात्—जिससे जीवोंका धात हो, पात्रका विनाश हो, राग बढे, भय उत्पन्न हो, आरम्भ हो, दुखी हो वह वस्तु धर्मवाल्डक पुरुषों द्वारा नहीं दीजानी चाहिये ।

यहापर परिग्रहकारी द्रव्य वर्तन आदि देनेका निषेध किया है । किन्तु पुस्तकों-ग्रंथोंका वितरण करना न तो आरम्भ परिग्रहकारी है और न वह अनर्थकारी-दुस्दायी है । ग्रंथोंको तो अपरिग्रही मुनिराज भी ग्रहण करते हैं । इमलिये यदि किसीको मृत व्यक्तिके स्मरणार्थ द्रव्य व्यय करना है तो वह 'शास्त्रदान' कर सकता है । किन्तु 'समदत्ति' की ओटमें 'लान' नहीं बाट सकता । वह तो सरासर मिथ्यात्व है । शास्त्रदानको 'लान' नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो स्वतंत्र शास्त्रदान है जो चार दानोंमेंसे एक ही प्रज्ञोत्तर श्रावक चारमें "द्रव्यदानं न दातव्यं सुपुण्याय नरैः कन्तु" कह कर द्रव्य दानका निषेध किया है, किन्तु शास्त्र दानका कहीं भी निषेधनहीं किया गया ।

जैन समाजका यह दुर्मिश्र है कि कुछ दुराग्रही लोगोंकी कृपासे यहां मरणमोज तथा लान आदिका दौरदौरा है और उसे समदत्ति दान कहकर धार्मिकताका चोका पहनाया जाता है । किन्तु उन्हें इसका विचार ही नहीं कि वह धार्मिकता किस कामकी जिससे सैकड़ों घर बर्बाद हो जाय और लोग जीवनभर चिन्ताकी चितामें जलते रहें । सहदयतासे विचारिये कि मरणमोज और लान समदत्ति है या जीवनदत्ति ?

कुछ लोग मरणमोज और लानको “पात्रदत्ति” भी कहते हैं । किन्तु यह भी सरासर मूर्खता है । कारण कि शास्त्रमें पात्र दान करना पुण्य और सद्माग्यका विषय बताया है । ऐसी स्थितिमें यदि किसीका पुत्र या पति मर जावे तो क्या उसकी माता और पत्नीको पुण्योदय या सौभाग्यका विषय मानना चाहिये ? क्योंकि उसे पात्र-दत्तिका पुण्यावसर मिला है ! यदि नहीं तो मरणमोज और लानको पात्रदत्ति कहनेवाले अपने दुराग्रहको क्यों नहीं छोड़ देते ?

पात्रदत्ति तो वह है जिसमें दाना पात्र अपात्र कुपात्रकी परीक्षा करे और सत्यात्रको ही दान दे । किन्तु लान या मरणमोजमें तो पात्रादिका कोई विचार नहीं होता । वह तो जैन और जैनेतर सभी व्यवहारी जनोंको दिया जाता है । इसलिये भी इसे पात्रदत्ति कहना भयंकर मूल है । दूसरी बात यह है कि लान और मरणमोजमें शामिल होनेवाले जैन कोई मिक्षुक तो है नहीं कि उन्हें दान दिया जाय । यह तो अद्ले बदलेका व्यवहार चला आरहा है । और जब यह आज समाजके लिये घातक सिद्ध होरहा है तो इसे सहर्ष छोड़ देना चाहिये ।

## मरणभोज निषेधक कानून ।

यदि समाज इस मर्यादक प्रथाका स्वेच्छासे त्याग नहीं करेगी तो वह समय दूर नहीं है जब उसे यह प्रथा कानूनन छोड़ना पड़ेगी । विचारी गरीब और विधवाओंको शक्ति न होने पर भी देखादेखी, नाक रखनेके लिये, पत्नोंके भयसे अपने पति और पुत्रोंका मरणभोज करना पड़ता है तथा 'लान' में हजारों रुपया बर्बाद कर देना पड़ते हैं । यदि समाजका यह पाप जल्दी दूर नहीं हुआ तो इसके लिये जल्दीसे जल्दी कानून बनाया जाना आवश्यक है । समाज-हितैषियोंको इस और शीघ्र ही विचार करना चाहिये ।

यहाँ कोई यह कह सकता है कि हमारे सामाजिक एवं व्यक्ति गत कार्योंमें कानूनी दखलकी कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह तो मात्र मनोकलना है । जब जनता ऐसी रुद्धियोंमें कमी रहती है जिनसे उसका विनाश होता रहता है तब उनसे छुटकारा दिलानेके लिये कानूनकी आवश्यकता होती है । शारदा एकट हमारे सामने है । अपने लड़के लड़कीका विवाह कब कहा और किस आयुमें करना यह माता पिताका व्यक्तिगत कार्य है । किन्तु जब समाजने मूढ़तावश छोटे छोटे बच्चोंका भी विवाह रचाना शुरू कर दिया और वह अनेक सामाजिक आनंदोक्त होनेपर भी नहीं रुका तब समाजके सामूहिक हितकी दृष्टिसे शारदा कानून बना । इसी प्रकार यदि समाजने मरणभोजकी आतक प्रथाको नहीं छोड़ा तो यह निव्वित है कि उसे रोकनेके लिये कानून बनाया जाबगा । हर्षका विषय है-

कि कुछ देशी राजयोंका ध्यान इस ओर गया है और उनने इस प्रकार कानून बनाये हैं।

(१) ज्वालियर स्टेट—मैंने तारीख २७ जून सन् १९३६ के ज्वालियर गजटमें प्रगट हुआ 'मुसचिवदा कानून नुक्ता' देखा था। वह किस रूपमें पाप हुआ सो तो मुझे मालूम नहीं, किन्तु उसका सारांश यह है कि—“चूंकि बफातके बाद या उसके सिलसिलेमें जो क्रौमी स्वाने कदीमी रिवाजकी बिना पर दिये जाते हैं और फिजूलखर्ची की जाती है उस पर जब्त कायम किया जाये तो कि आवामकी तरफसे फिजूलखर्चीकी रोक हो और उनकी आर्थिक हालत सुधरे। इस लिये हुक्म फरमाया जाता है कि—नुक्तामें वह स्वाना शामिल है जो मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे (मौसर, तेरहर्वी, चालीसवा) दिया जाता है। हा, जिन्हें इस विषयमें धार्मिक विश्वास है उसकी रक्षाके लिये इस कानूनमें अपने स्वानदानके अधिकसे अधिक ५१ आइमियोंको जीमनेकी छूट रहेगी। मरणो-पलक्षमें लान (वर्तन आदि) बाटना भी कानूनके खिलाफ होगा। इस कानूनका पालन करनेपर यदि कोई पंचायत किसी प्रकारकी घमकी दे, दबाव डाले, बहिष्कार करे या दंड देगी तो वह अपराधी ठहराई जायगी। तथा जो व्यक्ति इस कानूनका भंग करेगा उसे ५०० जुर्माना और एक सप्ताह तककी सजा होगी।

यदि ऐसा खिलाफ अमल कोई जाति या पंचायत करेगी तो उसका प्रयेक मेम्बर अपराधी माना जायगा। किसी भी मनिष्ट्रोटको इचला मिलनेपर कि कोई नुक्तादिकी तैयारी कर रहा है तो वह उसे

## करण्यांज निरेक्षक कानून ।

ऐसा न करनेको नोटिस देगा । फिर भी यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसे १०००) जुर्माना और एक माह तककी सजा होगी । नुक्ता करनेवालेके विरुद्ध यदि कोई दावा दायर करे और उसमें अपराधी सजाबाब हो तो अदालत उसके जुर्मानेमेंसे आधी रकम दावा करनेवालेको इनाम दे सकेगी और गलत साबित होनेपर १००) तक दण्ड भी कर सकेगी ।'

(२) होल्कर स्टेट-इन्डौर नुक्ता कानूनकी स्वीकृति होल्कर स्टेटके लिये महाराजा साठने १० जून सन् १९३१ को दी थी और ताठ १५ जून ३२से उसका अप्रयोग किया जारहा है । इस कानूनका सार यह है—“ नुक्ता शब्दमें मोसर, चहलम, बरसी, छमासी मृत्यु संबंधी रसोई, व इतर ऐसे भोजोंका समावेश होगा जो किसी मनुष्यकी मृत्युके उपलक्ष्यमें किये जायं । कोई भी व्यक्ति अपने यहा किसी नुक्तेमें १०१ से अधिक मनुष्योंको भोजन नहीं जिमा सकेगा । आर्थिक परिस्थितिकी चौकसी करके निलाधीश ४०० व्यक्तियों तकके जिमानेकी स्वीकृति दे सकेगे । इस सम्बन्धामें अधिक किसी सूतमें भी नहीं जिमाये जा सकेंगे । इस संबन्धामें उन रिक्नेदारोंका समावेश नहीं होगा जो मृतकक कुटुम्बियोंके साथ समवेदना प्रगट करनेके लिये आये हों । बशर्ते कि उन्हें नुक्तेका निमंत्रण भेजकर न बुलाया हो ।

कोई भी व्यक्ति किसी मृत्युके संबंधमें लान या दीगर नामसे अपनी जातिमें बर्तन नहीं बाट सकेगा । किसीको यह अधिकार न होगा कि वह दूसरे किसी व्यक्तिको बजरिये दबाव या घमकी या

नसीहतके या किसी दूसरे तरीकेसे नुक्का करने या कान बांटनेकी डनेजना दे । जो इसके स्थिलाफ कार्य करेगा उसे ५००) तक जुर्माना या एक हफतेकी सजा या दोनों सजायें दी जावेंगी । इस कानूनके स्थिलाफ कार्य होनेकी इत्तला यदि मजिष्ट्रेटके पास पहुँचे तो वह उसे रोकनेके लिये नोटिस देगा । और यदि उसका पालन न किया गया तो १०००) जुर्माना या एक महीनेकी सजा या दोनों सजायें दी जा सकेंगी । कानूनके स्थिलाफ काम करनेवालेकी इचका अदालतमें देनेवालेको जुर्मानेकी आधी रकम तक दी जा सकेगी । ”

इसी प्रकार अलवर और जोधपुर आदि स्टेटमें भी नुक्का निषेधक कानून बनाये गये थे, किन्तु वे अधिक समय तक नहीं चले । कारण कि उनमें बहुत ढीक और छूट थी तथा उस ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया गया । ग्वालियर और होशकर स्टेटके कानून भी यद्यपि बहुत ढीके हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो प्रतिबंध रहेगा ही । मुझे जहातक मालूम हुआ है इन्दौरमें लोग मरणभोज न करके जलयात्रा, स्थयात्रा, स्वामित्वसल आदिके नामपर जिमाने हैं इसलिये कानूनका ठीक अमल नहीं होने पाता । दूसरी बात यह है कि धार्मिक दृष्टिका विचार कर मरणभोज भोजियोंकी संस्था भी निश्चित की गई है, जो इन्दौर स्टेटमें तो बहुत ज्यादा है । फिर भी इन कानूनोंसे जो जितना प्रतिबन्ध हो सके उतना ही ठीक है ।

इन कानूनोंमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसीको भी ‘कान’ बांटनेकी छूट नहीं दी गई है । और मरणभोज विरोधी

फरयाद करनेवालेको (मुकदमेमें ६४३ होनेपर) इनाम देनेकी घोषणा की गई है। इसलिये युवकोंको साहसपूर्वक हन कानूनोंका उपयोग करना चाहिये। यदि इसी प्रकार या इससे भी कड़ा कानून बृटिश भारतमें बन जाय तो देशका बहुत भला हो। मरणमोजके बोझसे भारतीय समाज मरी जा रही है। वेश हितैषियोंका कर्तव्य है कि वे उसे शीघ्र ही बचा लें। जैन समाजमें से तो यह पाप सबसे पहले निफल जाना चाहिये। इसके लिये हमारी परिषद आदि संस्थाओं और जीवित युवक संघोंको प्रयत्न करना चाहिये। प्रयत्न और आन्दोलनका प्रभाव तत्काल होकर भी धीरे धीरे तो अवश्य होता है। इसलिये हमें प्रयत्न करना चाहिये कि जनसत मरणमोजके विरुद्ध हो जाय।

## मरणमोज विरोधी आन्दोलन ।

जब तक समाज किसी कार्यके हितादितको नहीं जान पाती वहा तक उसे छोड़ नहीं सकती। इसलिये अन्य कुरुद्वियोंकी भाँति मरणमोजके विरुद्ध भी पब्ल आन्दोलन होनेकी आवश्यकता है। कुछ वर्षोंसे हमारी सामाजिक समाचों और युवक संघों आदिका इस ओर ध्यान गया है। और उनने मरणमोज विरोधी प्रस्ताव करके या मरणमोजकी अमुक आयु निश्चिन बरके इस पापको कुछ हड़का किया है।

जैन समाजमें सबसे पुगनी समा मा० दिग्म्बर जैन महासभा है, किन्तु दुर्मियकी बात है, कि उसने मरणमोजके विरुद्ध कोई प्रयत्न नहीं किया। यह कर्ती भी कैसे? कारण कि आज भी उसके

कर्ता वर्ता मरणभोजको धार्मिक, आवश्यक, समदत्ति, पात्रदत्ति और न जाने क्या क्या समझते हैं। किन्तु अन्य जातीय समाओं, युवक संघों, पंचायतों तथा परिषद आदि द्वारा कभी कभी प्रयत्न होता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज समाजके कुछ मागमें मरणभोजके प्रति धृणा उत्पन्न होगई है।

### परवार सभाका प्रयत्न—

दिग्म्बर जैन समाजमें 'परवार सभा' यद्यपि जातीय सभा थी, किन्तु उसने मरणभोजके विरुद्ध खूब आन्दोलन किया था। सन् १९२५ में उपके पपौराक अष्टमाधिवेशनमें श्री० सिंघर्झु कुंवरसेनजी सिवनीने न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णके सभापतित्वमें एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। प्रस्ताव रखने हुवे आपने कहा कि —

परवार समाजमें जो मार्ग ज्ञवन नारकी प्रथा है वह इस प्रकार है "जिसका अभिसस्कार हो उसकी जीवनवार अनश्य हो।" किन्तु आजकल तीस वर्षमें कम उमरकी मृत्यु संस्त्या अविक होती है और इनकी जीवनवारोंमें जो लोग भोजन करने जाते हैं उन्हें अपना कलेजा पथका रना पड़ता है। घरमें गोना पीटना हो गा है, जीमनेवाले दिनमें रोने हुए भोजन करते हैं। जीवनवारकी प्रथा कोई शास्त्रोक्त नहीं, इसके बन्द करनेमें धर्मका नाश नहीं। आज भी अनेक दिग्म्बर जैन जातियोंमें जीवनवारकी प्रथा बन्द है। अपने यहा भी जिस बालकका मृतक सस्कार होता है उसकी जीवनवार नहीं होती। इन सब बातोंपर बह्य करके यह

प्रस्ताव पास किया जावे कि—“ ४० वर्षमें कम उमरकी मृत्यु होनेपर उसका जीवनबार बिलकुल न हो । ”

यद्यपि यह प्रस्ताव बहुत सीधा सादा था और इसमें ४० वर्षकी ही हद रखी गई थी, फिर भी कुछ लोगोंने उसमें ऐसे संशोधन पेश किये जो जैन समाजको कलंकित करनेवाले हैं। इनसे छात होजायगा कि जैन समाजमें मरणमोजका कितना जचन्य मोह है। उन संशोधनोंके कुछ नमूने इनपक्षार हैं—

१—कुछ कन्याओंको तो जिमना ही चाहिये । २—जितने लोग अरथीके साथ रमशान जावे उन्हें निमाना चाहिये । ३—पन्द्रह वर्षसे अधिक आयुके मृत व्यक्तिका मरणमोज किया जाय । ४—अविवाहितकी जीवनबार न करके विवाहितोंका मरणमोज किया जाय । ५—यह पुणी पथा है, धर्ममें इसका सम्बद्ध है (?) इमलिये इसे नहीं तोड़ना चाहिये । ६—चालीस वर्ष अधिक होजाते हैं, इमलिये वीस वर्ष तककी ही आयु रखनी चाहिये । इत्यादि ।

जहाँ इसपक्षारके विचित्र स्कोव । पेश किये गये थे वहाँ हमारे बुन्देलखण्डके अनेक विचारशील श्रीमानोंने इन संशोधनोंका डटकर विरोध भी किया और निर्मीठतपूर्वक इसपक्षार अपने विचार प्रगट किये थे—

( १ ) सिंघई कुँवरसेनजी सिवनी - धर्मशास्त्रोंमें तेष्टवें दिन केवल शुद्धिका लेख है उसका जीवनबारसे कोई सबर नहीं है । शुद्धिके लिये भोजन आवश्यक नहीं है । इसे धार्मिक कहकर अद्वितीय न लगाना चाहिये । इस रुद्धिके चान्दू रहनेसे समाजकी

बही हानि होरही है । वही जैन जातियोंने यह रुद्धि बन्द भी कर दी है । इसलिये अपनी समाजमें यह रुद्धि बन्द करना नहीं चाहता है । इसका शीघ्र ही बन्द किया जाना ज़रूरी है ।

( २ ) बाबू कस्तूरचन्द्रजी बकील जबलपुर-यह सभा तेरहींकी वर्तमान प्रवृत्तिको निन्दनीय समझकर घृणाकी इष्टिसे देखती है, इसलिये बन्द की जावे ।

( ३ ) सेठ पञ्चालालजी टड़या ललितपुर-यह पथा बहुत भद्दी है । एकवार हमारे यहा चौधरीजीके घर ऐसा मौका आ पड़ा था कि घरवाले शोरुके मारे रो रहे थे, उधर भोजन फरने-वालोंको सिर्फ अपनी ही चिन्ता थी । वास्तवमें यह पथा बहुत बुरी है । हमें उनकी बातोंपर बहुत रंज होता है जो ताना मारमारकर ओजन खाते हैं । जो विभिन्नमें फूपा हुआ है उसके यहा भोजन करना ताना मारना है । यह सर्वथा अनुचित है ।

( ४ ) सेठ मूलचन्द्रजी बहुआसागर-सिर्फ कमीनोंको खिलाना चाहिये । लोगोंपर हस बातका अक्षेत्र न किया जावे कि इसने तेरहीं नहीं दी ।

( ५ ) पं० मौजीलालजी सागर-ये कैसे फठोर हृदय हैं जो कहते हैं कि दम वर्ष तकका मरणमोज न किया जाय । अरे ! यह तो इतनी भद्दी पथा है कि किसीका भी नुकता न करना चाहिये, चाहे गरीब हो या अमीर । सभीको एक नरहका व्यवहार करना चाहिये ।

( ६ ) सेठ लालचन्द्रजी दमोह-हमारी जातिमें यह

एक रुढ़ि होई है । इसे बन्द कर देना चाहिये । पंगत करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

( ७ ) सेठ चन्द्रभानजी बमराना—मैं सिंघई कुंबर-सेनजीके प्रस्तावका समर्थन करताहूं, अर्थात् यह नुक्तेकी प्रथा बन्द करदी जावे ।

( ८ ) श्री देनीप्रसादजी—जो सेठजी साहबने कहा वही पास करना चाहिये ।

( ९ ) बाबू गोकुलचन्द्रजी बकील—यह लड्डुओंकी बात है, जब्दी न छूटेगी, नहीं तो यह प्रथा इतनी भद्दी है कि विना प्रस्ताव पास किये ही छूट जाना चाहिये थी । एकवार हमारे यहा ( दमोहमें ) पंचोने एक मनुष्यसे कहा कि तुम्हे चारों पुण्यकी पंगत देना पड़ेगी । किन्तु समय थोड़ा था, इसलिये रात रातभर तैयारी करना पड़ी । और बेसन पीसनेवाली मुखिया अपना समय काटनेके लिये रातभर आनन्दके गीत गाती थीं । जगा विचारनेकी बात है कि घरमें तो मात्र है, किन्तु इस भोजके पीछे आनन्दके गीत गाये जाते हैं । यह लज्जित करनेवाली प्रथा है ।

बुन्देलखण्डके इन मुखिया श्रीमानोंके उद्धार पदकर किसे संतोष और हर्ष न होगा ? यदि सचमुच ही उक्त मुखिया कोग अपने बचनोंका पालन करते कराते तो कमसे कम बुन्देलखण्ड प्रान्तसे तो यह पाप कभीका उठ जाता । किन्तु बुन्देलखण्ड प्रान्तका यह दुर्मिय है कि वहीं मरणमोजकी अति भयंकर एवं दयनीय घटनाएं होती रहती हैं ।

## स्वातुभव।

कहीं पर यदि मरणभोजके लिये मृत व्यक्तिकी अमुक आयुकी हव चाही गई है, फिर भी उसपर चकना तो कठिन ही है। कोई व्यक्ति मरणभोज न करना चाहे तो उसकी नगरमें चर्चा होती है, उसकी बुराई की जाती है और उसपर विविध रूपमें ऐसा दबाव ढाला जाता है कि उसे मरणभोज बलात् करना ही पड़ता है।

मेरे जीवनमें ऐसे तीन अवसर आये हैं। एक तो नवम्बर सन् १९२८ में मेरी माताजीका स्वर्गवास होगया था। उस समय चारों तरफसे दबाव ढाला गया था। मैं उस समय विद्यार्थी था। लोगोंकी बातोंमें तथा कुटुंबियोंके दबावमें आकर माताजीका मरणभोज करना पड़ा। यदि सच पूछा जाय तो उस समय मुझे घरके कार्य करने घरनेका अधिकार ही क्या था? इसलिये वह मेरे द्वारा नहीं किया गया था, किंवा भी मैं हटका विरोध नहीं कर सका। फिर नवम्बर सन् ३१ में हमारे बड़े भाई श्री० बंशीधरजीका ३२ वर्षकी आयुमें ही स्वर्गवास हुआ। उस समय भी कुछ लोगोंने मरणभोजके लिये मुझे दबाया, मगर मैं हड़ था। कुछ सज्जन मुझे साहस और साथ देनेके लिये भी तैयार थे। मैं इससे पूर्व ही निश्चय कर चुका था कि न तो मैं मरणभोज करूंगा और न ऐसे पापकुत्यमें सम्मिलित ही होऊँगा। इसलिये मैंने सबसे ढढतापूर्वक कह दिया कि यह मरणभोज कदापि नहीं होगा। तब इस सम्बंधमें खूब चर्चा होती रही।

विरोधी चर्चा होते देखकर मैंने मुखिया लोगोंसे मिलना शुरू

किया । उनसे पूछा कि क्या आप लोग ऐसे मरणभोजके लिये भी तैयार हैं कि वृद्ध पिता जीवित है और युवक पुत्र मर गया है ? तब मुझसे सबने प्रत्यक्षमें तो इंकार कर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर विरोधी चर्चा चलती रही । सबसे अधिक कठिनाई तो यह थी कि मेरे कुटुम्बीजन स्वयं मरणभोजके लिये आग्रह कर रहे थे । कारण कि उन्हें नाक रखनेकी पड़ी थी ! किन्तु हमारे पिताजीके विचार मेरे साथ मिलते जुलते थे । वे वृद्ध होकर भी वर्तमान समाजसुधारको प्राप्तः प्रसंद करते थे । बस, फिर क्या था ? मेरा दिल दूना होगया और भाईका मरणभोज नहीं होने दिया ।

उधर लक्षितपुरकी विचारशीक पंचायतने भी यह प्रस्ताव कर किया कि ४० वर्षसे कम आयुवालेका मरणभोज न किया जाय । इस समाजमें हमारे नगर (लक्षितपुर) के मुख्या स्व० सेठ पञ्चालालजी टड़ैयाने बड़ा ही प्रभावक भाषण दिया और साफ साफ कह दिया कि मरणभोजकी प्रथा धार्मिक नहीं है, किन्तु समाजपर यह एक भारी बोझ है । अपने पूर्वजोंकी सभी बातोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये । हमें कुछ विवेकसे भी तो काम लेना चाहिये । कमसे कम ४० वर्षके नीचेका मरणभोज नहीं किया जाय । और ४० वर्षसे ऊपर भी मृतव्यक्तिके कुटुम्बियोंकी इच्छापर रक्खा जाय । इसी विषयपर अनेक भाषण हुये थे और श्री० टड़ैयाजीके कथनानुसार प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास होगया था ।

उस प्रस्तावका लक्षितपुरमें अधिकांश पालन हुआ, किन्तु ४० वर्षसे ऊपरकी मृत्युके भोज बन्द नहीं हुये । लेकिन जब गत वर्ष

बवद्धवर १९३६ को हमारे पिताजीका स्वर्गवास हुआ तब हमारे ऊपर कई लोगोंने दबाव डाका कि वृद्धपुरुषका तो मरणभोज करना ही चाहिये । किन्तु मैं युवा या वृद्धके मरणभोजको ही नहीं, मरणभोज मात्रको अमानुषिक भोज मानता हू । इसलिये मैंने तो सबसे साफ इंकार कर दिया । और मरणभोज नहीं होने दिया । दैवयोगसे कलित्पुरमें कुछ भाई मेरे अनुकूल भी थे और कुछ मध्यस्थ भी रहे । आखिरकार मरणभोज नहीं हुआ और यह चर्चा गावमें बहुत दिन तक चलती रही ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जबतक खूब डटकर मरणभोज विरोधी प्रचार नहीं होगा । तबतक यह मरणभोजकी प्रथा नहीं मिट सकती । मनुष्योंकी परम्परागत मावनाका मिट जाना सरल नहीं है । प्रस्ताव, प्रचार और अनेक उपाय होनेपर भी लोगोंकी रुद्धि नहीं बदलने पाती । वे तत्काल प्रभावित भले हो जायं मगर समय आनेपर फिर जैसेके तैसे होजाते हैं । जिसके घर मृत्यु होजाती है वह हृदतापूर्वक ढटा रहे तथा चारों तरफके विविध आकर्मणों एवं लोगोंकी टीका टिप्पणियोंको सहता रहे, यह सरल कार्य नहीं है ।

हमारे पिताजीकी आयु फरीब ६० वर्षकी थी, इसलिये कुछ लोग तो मुझसे अधिकारपूर्वक कहते थे कि तुम्हारे बापकी मृत्यु तो वृद्धवस्थामें हुई है और तुम दोनों भाई कमाते हो, फिर लोभ किस बातका ? कोई कहता था कि भाई ! तुम्हें ऐसी प्रथा पहले अपने घरसे प्रारम्भ नहीं करनी चाहिये । कोई हितैशीके रूपमें कहता कि वहे रूपमें नहीं तो सावारण तौरपर ही करदो । इतना ही नहीं,

किन्तु कुटुम्बीजन तो मुझे खूब भला बुग कहते थे और कई तरह से मुझे शर्मिंदा करते थे । कुछ विवेकी सज्जन मुझे इस विरोध में भी टिके रहने के लिये प्रोत्साहित करते रहते थे ।

तात्पर्य यह है कि मैं स्वानुभव से इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मरणभोज न करना चाहे तो उसे इस तरह शर्मिंदा किया जाता है कि उसका टिका रहना अशक्य सा हो जाता है । इसलिये मैं ममझता हूँ कि ४० या कम बढ़ वर्ष की कोई मर्यादा न रखकर मरणभोज मात्र बन्द कर दिया जाय, चाहे वह जीवन का हो या बूढ़ेगा । जैन समाज पर लड़े हुये इस भयानक पाप को जल्दी से जल्दी मिटाने का प्रत्येक युवक और संस्थाओं का कार्य है ।

### परिषद् का प्रथल ।

हमारी तमाम जैन संस्थाओं से भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् ने मरणभोज के विरुद्ध सबसे अधिक आनंदोक्तन किया है । उसके अनेक उत्सवों में मरणभोज विरोधी प्रस्ताव होते रहे हैं । समाज पर इस आनंदोक्तन का यत्किञ्चित् प्रभाव भी पड़ा है । किन्तु सतनाके गत १३ वें अधिवेशन में इस अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध जो अमली कार्य हुआ था वह समाज के शुभ भविष्यका सूचक है । मैंने दूसरे दिन ( ता० १२-४-३७ ) की बैठक में इस प्रकार प्रस्ताव रखा था -

“मरणभोज की प्रथा जैन धर्म और जैनाचार के सर्वशा विरुद्ध तथा अनावश्यक एवं असम्यताकी ओतक है, इसलिये यह परिषद् पुनः प्रस्ताव करती है कि इस घातक प्रथा को शीघ्र बंद कर दिया

जाय। और समाजसे अनुरोध करती है कि वह किसी भी आयुके स्त्री पुरुषका मरणभोज न करे और ऐसे बातक कार्यमें करती ही मार्ग न ले। साथ ही मरणोऽलक्ष्में माझी व लान न बाटे।”

इस प्रस्तावके विवेचनमें मैंने अनेक करुणाजनक सच्ची घटनायें पेश की और इस अत्याचारपूर्ण पथाके विनाशके क्लिये जनतासे अपील की। घटनाओंको सुनकर श्रोताओंका हृदय कांप उठा। जिसका परिणाम यह हुआ कि कर्म एक हजार स्त्री पुरुषोंने उसी समय मरणभोज त्यागकी प्रतिज्ञा करली। मेरे प्रस्तावके समर्थनमें श्री० चिरंजीलालजी मुंसिफ अलवर, सेठ पदमराजजी जैन रानीबाले कलकत्ता, पं० अर्जुनलालनी सेठी आदि अनेक विद्रान नेताओंने मार्ग दिये थे।

**श्री० सेठ पदमराजजी जैन रानीबालोंने कहा—**  
यह कितने दुखकी बात है कि आज इस युगमें भी जैमोंमें मरणभोजकी अमानुषी पथा प्रचलित है। आजमें १५ वर्ष पूर्व मैंने अपने मित्र समूह सहित इपण खूब विचार किया और कार्यवाही की थी। किन्तु अभीतक यह पथा बन्द नहीं हुई। समाज सुधार छिपनेसे नहीं होगा। स्पष्ट कहिये कि हमारे समाज सुधारमें बाबक कौन है? उत्तरमें कहना होगा कि वे पच नामधारी पुतले ही बाबक हैं जिनके दुश्शरियोंका नाम तक लेते नहीं बनता। हमें उनकी परवाह न करके साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिये। और इन समाजधारनी पथाओंका शीघ्र ही विनाश करना चाहिये।

**श्री० पं० अर्जुनलालजी सेठीने कहा:—**अभी परमे-

श्रीवासने नरकोंडा वर्णन ( मरणभोजकी करुणापूर्ण घटनायें) सुनाया है । पंचोंने वह नरक कहानी तैयार की है । इसलिये तुम हन नार-कियोंमें शामिल मत होना और मरणभोजकी प्रथाका जल्दी ही मुंह काला करना ।

इसी प्रकार कई विद्वानोंने अपने उद्धार प्रगट किये । जिसका प्रभाव यह हुआ कि उसी समय करीब १०० अग्रगण्य स्त्री पुरुषोंने तो स्टेजपर आकर विवेचन किया और प्रतिज्ञायें की कि अब हम मरणभोजमें कतई भाग नहीं हेंगे । सेठ घरमदासजी और दयाचंदजी सतनाने घोषणा की कि हमारे सरना नगरमें किसी भी जैनका मरणभोज नहीं होगा । सेठ घरमदासजीने अपनी माताका मरणभोज न करनेकी प्रतिज्ञा की और १५०) परिषद्को दान दिये । अनेक नगरोंके वृद्ध तथा युवकोंने प्रतिज्ञायें की कि हमारे यहा अब मरण-भोज नहीं होगा । करीब १००० स्त्री पुरुषोंने मरणभोज विरोधी प्रतिज्ञापत्रोंपर अपने दस्तखत किये, जो इसप्रकार है—

“ मुझे विश्वास होगया है कि मरणभोजकी प्रथा जैन धर्म और जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध तथा अनावश्यक एवं असम्भवताकी ओतक है । इसलिये मैं प्रतिज्ञा करता(ती) हूँ कि अब मैं कभी किसी भी आयु वालों (स्त्री या पुरुष) के मरणभोजमें भाग नहीं लेंगा (गी) और मेरा सर्वदा यह प्रयत्न रहेगा कि हमारे यहाकी पंचायतसे भी मरणभोज बन्द कर दिया जाय तथा इस घृणित प्रथाका सर्वथा नाश होजाय । ”

परिषद्के बाद भी यह “प्रतिज्ञापत्र” हजारोंकी संख्यामें भरे

गये हैं । आज भी लोग उन्हें मंगाकर भरकर मेजते हैं । अभी भी जो व्यक्ति, युवकसंघ या संस्थायें यह कार्य कर सकें वे “ ढाका तनसुखरायजी जैन मंत्री दि० जैन परिषद—देहली ” से यह कार्म मंगाले या स्वयं अपने हाथोंसे लिखकर उनपर लोगोंके दस्तखत करते । प्रथम करने पर इस डायनी प्रधाका अवश्य ही विनाश हो जायगा ।

पुरुषोंकी भाति विवेकशील स्त्रिया भी इस भयंकर प्रधाका नाश चाहती है । सतना परिषदके समय श्रीमती लेखवतीजी जैनकी अवधातमें ‘महिला सम्मेलन’ भी हुआ था । उसमें करीब १००० बहिनें उपस्थित थीं । उसमें भी मैंने करीब १५ मिनिट मरणभोज विरोधी भाषण दिया था । जिसके फलस्वरूप सभी बहिनोंने मरणभोजमें मन्मिकित न होनेकी प्रतिज्ञा की थी । उस समय श्रीमती लेखवतीजीने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें कहा:—

“पण्डितजी तो आपसे मरणभोजमें भाग न लेनेकी बात कहते हैं, किन्तु मैंतो कहती हूँ कि जहा मरणभोज होता हो वहा आप सत्याग्रह करें, दर्वजे पर लेट जावें और किसीको भी भीतर न जाने दें । फिर भी जिन निषुरु पुरुषोंको मरणभोजमें जाना होगा वे भले ही तुम्हारी छाती पर बात रखकर चले जावें । हमें इस निर्दयतापूर्ण प्रधाका शीत्र ही विनाश कर देना चाहिये ।”

इस भाषणका स्त्री पुरुषों पर काफी प्रभाव पड़ा । यदि इसी प्रकार मरणभोज विरोधी आन्दोलन चालू रहे तो एक वर्षमें ही समस्त जैन समाजसे इस प्रधाका नाम निशान मिट जाय । कहाँ

युवकसंघों समाजों और पंचायतों द्वारा इसके किये प्रथल हुये हैं। अभी भी प्रबलताके साथ इसके विनाशका प्रथल होनेकी आवश्यकता है। जिस दिन जैन समाजसे मरणभोजकी प्रथा मिट जायगी उस दिन हमारी सभ्य समाजके सिरसे एक बड़े मारी कलहुका टीका मिट जायगा। मैं वह शुभ दिन बहुत जल्दी ही देखना चाहता हूँ।

## मरणभोजके प्रान्तीय रिवाज ।

यह तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि मरणभोजकी प्रथा धार्मिक नहीं है। यदि यह धार्मिक होती तो उसमे इतना अधिक प्रान्तीय रिवाज-मेद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मरणभोजके सारे क्रियाकाण्ड पर ब्राह्मण सकृतिकी स्वासी छाप है। इससे सिद्ध है कि मरणभोज जैन शास्त्रानुमोदित नहीं कितु पढ़ोसियोंकी देखादेखी अपनेमें शामिल दर लिया गया एक पाप है। इसके विविध प्रान्तीय रिवाजोंको देखकर किसे आश्र्य न होगा कि जैनोंमें मरणभोज कसे आया?

अद्येय पं० नाथूरामजी प्रेमीने बुन्देलखण्ड और मध्यप्रांतके मरणोत्तर क्रियाकाण्डके सम्बन्धमें इस प्रकार अपने अनुभव पगट किये हैं—

“इस तरफ स्वास तौरसे देहातके जैनोंमें, मरणके उपरात जो क्रियाकर्म किये जाते हैं वे लगभग वैदिक रिवाजोंके अनुसार ही होते हैं। मरनेवाला जितना ही धनी मानी होता है, उसके उपरात्यमें वे क्रियायें उतने ही ठाठसे की जाती हैं। प्रायः तीसरे दिन

अस्थिशेष, जिसे कि यहा 'खारी' कहते हैं, उठानेके लिए कुछ लोग चितापर जाते हैं और उसे बटोरकर आमतौरसे किसी पासके जलाशयमें छोड़ आते हैं, परन्तु जो लोग समर्थ होते हैं वे पवित्र गंगाजलमें छोड़नेके लिए ले जाते हैं, और प्रयाग पहुंचकर पंडोंको दान-इक्षिणा भी यथाशक्ति देते हैं। शामको धीका दीपक लेजाकर चिताभूमिपर जला आते हैं। यह प्रतिदिन तबतक जलाया जाता है, जब तक कि दिन तेरहीं नहीं होजाती है। स्मशान-भूमिके निर्जन अन्धकारमें मृतव्यक्तिके लिए प्रकाशकी व्यवस्था कर देना ही शायद इसका उद्देश्य है। 'खारी' उठ चुकनेपर जितने कुटुंब-परिवारके लोग होते हैं उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद तेरहवें दिन मृत आँद्र किया जाता है, जो सर्वपरिचित है और जिसमें जातिके पचोंके सिवाय दूसरी जातिके उन व्यक्तियोंको भी खूब खर्चीका भोज दिया जाता है, जो दाह-क्रियामें 'लकड़ी' देने जाते हैं।

यह तो इतना आवश्यक है कि गरीबसे गरीब अनाथ विधवायें भी इस खर्चसे छुटकाना नहीं पा सकतीं—कर्ज काढकर भी उन्हें यह करना पड़ता है। इसके बाद छ मासी (षाष्मासिक आँद्र) और बरसी (वार्षिक आँद्र) भी की जाती है; परन्तु ये सर्वमाधारणके लिए आवश्यक नहीं है, वनी मानी ही इन्हें करते हैं। फिर भी नामवरीके लोभमें दूसरोंके द्वारा पानी चढ़ाये जानेपर असमर्थ भी बहुधा कर डाका करते हैं। स्वयं मेरे सालेकी मृत्यु पर, जो बहुतही गरीब थे, उनकी पत्नीने तीनों आँद्र करके अपना जन्म सार्थक किया है। इन तीनों आँद्रोंसे तो मैं परिचित था; परन्तु अबकी बार यह

भी पता करा दि बहुतसे चनी तीन वर्षके बाद पितरोमें भी मिलाके जाते हैं ! अर्थात् तीसरी मृत्यु-तिथिको मोज होजानेके बाद वे पितृजनोंकी पंक्तिमें शामिल कर किये जाते हैं—वहाँ परलोकमें ‘अपांकतेय’ नहीं रहते हैं । मालूम नहीं ‘पितरोमें मिलाने’का उक्त वास्तविक अर्थ हमारे जैनी माई समझते हैं या नहीं, परन्तु वे अपने पुरखोंको इस अधिकारपर आरुद्ध जरूर किया करते हैं यद्यपि पिंड-दान नहीं करते ।

इम तरफके जैनोंमें ‘पितृ पक्ष’ भी पाला जाता है । कुँवार बढ़ीके १५ दिनोंमें औरोंके समान ये भी अपने पुरखोंके नामपर एकाल सेवन करनेसे नहीं चूकते । माता, पिता, पितामह, मातामह आदिकी मृत्यु-तिथियोंके दिन जिन्हें ‘तिथि’ ही कहते हैं, स्त्रिया पहले उनके नामपर कुछ एकाल कढ़ाईमेंसे निकालकर अलग रख देती है, जिसे ‘अचूता’ कहने है और तब दूरोंको देती है । यह ‘अचूता’ पितृपिंडका ही पर्यायवाची जान पहला है ।

इस तरह यह जैननामधारी समाज इम विषयमें वेदानुयायी ही है; फर्क केवल इतेना ही है कि इसने पुरखों और अपने बीचके दलालों या आढ़तियोंको धता बता दिया है, और अपनी वणिक बुद्धिसे पुरखोंके साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ लिया है । मालूम नहीं, इस ब्राह्मणविरहित श्राद्धसे उन्हें तृप्ति होती है या नहीं !

हमारा यह सब आचार इम बातका प्रमाण है कि कोई भी समाज हो, वह अपने पड़ौसियोंके आचार-विचारोंसे प्रभावित हुए विना नहीं रहता, और साधारण जनता तत्त्व और सिद्धान्तोंकी

बारीकियोंको उतना नहीं समझती जितना बाहरी आचा!—विचारोंको । इसीलिए कहा गया है कि “गतानुगतिको लोक न लोकः पारमार्थिक ।”

इस विषयमें एक बात और लिखनेसे रह गई । मैं एक देहातमें था । वहाँ तड़बन्दी थी । कूटनीतिज्ञ मुखियोंकी कृपामें वहाँके एक ही कुटुम्बके दो घर दो तड़ोंमें विभक्त हो रहे थे । दैवयोगसे एक घरमें एक व्यक्तिकी मृत्यु होगई और नियमनुसार उसे नेरहीं करनी पड़ी, परन्तु चूंकि दूसरी तड़बाला घर उस मृत्युभोजमें शामिल न होसका, अतएव वह शुद्ध न होसका—उसका सूतक (पातक ?) न उतरा और तब उसे लाचार होकर जुदा मृतक—भोज देना पड़ा । बहुत समझानेपर भी पंच—सरदार न माने । यह बात उनकी समझमें ही न आई कि एक कुल—गोत्रबाला वह दूसरा घर बिना श्राद्ध किये कैसे शुद्ध हो सकता ! सो कहीं कहीं एकके मरनेपर दो दो तीन तीन तक श्राद्ध करने पड़ते हैं । बहुतसे गावोंमें यह हाल है कि यदि कोई मृतश्राद्ध न करे, विनादरीबालों, ‘लकड़ी’ देनेबालों और कमीनोंको भोजन न दे, तो उसे सार्वजनिक कुओंपर पानी नहीं भरने देने है, वह एक तरहसे अस्पृश्य होजाता है ।

आमतौरसे यह भी रिवाज है कि जिसके यहा मृत्यु होजाती है, उस घरके लोग तेरहीं होजाने तक मंदिर नहीं जाते हैं । मृत्युभोजके दिन भोजनोपरांत घरके मुखियाँको पंचजन पगड़ी बांधकर जिनदर्शनको लिखा जाते हैं, और इसके बाद उसे मंदिर जानेकी

छुट्टी होजाती है । अहां तक मैं जानता हूँ, अन्यत्रके जैनोंमें यह रिवाज नहीं है । ”

यद्यपि बुन्देल्हण्डके शहरोंमें अब इतना कियाकाण्ड नहीं रहा है, फिर भी देहातोंमें तो यह सब कुछ किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रातोंमें भी जो रिवाज प्रचलित हैं उनमेंसे जितने प्रातोंके मुझे प्राप्त होसके हैं वह नीचे दिये जाते हैं—

**यू० पी० मैं-मेरठ, मुन्जफरनगर, सहारनपुर, विजनौर मुगादाबाद तथा दिल्ली आदिमें अब मरणमोजकी प्रथा लगभग बिलकुल बन्द होगई है । कहीं २ किसी वृद्ध पुरुषकी मृत्यु होनेपर कोई २ खाड़ी टिकड़ी बाट देता है । मगर यह भी बहुत कम । पहले इन नगरोंमें वृद्ध पुरुषका मरणमोज होता था, वह भी अब बन्द होगया है । अलीगढ़ तथा हाथापास आदिमें अभी भी मरणमोज होता है, कारण कि वहाँ स्थितिशालकोंशा अड्डा है ।**

**सी० पी० मैं-कटनी, जबलपुर, सिवनी, नागपुर, अमरावती आदिमें पहले तो मरणमोजका खासा दीर दीरा था, और बुन्देल्हण्ड प्रातकी माति ही तमाम रीतिरिवाज एवं मूढ़ता प्रचलित थी, किन्तु अब यह रिवाज कम हो गा है और कई जगह ३०—३५—४० वर्षसे नीचेका मरणमोज नहीं होता । किन्तु जबतक मरणमोजका नामनिशान न मिल जाय तबतक सच्चा सुधार नहीं कहा जासकता ।**

**मारवाड़ प्रान्तमें—मरणमोजकी प्रथा सबसे अधिक भव्य-कर है । किसी पुरुषके मरनेपर उसकी विषयाको कई स्थियोंके बीचमें**

खड़ी होकर छाती कूटना पढ़ती है। फिर उसके सौमाध्यचिह्न अलग किये जाते हैं। फिर विवाहाको १४ माहतक घरसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता। शौचादि मकानमें ही करना पढ़ता है। कुटुम्बी तथा सम्बंधीजन १२ दिन तक उसीके घरपर भोजन करते हैं, फिर तेरहवें दिन स्वादिष्ठा करते हैं, उसमें सैकड़ों आदमी जीमनेके लिये आते हैं। इसके बाद तेरहीं तो अलग करना ही पढ़ती है। जो तेरहवें दिन मरणभोज नहीं देपाता वह लोगोंकी निगाहोंमें गिर जाता है, किंवा भी उसे महीनों या वर्षोंके बाद ही सही मरणभोज तो देना ही पढ़ता है। साथ ही 'कान' वर्तनादि बाटनेका भी रिवाज है। तात्तर्य यह है कि मरणभोज और उसकी क्रियाओंके पीछे अच्छे२ घर भी बर्दाद होजाते हैं, तब गरीब घरोंकी तो पूछना ही क्या है?

**मालवा प्रान्तमें—**मी इन्हींमें मिलते जुलते रिवाज है। यहा वर्षी बाद भी मरणभोज लिये जाते हैं और हजारों रुपयोंकी 'लान' बाटी जाती है। मिथ्यात्वका रिवाज भी खूब है। मालवा और मारवाड़ प्रातमें कहीं२ ब्राह्मणोंको जिमानेका भी रिवाज है। इसके बिना शुद्धि ही नहीं मानी जाती।

**गुजरात प्रान्तमें—**मरणोत्तम रिवाज कुछ और ही प्रकारके है। यहार जब किसीकी मृत्यु होती है तब घर कुटुम्ब और मुदलाकी तथा तमाम व्यवहारी स्त्रिया आकर इकट्ठी होती है और मकानके बाहर सड़कपर सब एक गोल घेरमें सही होजाती है तथा बीचमें विष्वा स्त्री खड़ी रहती है। फिर एक गानचतुर स्त्री 'राजिया' गाती

है जिसे सब स्थियां मिलकर तालबद्ध “राजिया” गाती हैं और चक्र लगाती रहती हैं। गानेके साथ ही साथ वे सब स्थिया अपने दोनों हाथोंसे छाती ठोकती (छाजिया लेती) जाती हैं। उनमें जो मृतघटकिकी विघवा या निष्ट संबधिनी स्थिया होती है वे तो इतने जोरसे छाती ठोकती हैं कि उनकी छती सूझ जाती है। किसीके तो खून भी निकलने लगता है। कुछ दिन हुये इसी प्रकार छाती कूटते कूटते शिकारपुरमें एक बड़ील पत्नीका मण होगया था।

यह छातीका कूटना और ‘राजिया’ गाना मात्र घरके दर्वाजे पर ही नहीं होता, किन्तु चौराहे पर और बीच मार्गमें जाहर भी इसी प्रकार निर्देयता पूर्वक छाती कूटी जाती है। जो जितने जोरसे छाती कूटती है वह उतनी ही अधिक दर्दमन्द मानी जाती है। यदि सब पूछा जाय तो गुजरातको कलंकित करनेवाली यह सबसे अयंकर एवं दयाजनक प्रथा है। यह शीघ्र ही बन्द होनेकी आवश्यकता है। इस सुधरे हुये प्रान्तमें इस मूर्खतापूर्ण प्रथाको देख कर मेरे आश्र्ये और दुखका ठिकाना नहीं है। इप्रधार रोने, छाती कूटने और राजिया गानेका क्रम बहुत दिनों तक जरी रहता है। जब जब बाहरसे स्थिया मिलने या बैठने अथवा फेरेके लिये अती है तब तब यही विधि करना पड़ती है। न जाने गुजरातकी यह कलंकमय प्रथा कब मिटेगी ?

सूतमें मृतघटकिको स्मशान ले जाते समय एक और भी अयंकर प्रथा है, जिसे सुनहर पाठकों। दिल दुखी हुये विना नहीं होगा। शबको स्मशानमें ले जानेवाले सभी योग अच्छी दू-

पहुंचने पर विश्रान्ति स्थान ( जो स्वास इसीलिये बनाया गया है ) में ठहरने हैं । वहां पर मृतव्यक्तिके घरके लोग बिड़ी पान सुपारीका प्रबंध करते हैं और अधिकाश लोग स्वातंत्र्य है । किंतु स्मशानमें जाकर मुर्दा जलाया जाता है । उधर मुर्दा जलता है और इधर स्मशानमें जानेवाले लोग मृतव्यक्तिकी ओरसे चाय बिड़ी पीते हैं और ताश आदि खेलते हैं । और कभी-२ तो नहानेके पूर्व मीठाई तक उड़ाई जाती है ।

मरणभोजसे भी मरणकर इस प्रथाको देखकर किसे अश्रूर्य न होगा ? बिचरे मरनेवालेके घरालोको मुर्देके साथ ही साथ मिठाई आदिका भी प्रबंध करना पड़ता है जो स्मशानमें लेजाई जाती है और मानों मुर्देकी छातीपर बैठकर स्वाई जाती है । यह भी मरण भोजका एक भयंकर प्रकार है । अब तो इई जैनोंमें मिठाई स्वानेकी प्रथा बन्द होरही है, किंतु भी कुछ जैनोंमें यह प्रथा चाल्द है । मुझे स्वयं ३—४ बार स्मशान जाना पड़ा और मैंने जब यहांके लोगोंकी इम अमनुषी प्रथाको देखा तब मेरा हृदय छूणासे भर आया । कुछ लोगोंमें इसके विरोधमें कहा भी किन्तु जिस प्रकार मरणभोजिया लोग अपना दृठ नहीं छोड़ सकते वैसे यह लोग भी क्यों छोड़ने लगे ? हाँ, यदि किसीकी समझमें आगया तो मिठाई न स्वाकर मात्र चाय पीकर ही सतोष करते हैं । यह है मरणभोजका दूसरा भयंकर चित्र ।

स्मशानके बाद गुजारातके जैनोंमें एह ही मरणभोज नहीं होता, किन्तु ग्यारवाँ, ( ११वें दिन ) बारवाँ ( १२वें दिन ) और तेरवाँ

( १३ वें दिन ) भी होता है । इतना ही नहीं किन्तु कहीं कहीं तो ४-५ दिन तक मरणभोज दिया जाता था । इस प्रकार मृत व्यक्तिके घरकी बरबादी कर दी जाती है । सूरतमें भी ३-४ दिन तक जीमनेका रिवाज था, मगर अब धीरे धीरे वह बन्द हो गया है । और अब तो मात्र एक ही दिन मरणभोज देनेकी पथा रही है । वह भी अब लगभग मिट गई है । अब यहाके लोग बारहवा तेरहवां आदि कुछ नहीं करते । किन्तु कोई कोई पूजा पाठ करके उसके बहानेसे धर्मभोज देते हैं, जो लगभग मरणभोजका ही रूपान्तर है । किन्तु गुजरातके प्रामोजे तो अभी भी मरणभोजकी पथा ज्योकी त्यो चालू है ।

**काठियावाड़ प्रांतमें—**भी गुजरातकी भाति ही छाती कूटने, राजिया गाने, और बारहवा तथा तेरहवा करनेका रिवाज है । वहां भी जैनाचारहीन क्रियाकाण्ड किये जाते हैं और निमंकोच मरणभोज किया जाता है ।

इस तरह मरणभोजके प्रान्तीय और जातीय रिवाज विविच प्रकारके पावे जाते हैं । किसीमें मिथ्यात्वका असर है तो कोई महामिथ्यात्वरूप है और कोई अत्याचार, दबाव, लज्जा, या जाति-भयके कारण किया जाता है तथा किसीमें मात्र गतानुगतिहता या बाहवाही ही कारण होती है । पूर्व लिखित प्रकरणोंसे पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि जैन समाजमें मरणभोजकी राक्षसी प्रथामें घर करके उसे कितना बर्बाद कर दिया है । किर भी हमारी जातीय पंचायतें उसे अभी भी जड़मूलसे नाश करनेका साहस नहीं करतीं ।

बहुप्रथा किसी न किसी रूपमें अनेक प्रात और वहाँकी जातियोंमें  
पाई जाती है ।

नागपुरके एक सज्जनने लिखा है कि इस प्रान्तमें १—  
बघेरवाल जातियें मरणभोज करना आवश्यक न होनेपर भी कई  
लोग गृहशुद्धिके लिये करते हैं । २—खण्डेकाल जातियें तो मरण-  
भोजकी पथा खूब जोरोंसे प्रचलित है । ३—परवार जातियें भी इस  
प्रथाका अर्धरूप पाया जाता है । ४—पद्मावती पुरवाल जातियें यह  
प्रथा अभीतक चाल्द है । प्रायः वे लोग १३वें दिन भोजन कराके  
तेरहवीं करते हैं । ५—सैतवाल जातियें यह प्रथा पद्मावती पोरवालोंकी  
भाति ही प्रचलित है । खंडेलबालोंमें लाठ रतनबालजी बाकलीबालने  
अपनी माताका मरणभोज न करके १२५) दान किये । यह उनका  
सर्व प्रथम साहस है ।

एक न्यायतीर्थजीने ग्रामानुसार अपना अनुभव किसकर भेजा  
है कि १—बिलसी (बदायूँ) में समझाने बुझानेपर मरणभोज  
बंदीका प्रस्ताव तो कराया गया, फिर भी वहाँके कई जैन तेरहवें  
दिन कमसेकम १३ ब्राह्मणोंको भोजन करा देना अनी भी आव-  
श्यक समझते हैं । २—खुरही—(सागर) में न्यायाचार्य प० गणेश-  
प्रसादजी वर्णीके प्रयत्नसे बालक और युवकोंका मरणभोजसे बंद  
होगया है । इसका अर्थ यह है कि जैनसमाजके सर्वमान्य पूज्य  
बिद्वान न्यायाचार्यजी भी मरणभोजको धर्मसंगत, आवश्यक, शुद्धिका  
जादू या आवश्यकी किया नहीं मानते । अन्यथा वे अमुक आयुके  
स्त्री-पुरुषोंका मरणभोज कैसे बंद कराते ? इस लिये जब युवकोंके

मरणकी अशुद्धि योही दूर होजाती है तब सभी आयुके मरणकी अशुद्धि भी स्वयमेव दूर हो ही जायगी । अतः मरणभोज सर्वथा बंद कर देना चाहिये ।

३—भोपालमें भा० दि० जैन परिषदके प्रयत्नसे अब मरणभोज बन्द होगया है । सेठ गोकुलचन्दजी परवारने अपनी पत्नीका मरणभोज न करके (७०००) दान देकर जैन कन्या पाठ-शाला स्थापित की है । इसी प्रकार सेठ सुन्दरबालजीने अपनी माताजीका मरणभोज न करके विमानोत्सव किया और विद्वानोंको एकत्रित करके भाषण कराये थे । यह है आदर्श कार्य ।

एक सज्जन लिखते हैं कि तलचाड़ा ( झूगरपुर ) में तथा सारे वागड़ प्रातमें मरणभोजकी भयंकर प्रश्ना चालू है । पत्वेक परिणीत व्यक्तिका ( चाहे वह १५-२० वर्षका भी हो ) मरणभोज किया जाता है । पंचोंका यह कानून अटल है । यदि शक्ति या सुविधा न हो तो माह, दो माह, वर्ष दो वर्ष या कई वर्ष बाद भी यंच लोग मरणभोज लेकर ही छोड़ते हैं ।

झोपुरकलाँके एक सज्जन लिखते हैं कि यहापर मरणके तीसरे ही दिन कुटुम्बियोंको हल्लबा, पूरी और चने खिलाये जाते हैं । पन्द्रह वर्षसे ऊपरके सभी स्त्री पुरुषोंका मरणभोज किया जाता है । यहा यह आवश्यक कार्य समझा जाता है । यदि कोई न कर सके तो लोग उसे बुरी नजरसे देखते हैं और ताना देते हैं । बारह दिनके बाद मरणभोज करना पड़ता है । स्त्रीके मरनेपर भगुवा कपड़े बाटे जाते हैं और समस्ती व्याहीको बस्तोंकी पहरामनी दी जाती है ।

मरणभोजके समर्थकोंको विचारना चाहिये कि १५ वर्षोंके लड़का लड़कियोंका भी मरणभोज स्वानेबाले कितने निष्ठुर हृदय होंगे । जहां मरणोपलक्षमें पहराबनी बाटी जाती है वहां मानवताका कितना अघ-पतन होचुका है । मारवाड़ प्रान्तके एक न्यायतीर्थ विद्वान लिखते हैं कि हमारे नगरमें तो ९ वें या १३ वें दिन मरणभोज होता है और प्रत्येक जातीय घरमें एक एक रूपमा तथा मिठाई भेजना पड़ती है । यदि कोई ८ वें या १३ वें दिन मरणभोज न कर सका हो तो विवाहके समय यितरोंके उपलक्षमें मरणभोज करना ही पड़ता है । पाठक देखेंगे कि मरणभोजके नामपर रूपमा और मिठाई आदि बाटकर अत्याचारको और भी कितना अधिक बढ़ाया जाता है ।

एक सुप्रसिद्ध वैद्यराजजीने अपने अनुमत लिखे हैं कि मैंने पंजाब, राजपूताना, मालवा, मेवाड़, यू० पी० और सी० पी० आदिमें रहकर देखा है कि वहां किसी न किसी रूपमें मरणभोजकी प्रथा प्रचलित है । अजमेर, उदयपुर, सुजानगढ़, इन्दौर और पछार आदिमें तो लान (वर्तन) भी बाटी जाती है । सुजानगढ़में जैनोंके अतिरिक्त ब्राह्मणोंको अलग भोज कराया जाता है । इसके अलावा तिमासी, छहमासी और वर्षी भी की जाती है ।

**मुर्दा पर मिठाईयाँ खाना—रावलपिण्डी शहरमें करीब २५० घर इवेताम्बर जैनोंके हैं । वहां पर पहले इतनी भयंकर प्रथा थी कि किसीके घरमें मृत्यु होगई हो तो उसके घरपर पंचलोग इच्छे होकर पहिले मिठाईया उड़ाते थे और मुर्दा वहीं रखता रहता था । मिठाई स्वानेके बाद वह मुर्दा स्मशान के जाया जाता था । देखिये, है न**

वह मानवताका लीङ्गाम ? दैवयोगसे वहा एक जैन साधुका चातुर्मासि हुआ। और उनने उपदेश देकर इस घृणित प्रथाको बंद कराया। इसे बंद हुये करीब १० वर्ष हुये हैं। किन्तु उससे पहले तो वहांके जैन कोग उसे भी अत्यन्त आवश्यक किया मानते थे और उसे छोड़नेमें धर्म कर्मका नाश हुआ मानते थे। यही दशा मरणभोजके सम्बंधमें है। अब वहा तो मरणभोज (तेरहीं) भी कतई बंद है। हा, रावलपिंडी छावनीमें अभी भी मरणभोज प्रचलित है।

**दूसरों—**अभी भी कई रूढ़िचुस्त लोग मरणभोज नहीं छोड़ना चाहते। हा, कुछ सुधार प्रेमियोंने इस प्रथाको हलका कर दिया है।

**हठारसी—**में ४० वर्षसे कम आयुके मृन व्यक्तिकी तेरहीं नहीं होती है। शेषकी की जाती है।

इसी प्रकार दूसरे प्रातोंमें भी अनेक प्रकारके रिवाज हैं। किसी भी प्रातके जैनी इस बलंक प्रथामें नहीं बचे। फिर भी अब कई बड़े नगरोंमें और अग्रवाल जैन आदि कुछ जातियोंमें मरणभोजकी प्रथा कतई बन्द होगई है। कई जगह ३०—३५—४० वर्षकी अवधि रखी गई है। वह भी आन्दोलन चालू रहनेपर चिलकुक मिट जायगी। मरणभोजके नामपर धर्मकी दुहाई देनेवालोंसे मैं पूछता हूँ कि क्या इन कोगोंको वे धर्मक्रियाहीन मानते हैं ? सच्चा सम्यक्ती और सच्चा जैन तो वह है जो स्वयं मरणभोज नहीं करता और दूसरोंको इस पाप कर्मसे रोकता है।

## करुणाजनक सच्ची घटनायें ।

मरणभोजकी प्रथा कितनी भयंकर है, कितनी पैशाचिक है और कितनी समाजधारिनी है यह बात आगे दी जानेवाली सच्ची घटनाओंमें स्वयं ज्ञात होजायगी । यहां जो घटनायें लिखी जाएँही है उनमें एक भी कल्पित या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, किर भी उनमें किसीका नाम आदि न देनेका कारण इतना ही है कि इन घटनाओंसे सबधित व्यक्ति ऐसे पापकृत्य करके भी अपनेको अपमानित हुआ नहीं देखना चाहते ।

मैं समझता हूँ कि किसीका नाम आदि न देनेसे घटनाओंकी वास्तविकता नष्ट नहीं हो सकती, और जिन्हें विश्वास न हो उन्हें कममें कम इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि मरणभोजके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनायें होना असंभव नहीं हैं । इन घटनाओंके प्रेषक जैन तमाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् और श्रीमान् हैं । मैं उन सबका आभारी हूँ । अब तनिक उन 'करुणाजनक सच्ची घटनाओं' को हृदय थाम कर पढ़िये ।

१-अफीम खाकर मर जाना पड़ा—पञ्चा स्टेटके एक ग्राममें एक परवार जैन सिंधई थे । उनकी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठा थी । उनने कई बड़ेर कार्य किये थे । किन्तु दैवयोगसे गरीबी आगई । उधर उनकी पत्नी मर गई । मरणभोज करनेकी सिंधईजीके पास सुविधा नहीं थी । इसलिये इज्जत बचानेके लिये उनने अफीम खाली और उन्हें मृत्युभोजकी वेदीपर स्वर्य मृत्युका भोज बनना पढ़ा ।

२-पीस कूटकर गुजर करती हैं—उज्जैनके पास एक

नगरमें जैन युवक (२५) की नौकरी करता था । उसके घरमें माता, पत्नी, पुत्र और स्वयं, इस प्रकार चार व्यक्ति थे । वह जैसे तैसे अपनी गुजर चलाता था । दैवयोगसे उसकी नौकरी छूट गई । उसे चिन्ताने आयेरा, किसीने कोई सहायता न की । आखिर वह चिन्ताकी चिन्ताये जल परा । पंचोने उसकी पत्नी और मातासे मरणभोज करनेके लिये आग्रह किया । उनने अपनी अशक्ति बताई । तब लोगोंने उन्हें विदारीमें अलग कर देनेकी घमकी दी । इस भयंकर शस्त्रसे डरकर उनने अपने हाथ पैरके जेवर वेचकर पंचोको लड्डू खिला दिये । और अब वे दूसरोंकी रोटी करके तथा पीस कूटकर अपनी गुजर चलाती है ।

३—कन्याको वेचकर मरणभोज किया—मुंगावलीसे १० मीलकी दूरीपर एक ग्राम है । वहाकी यह सन् १९३३ की गेमाचकारी घटना है । वहा एक जैन हलवाईकी मृत्यु हुई । पंचोने उसकी स्त्री और लड़केसे तेरही करनेके लिये आग्रह किया । किंतु उनने अपनी साफ अशक्ति प्रगट की । और कहा कि हमारे पास कलके स्थानेको भी नहीं है । पंचोने अपनी बहिणकारकी तोष उठाई और हलवाईजीके लड़केको पंचायतमें बुलाकर उसके सामने रखकर कहा कि या तो अपने बापकी तेरही करो या फिर कलसे तुम लोगोंका मंदिर बन्द है । इस अस्याचारको देखकर वहाकी पाठशालाके पण्डितजीने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नौकरीसे हाथ घोना पड़े । उधर पंचोनेसे एक सज्जन (१) ने लड़केको एकांतमें बुलाकर कहा कि तुम्हारी बहिन बिवाहयोग्य है, उसकी सगाई कुछ ले देकर

करको उसमें जो रुपया आये उससे तेहर्दे और विवाह दोनों होजायेगे ।

जाति बहिकारके भयसे लड़का और उसकी माने यह स्वीकार कर लिया । दलालोंने प्रयत्न करके दमोहके पास एक ग्राममें एक ४५ वर्षके जैनके साथ लड़कीकी सगाई करा दी । १२००) तय हुये । ५००) पेशगी लिये । उनसे खूब डटकर तेरहर्दे की गई । १५—२० गावसे आसपासके व्यवहारी जन भी आये और खूब चकाचक उड़ी । चैत्र सुदी ३को उस लड़कीका विवाह होगया । वर महाशयका यह तीसरा विवाह था । वे एक वर्ष बाद ही स्वर्ग सिघार गये । और उस १६ वर्षीय लड़कीको विषवा बना गये । आज वह मरणभोजिया पंचोंके नाम पर आँमू बहा रही है ।

४—कुलहाड़ीसे मारडाले गयेका भी मरणभोज—  
लिलिपुरके पास एक ग्राममें किसी विद्रेषीने एक जैनको कुलहाड़ी मारी, जिससे वह मर गया और मारनेवालेको फासी हुई । फिर भी कुलहाड़ीसे मरे हुये व्यक्तिके घरवालोंको मरणभोज करना पड़ा और उसमें गावके तथा आसपासके ग्रामोंके जैनी भी शामिल हुये थे ।

५—गहने बैधकर मरणभोज किया—जयपुर स्टेटके एक ग्राममें ३० वर्षीय युवक बीमार हुआ । वरमें पत्नी और एक छोटा लड़का था । दरिद्रताके कारण इकाज कराना अशक्य होगया । बैद्यने मुफरमें इकाज करनेसे साफ इंकार कर दिया । तब उसकी पत्नीने अपने हाथका गहना गिरवी रखकर बैधको ४०) दिये । इकाज होनेपर भी युवककी मृत्यु होगई । तब उस दयालु बैद्यने बे

४०) बापिस दे दिये । तीसरे दिन पंच लोग उस मृतके घर एकत्रित हुये और विषवासे मरणभोजके लिये आग्रह किया । उसके हजार इंकार करनेपर भी बहादुर पंचोने उस गरीब विषवासे नुक्ता करवा ही डाला । इस नुक्तेने उस विषवा और उसके बचेपर जो विपत्ति ला पठी उसकी कहानी अत्यन्त मर्मान्तिक वेदना उत्पन्न करनेवाली है ।

६-बारह वर्ष बाद भी नुक्ता करना पड़ा—जयपुरक पास एक ग्राममें एक कुटुम्बहीन व्यक्ति था । उसके माबापको मरे करीब १५ वर्ष होन्हुके थे । फिर भी पंचोने उसका पीछा न छोड़ा । वह बिचारा गरीब नौकर था । १५—२० वर्षमें वह २००) एकत्रित कर सका था । लोगोंके आग्रहसे उसने एक रुपयाके व्याज पर २००) लिये और २००) अपनी २० वर्षकी कमाईके मिलाकर मा-बापका पुराना उधार मरणभोज कर डाला । पंच लोग लड्डू उड़ाकर चले गये । आज वह युवक कर्जमें फंसा है और अरपेट भोजन तक नहीं पाता । ऐसी स्थितिमें लड्डू खानेवाले पंचोंमेंसे अब कोई उसकी खबर नहीं लेता ।

७-अठारह वर्षका भी मरणभोज—राजपूतानेके एक ग्राममें एक अठारह वर्षके युवककी मृत्यु हुई । फिर भी पंचोने उसका मरणभोज कराया । उसकी १५ वर्षीया विषवा हृदय—विदारक रुदन कर रही थी और निर्दयी पंच लड्डू गटक रहे थे । यह है हमारी अहिंसाका एक नमूना ।

८-मुर्देंकी छातीपर मरणभोज—राजपूतानेके एक

आममें एक मरणभोज होगहा था सब जैन लोग जीमने बैठे थे, इतनेमें दैवयोगसे मृतव्यक्तिके दूसरे माईंकी भी आघात पहुँचनेसे मृत्यु होगई, मगर मरणभोजिया पंच लोग निश्चन होकर पत्तलोपर ढटे रहे और लड्डू उड़ाते रहे । यह है मानवताका लीलाम !

**९- मृत बालककी लाश पर मरणभोज—मारवाड़**  
 प्रान्तके एक ग्राममें एक ३५ वर्षीय युवककी मृत्यु होगई, उसकी विधवाने मरणभोज करनेकी अशक्ति प्रगट की, मगर पंचलोग कब छोड़नेवाले थे । दो वर्ष बाद भी उस विधवासे मरणभोज कराया गया । इसी बीचमें मरणभोजके दिन हृदयको चीर देनेवाली एक दुखद घटना घट गई । और वह यह थी कि उक्त विधवाका १२ वर्षका लड़का एकाएक बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़ा और देखते ही देखते अनाधिनी माताको अथाह शोकसागरमें डाल अनंत निन्द्रामें मग्ग होगया । उस समय उसकी विधवा माताकी कथा दशा हुई होगी मो उसे तो सहृदयी ही समझ मकते हैं । वह विचारी उस असश्व वेदनाको दबाये माथा कूट रही थी, किन्तु उधर निर्दयता और निर्ल-ज्ञताक अवतार मरणभोजिया लोग लड्डू गटक रहे थे । उस समय न शुद्धिका विचार था और न दयाका ।

**१०- एक भाईके मरणभोजमें दूसरेका मरण—**  
**बलितपुरसे कुछ मील दूर जहा गजरथ चल चुके हैं एक ग्राममें एक**  
**युवक भाईकी मृत्यु होगई । तेरहवें दिन मरणभोजकी तैयारियां होरही**  
**थीं, पूरिया नन चुकी थीं । दूसरी सामग्रीकी तैयारी होरही थी कि**  
**अपने युवक भाईकी मृत्युके आघातसे दूसरे युवक भाईकी भी मृत्यु**

होगई । सरे घरमें हाहाकार मच गया । शब्दुओंकी आखोंमें भी आसू आगये । मगर मरणभोजिया लोगोंको तैयार भोजनकी किफार थी । उनने बने हुये भोजनको ढांक मूदकर रख दिया । और उस मुदेंको जलाकर दूसरे दिन ही सब लोग लड्डू पूँझी उडाने बैठ गये । घरमें दो युवती विघ्वायें हाहाकार मचा रही थीं, सर्वत्र महाशोक व्याप था, मगर भोजनभट्ट लोगोंको इसकी चिन्ता नहीं थी । मैं पूछता हूँ कि जिस घरमें कल ही मृत्यु हुई है वह घर आज पंचोंके भोजनके योग्य होजाता है ? और जो पण्डित लोग यह कहते हैं कि तेरठवें दिन भोजन कराने पर शुद्धि होती है उनका ज्ञान विज्ञान ऐसे मौके पर कहा चका जाता है ?

**११-पण्डितजीका मरणभोज-सागरके एक उदासीन**  
पण्डितजीकी मृत्युके लड्डू भी वहांके जैनोंने नहीं छोड़ और वह भी ऐसी स्थितिमें जबकि उनके घरमें एक दिन पूर्व ही एक स्त्रीकी मृत्यु होगई थी । पण्डितजीका मरणभोज सोमवारको था, किन्तु उसी दिन उनके घरमें दूसरी मृत्यु होगई । फिर भी मंगलवारको नुक्का कर ढाका गया । कहिये, कहा गई वह निपोचियोंकी शुद्धि और कहा गया वह सारा पाखण्ड ? सच बात तो यह है कि लड्डुओंके सामने सभी कुछ क्षम्य है ।

**१२-डबल मरणभोज—मारवाड़ प्रान्तके एक ग्राममें**  
एक गरीब जैनकी मृत्यु हुई । घरमें अबैली विघ्वा थी । पंचोंने मरघटपर ही मरणभोजकी चर्चा शुरू कर दी और तीसरे दिन उस विघ्वासे मरणभोजके लिये कहा । उसने अपनी साफ अशक्ति प्रगट-

की । मगर पंच लोग नहीं माने । उनने कहा कि तू घर बेचदे, गहने बेच दे मगर नुक्का कर, स्वन्यथा तेरा अब पंचोंसे कोई संबन्ध नहीं रहेगा । वह बिचारी जाति बहिष्कारसे घबराई और मरणभोजकी स्वीकृति दे दी । इतनेमें एक महाशय बीचमें ही कूद कर बोले कि इस पर पहलेका एक नुक्का उधार है, जब तक यह उसे नहीं करेगी, तब तक यह नुक्का भी नहीं हो सक्ता, इस लिये दो नुक्का होना चाहिये । यह स्वर विधवाके पास पहुंचाई गई । इसे सुनकर वह सुन हो गई, बहरी हो गई और अपना सिर कूटने लगी । मगर पंचलोग नहीं माने । उसका घर और गहने विकवा कर ढबक मरणभोज कराया गया ।

यह घटना जिन शास्त्री पण्डितजीने लिख कर मेजी है, वे लिखते हैं कि मैं भी इस मरणभोजके जिमकडोमेंसे एक था । हम लोग जीम रहे थे और सामने ही विधवा बेसुख पढ़ी थी । उसकी आँखोंसे आँसुओंकी अविरल धारा बह रही थी । मगर पाषाणहृदयी पंचोंको उसकी कोई चिन्ता नहीं थी । यह दृश्य मुझसे नहीं देखा गया और उसी दिनसे मैंने मरणभोजमें न जानेकी प्रतिज्ञा करली । वह विधवा बर्बाद होगई, उसकी स्वर लेनेवाला आज कोई नहीं है ।

**१३-शरीरके टुकड़े होजाने पर भी मरणभोज-**  
ग्वालियर राज्यके एक प्रसिद्ध नगरकी घटना है । एक २४ वर्षके युवककी मृत्यु पुटास निकालते समय आग लग जानेसे होगई । शरीरके टुकड़े इबर उधर उड़ गये । २० वर्षकी विधवा और ५५

वर्षके मां बाप हृदयविदरक रुदन कर रहे थे । किंतु भी मरणमोज कराया गया और उसमें करीब ४०० आदमी जीमने आये ।

**१४-मरणमोज करानेवाली चक्री पीसती है-**  
भालियर राज्यके एक नगरमें ३० वर्षीय युवक १॥ वर्षके बच्चों और अपनी विषवाको छोड़कर मरा । गरीबी होनेपर भी पंचोंने मरणमोज कराया, ३०० अ.दमी जीमने आये । फलस्वरूप पंचोंद्वारा लूटी गई वह अनाधिनी चक्री पीसकर भी अधपेट स्थाना स्थाकर जीवन विता रही है ।

**१५-शीलधर्म वेचना पढ़ा-**भालियर स्टेटके एक ग्राममें २५ वर्षीय युवककी मृत्यु हुई । शक्ति न होनेपर भी उसकी २० वर्षीया विषवासे मरणमोज कराया गया । गहना और धर वेचकर उसने तुक्ता किया । ५०० आदमी जीमने आये । वह वर्बाद हो गई । पेटकी गुजर होना भी कठिन होगई । लड्डू-भक्तोंने उसकी कोई स्वर नहीं ली । आसिरकार वह किसी दूसरे आदमीके साथ हो ली । पंचोंने उसे जातिसे अलग कर एक ठंडी सास ली । वह विचारी आज भी जैन समाजके निर्दयी पंचोंको कोसती है ।

**१६-माता पागल होगई-**आगरा जिलेके एक पझावती पुरखाल कुदुम्बकी यह घटना है । एक युवककी तमाम पूँजी उसके पिताके मरणमोजमें लगवा दीगई । जिससे उसे '५) महीने पर मज़-दूरी करना पड़ी । इसी चिन्ता और दुःखमें वह घुल घुलकर मर गया । उसकी मां विक्षिप्त होकर पचोंका गालिया देती थी कि इन लोगोंने मेरे ज्ञान बेटेको बेखौत मार ढाला ।

१७—बचे परवाद होगये—एटा जिलेके एक ग्राममें एक गरीब विघ्नियसे उसके पतिका मरणमोज कराया गया। जिससे वह बर्बाद होगई। विचारी थोड़े ही दिनोंमें घुल घुसकर मर गई और अपने अनाथ बच्चोंको छोड़ गई जो आज आवारा फिरते हैं। उन विचारोंकी भी जिन्दगी बर्बाद होगई।

१८—पंचोंको जिमाकर दर दर भटक रही हैं—  
दमोहसे पं० सुन्दरलालजी जैन वैद्य छिखते हैं कि यहाँकी धर्म-शाळामें एक जैन विघ्निया आई। उसके साथ तीन छोटी०२ लड़कियाथीं। किसीके तनपर एक भी कपड़ा नहीं था। वह स्त्री मात्र एक फटी धोती पहने थी। उसने रोते हुये अपनी कथा सुनाई कि मैं सागर जिलेके ग्रामकी परवार दिं० जैन हूँ। एक वर्ष पूर्व पतिकी मृत्यु हुई है। पंचोंने चौथे दिन ही मुझसे तेरहका आग्रह किया और कहा कि सिंघईजीके नामके अनुसुँ अच्छी तेरह रो। मैंने कहा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब पंचोंने धमकी देकर मेरे जेवर उत रखा लिये और खूब डटकर नुक्का किया गया। तेरहके बाद ही कर्जबाले (जैन) मेरे ऊर आ गए। मुझे अपनी जमीन और मकान देदेना पड़ा। अब मेरे रहने और गुजरका कोई साधन नहीं रहा। तब मैंने पंचोंसे प्रार्थना की। उनने जवाब दिया कि हमने तुम्हारी परवरिशका कोई ठेका तो लिया नहीं और न कोई तेरा दैनदार है। तब मैं निराश होकर इस भूखे पेटको और इन भूखी बच्चियोंको लेकर घरसे निकल पड़ी। मैंने बहुत चाहा, मगर न तो मुझसे मरते बनता है और न अष्ट होते ही बनता है। इसलिये अब यहाँ आई

हैं । ” इससे पाठक समझ सकेंगे कि मरणभोजिया पंच इस प्रकार न जाने कितनोंका जीवन बर्बाद कर देते हैं ।

१९—शादीके रूपया मरणभोजमें लग गये—  
मेलसाके प्रास एक गावमें एक बुद्धिया थी । उसका एक ही गरीब पुत्र था । वह वंजी करके जैम तैसे गुजर करता था । माताकी तीव्र इच्छा थी कि वह अपने पुत्रका विवाह कराये और बहूको देखकर मरे । इसलिये उसने जैसे तैसे १५०) इन्हें करके छिपा रखे थे मगर गरीबको कहन्या कौन देता ? आखिर वह बुद्धिया मर गई । बहू देखनेकी इच्छासे जीवनभरमें संचिन किया गया वह धन पंचोंने मरणभोजमें लगवा दिया और उसका विवाह गरीब पुत्र कंगालका कंगाल और अविवाहितका अविवाहित रहा । जिस प्रकार पंच लोग मरणके लड्डू स्वानेसे नहीं चूकते उसी ताह क्या कोई कभी गरीबोंके शादी विवाहकी भी चिन्ना न रहा है ? नहीं, उन्हें इससे क्या मतलब ?

२०—मरणभोज न करनेसे नौकरी छोड़ना पड़ी—  
जैन समाजके एक सुप्रसिद्ध लेखक विद्वान शास्त्री लिखने हैं कि मेरी पत्नी मात्र १८ वर्षकी आयुमें स्वर्ग सिवारी । मरनेके पूर्व उसने मुझसे कहा था कि मेरा मरणभोज मत करना । मैंने ऐसा ही किया । तब गावके लोगोंने कहा कि यह स्वार्थी है, मतलबी है, खुदगरज है, पढ़ा लिखा होनेपर भी उद्लू है । मैंने वह सब गालिया मुनकर भी नुक्का नहीं किया । आखिरकार मुझे पाठशालाकी नौकरीसे हाथ घोना पड़े ।

२१—विष्वाको धर्मकार्योंसे भी रोक दिया—  
विजावर स्टेटके एक ग्राममें एक पण्डितजीका स्वर्गवास हुआ । वे बहुत गरीब थे । उनकी विश्वा नुक्ता न कर सकी, इसलिये गांवके और आसपासके जैनोंने उसका तमाम व्यवहार बंद कर दिया । कुछ दिन बाद उसी गावमें जलयात्रा हुई । किन्तु उस विष्वाको मरणभोज न करनेके कारण जलयात्रा—धर्मकार्यमें भी शामिल न होने दिया, आखिर वह गिङ्गिहार बोली कि मेरे पास दो मानी कोदो हैं । इन्हें बेचकर नेरही कर लीजिये । गर मेरे जीवनका कोई सहारा न रहेगा । यह सुनकर एक पण्डितजीको दया आगई और उनने पंचोंको समझाकर उसे जलयात्रामें शामिल होने दिया ।

२२—मरणभोजमें करुणा-कृन्दन—धर्मशळ पं० दीप-  
चन्द्रजी बर्णने अपना अनुभव लिखा है कि “ २५ वर्ष पूर्व मैं अपने संबन्धीके एक नुक्तेमें गया था । २५ वर्षका जवान कमाऊ लड़का मर गया था । उसकी स्त्रीके जेवर बेचकर नेरही कीगई थी । सब लोग जीमने बैठे । मृतकका बुड्ढा बाप और उसके लड़के भी जीमनेको बैठाये गये । सबने एक एक ग्रास उठाया ही था कि बुड्ढा और उसके लड़के बड़े ही जोरोंमें रो उठे । वे रोते रोते कह रहे थे—‘हाय, चना बर गये, मुनाई लग गई और ऊरसे हाथ भी बर गये । हम तो सब तरहसे लुट गये । कमाऊ लड़का मर गयो, घरकी छप्पर मिट गयो । दवाईमें खर्च हो गये सो कछु न लगी पै बहकी बचोखुचो गानौ भी लुट गयो । हायरे हाय, हम तो सब तरहसे लुट गये ॥’ ।

इतनेमें ट्रैनका समय होनेसे बाहरके कुछ आदमी आपहुंचे । बूढ़े किताने उठकर उनके सामने सिर कूट किया, छातीमें मुक्का दे मारे, जमीनपर गिर पड़ा । उधर स्थिया करुणा—कृन्दन कररही थीं । फिर भी पंच लोग लड्डू गटकर रहे थे । मगर मुझसे नहीं खाया गया । और तभीसे मैंने मरणभोज त्यागकी प्रतिज्ञा की और कही जगह इस राक्षसी पथाको बन्द कराया ।

२३—विघ्वाके गहने वेष्य डाले—पंडित छोटेलालजी परबार सुपरि० अहमदाबाद बोहिंगने लिखा है कि हमारी जातिमें ३० वर्षीय युवककी मृत्यु हुई । उसकी स्थिति बहुत खराब थी । जिस दिन कमाने न जावे उस दिन भूखा रहना पड़ता था । फिर भी जातीय रिवाज और शर्मके कारण तेर्ही करना पड़ी । विघ्वाके सिरसे पैर तकका गहना (जो चादीका था) उतारा गया और २५) में बेच दिया गया । उनसे पगे खाजे बनाये गये । सब लोग जीमने बैठे । मैं भी उनमेंसे एक था । मृत युवकके बूढ़े बापको भी बिठाया गया । बहुत समझानेपर उसने खाजेका एक नौर तोड़ा और बड़े ही जोरसे कीक भारी । उधर युवती विघ्वा चिल्ला रही थी जिससे पत्थर भी पिघल जाता । मैं भीतर ही भीतर रो पड़ा । पंच लोग खाजा उड़ा रहे थे, मगर मुझसे नहीं खाया गया । वह छऱ्य आज भी मेरी आखोंके सागने घूमता है । एक नहीं, ऐसी अनेक घटनायें होती रहती हैं ।

इस प्रकारकी २०—२५ ही नहीं, किन्तु सैकड़ों करुणाजनक घटनायें मेरे पास संग्रहीत हैं जो मरणभोजका दुष्परिणाम, पंचोंका

अत्याचार और आपत्तिग्रस्तोंकी बर्बादीको स्पष्ट बताती है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि मरणभोज करनेमें कोई जबर्दस्ती नहीं करता, यह तो मनका सौदा है, दश पाच आदमियोंको जिमाकर ही रक्षम अदा कर लेनी चाहिये, वे समाजको धोखा देते हैं और इस अत्याचारको ढकनेका अमफल प्रयत्न करते हैं। उन्हें तथा समाजको आखें खोलकर देखना चाहिये कि मरणभोजिया लोग कैसी कैसी स्थितिमें मरणभोज करते हैं। ऐसे मरणभोजोंमें लड्डू उड़ानेको तो नारकी और राक्षस भी तैयार नहीं होंगे, जैसे मरणभोजोंको समाजका बहु भाग उड़ाता है। यदि विशेष खोज की जाय तो इन घटनाओंसे भी भयकर घटनाये मिल सकती है। क्या इन्हे जानकर अब भी जैन समाज इस पापका त्याग नहीं करेगी ?

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिप्राय ।

यद्यपि मरणभोजकी अशास्त्रीयता, अनावश्यकता और भयंकर ताको हमारे पाठकगण भली माति समझ नये होंगे, फिर भी मैं मरण भोजके संबन्धमें जैन समाजके कुछ गण्यमान्य विद्वानों और श्रीपानोंके अभिप्राय भी प्रगट कर रहा हूँ। इनसे वस्तुस्थिति कुछ विशेष स्पष्ट हो जायगी। मैंने अपने पिताजीके स्वर्गवासके बाद 'मरणभोज' न करके 'मरणभोज' पुस्तक लिखनेका निश्चय किया और इस प्रथाके संबन्धमें जैन समाजके करीब १०० गण्यमान्य विद्वानों और श्रीमानोंको पत्र भेजे थे, उनमें निम्न लिखित ५ प्रक्ष पूछे गये थे—

१—मरणभोजकी उत्पत्ति कब क्यों और कैसे हुई तथा जैनोंमें

## सुपसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिप्राय । [ ६९

उसका प्रचार कबसे है ? २—वया मरणभोज करना जैनशास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे उचित है ? ३—वया जैन समाजमें मरणभोजका होना अभी भी आवश्यक है और उसे सर्वथा बन्द कर देना इष्ट नहीं है ? ४—आपके यहा जैन समाजमें मरणभोजकी प्रथा कैसी है ? ५—मरणभोजसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ करुणाजनक घटनायें भी लिखनेकी कृपा करें ।

यह पत्र पुराने और नये विचारके—स्थितिपालक और सुधारक सभी विद्वानों तथा श्रीमानोंके पास भेजे गये थे, किन्तु जो मरणभोजके पक्षपाती हैं, जो मरणभोजमें ही धर्मकी पराकाष्ठा मानते हैं और तमाम धर्म कर्मको मरणभोजमें ही निहित मानते हैं उन पण्डितोंने तो कोई उत्तर देने तकका कष्ट नहीं किया, कारण कि उनके पास मरणभोजको योग्य सिद्ध करनेके लिये न तो कोई शास्त्रीय प्रमाण है और न कोई बुद्धिगम्य तर्क । तथा वे उसका विरोध इसलिये नहीं कर सकते कि उनमें इतना साहस नहीं और न वे अपने पक्षको छोड़ ही सकते हैं, इसलिये उनने किसी प्रकारका भी कोई अनुकूल प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया ।

किन्तु जिनमें साहस है, विवेक है, दूरदर्शिता है और जो जमानेकी गति—विधिको ज्ञानते हैं उनने मुझे पत्रका उत्तर दिया, उनमेंसे कुछका साराश मात्र यहाँ प्रगट किया जाता है ।

### कुछ विद्वानोंके विचार—

१—पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ—संपादक जैनदर्शन तथा जैनवंश जयपुर लिखते हैं:—मरणभोजकी प्रथा प्राचीन नहीं है ।

ब्राह्मणोंके सहयोगसे यह बुराई हममें आई है । जैन शास्त्रोंसे इस प्रथाका समर्थन नहीं होता । जैनाचारमें इसका कोई स्थान नहीं है । वह आचार नहीं किन्तु रुद्धि है । मरणभोज करना मिथ्यात्व है । समाजके किये इसे आवश्यक मानना महा मूर्खता है । जैन धर्मका अद्वानी इसे कभी आवश्यक नहीं समझ सकता । जयपुरमें बीरे २ मरणभोज बंद होरहे हैं । कई प्रतिष्ठित लोगोंने भी मरणभोज नहीं किये हैं । मैंने अपनी माताजीका भी मरणभोज नहीं किया । मेरे पास कई निर्दयतापूर्ण घटनाओंका संग्रह है । कई लड्डूखोरोंने असहाय युवती विघ्वाके शरीरके आभूषणोंसे मृत्युभोज कराकर निर्दयताका परिचय दिया है ।

२-पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार-अधिष्ठाता वीर सेवामंदिर सरसावा—मरणभोजका इतिहास तो मुझे नहीं मालूम, किंतु जैनोंमें इस प्रथाके प्रचलित होनेका कारण ब्राह्मण धर्मके संस्कारोंका प्रावश्य जान पड़ता है । जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे मरणभोज करना उचित नहीं है । यह हिन्दुओंके श्राद्धका एक रूप या कृपान्तर है । जैन समाजमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं । और न बंद कर देनेसे किसी अनिष्टकी संभावना ही है । हमारे यहा आज कल मरणभोजकी कोई प्रथा नहीं है । पूर्वजोंने इसे अनुचित और अधर्म मानकर छोड़ दिया है । आपने अपने पिताजीका मरणभोज न करके जो साधु कार्य किया है उसके लिये आप घन्यवादके पात्र हैं ।

३-पं० नन्देलालजी जैन सिद्धांतशास्त्री मोरेना—आपने तुका बद करके जो साहस किया है वह इकाइय है । आज-कल तुकाकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

**४-बाणीभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ बहौत-**आपने बुन्देलखण्ड जैसे प्रदेशमें और फिर लकितपुर जैसे केन्द्रमें तेरहै न करके अवश्य ही सत्साहस किया है । इस साहसका मैं हार्दिक अनुमोदन करता हूँ । यहा अप्राप्तोंमें तेरहैके दिन मात्र कुटुम्बीजन ही जीतते हैं ।

**५-पं० बंशीधरजी न्यायालंकार-जैन सिद्धान्त महोदधि, स्याद्वादवारिधि, जैन सिद्धान्त शास्त्री, प्रधानाध्यापक स० हु० दि० जैन महाविद्यालय इन्हींने अपनी सासूके मरणमोजके संबंधमें मेरे पत्रके उत्तरमें किस्मा था कि मुकेशाल फेरनलालको इस दरिद्राकान्त जीवनमें तेरहै करके अपने आपको ज्यादा दरिद्र व दुखी नहीं बना लेना चाहिये । मेरी थोड़ीसी भी राय नहीं है कि वे तेरहै करे । न जातीय पर्व समाजके लोगोंको ही चाहिये कि वे मुकेशालको तेरहै करनेको बाध्य करें । न खुद उन्हें तेरहै करनेके लिये उत्सुक होना चाहिये ।**

**६-पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री-संशादक जैन सिद्धान्त भास्कर, धर्माध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय काशी-मरणमोज मुझे उचित नहीं जान पड़ता । इसकी आवश्यकता भी नहीं है । इसे बंद कर देना चाहिये ।**

**७-पं० भुजवली शास्त्री-संशादक जैन सिद्धान्त मास्कर आरा-मूर्हविद्रीकी तरफ मरणके १६वें या २१वें दिन अपनी शक्तिके अनुसार मृत अक्तिके घरवाले मंदिरमें प्रायश्चित्त ( दाहादि जनित ) के रूपमें अभिषेकादि करते हैं । तथा विरा-**

दरी एवं ब्रह्मचारी आदि गृहत्यागियोंको भोजन कराते हैं । इसे भी प्रायश्चित्तका एक अंग मानते हैं । इसमें भी कोई पंचायती बन्धन नहीं है । असमर्थ लोग २-४ रुपया सर्व करके मात्र अभिषेक ही करके शुद्ध हो जाने हैं । मरणभोज करना आवश्यक नहीं है ।

८-पं० सुमेरुचन्द्रजी जैन दिवाकर-शास्त्री, न्याय-तीर्थ, बी० ए० एल पल० बी० सिवनी-मैं वर्तमान परिस्थिति तथा अर्थ मंकटको देखने हुए इस पथामें उचित संशोधन चाहता हूं । हमारे यहां पंचायती तौरपर ४० वर्ष तककी मृत्युकी जीमनबार बन्द है । इसमें मैं भी सहमत हूं । यदि व्यक्ति असमर्थ है तो समाजको उसे बाध्य न करके उचित छूट देना चाहिये । बृहद भोजके स्थानमें बचा हुआ द्रव्य यदि धार्मिक कार्यमें व्यय किया जाय तो समीचीन बात होगी। हमारे श्रीमानोंको आदर्श उपस्थित करना चाहिये ।

९-पं० मुक्तालालजी काठ्यतीर्थ इन्दौर-मरणभोज शास्त्रसम्मत हर्गिज नहीं । द्रव्यवानोंको अपना द्रव्य इसके बदले किसी शुभ कार्यमें लगाना श्रेष्ठ है ।

१०-पं० किशोरीलालजी शास्त्री-स० सम्पादक जैनगजट पपीरा-मैं मृत्युभोजके विश्वकर्म में हूं । मैंने स्वयं अपनी वहूँके मरनेपर मृत्युभोज नहीं किया । यह बड़ी दुखद प्रथा है ।

११-दर्शनशास्त्री पं० आनन्दीलालजी न्याय-तीर्थ जयपुर-जैन समाजमें मृत्युभोजकी प्रथा बहुत ही भयंकर है । धर्म और जैनाचारसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रथाका शीघ्र ही समूल नाश होना चाहिये ।

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिप्राय । [ ७३ ]

१२—पं० मोहनलालजी शास्त्री काव्यतीर्थ सिवनी—  
अज्ञानके प्रभावसे यह प्रथा जैनोंमें प्रवेश कर गई है । जैनशास्त्रोंमें  
नुक्ताका नाम तक नहीं है । जैनाचारकी दृष्टिसे यह सर्वथा हेय है ।

१३—पं० कुन्दनलालजी न्यायतीर्थ व्याखर—मरण-  
भोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे सर्वथा अनुचित है । जैन  
समाजमें यह प्रथा सर्वथा अनावश्यक एवं घातक है । सन् २३ में  
मुझे इसका कदु अनुभव हुआ था तभीसे मैं इसका त्यागी हूं ।  
यदि आप इस आनंदोक्तनमें सफल हुये तो अनेक घर बर्वाद होनेसे  
बच जायेंगे ।

१४—साहित्यरक्ष पं० दरधारीलालजी न्यायतीर्थ  
चाधो—ब्राह्मणोंकी जीविकाके अनेक साधनोंमें एक साधनके रूपमें  
मरणभोजकी प्रथा चली और जब जनसंख्या आदिकी दृष्टिसे अमण  
संस्कृति कमज़ोर होगई तब जैनोंमें भी इसका प्रचार होगया ।  
मरणभोज जैनशास्त्रों और जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध है । यह तो  
पूरा मिथ्यात्व है । इसके साथ जैनत्वका मेल ही नहीं बैठता ।  
आजकल तो वह और भी अनावश्यक है । जितने जल्दी यह  
बंद किया जाय उतना ही अच्छा है । मैंने अपनी पत्नी और  
पिताजीका नुक्ता नहीं किया । करुणाजनक घटनायें तो अनेक हैं ।  
मरणभोजसे कोगोंका नैतिक पतन भी होता है । वे लड्डुओंकी  
आशासे दाह संस्कारमें शामिल होते हैं । ऐसी स्वार्थपरता मनुष्य-  
ताका दिवालियापन है । मरणभोज यदि टैक्स है तो, या पारि-  
अभिक है तो, दोनों ही लक्ष्याके चिह्न हैं ।

१५-पं० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ—महामंत्री दि०  
जैन संघ अंबालाने जैन युवक परिषद इटावाके अधिवेशनमें प्रस्ताव  
रखा था कि “नुक्ताकी प्रथा जनर्भम् एवं जैन शास्त्रोंके प्रतिकूल  
है, इसलिये किसी भी हालतमें मरणमोज नहीं होना चाहिये।” इस  
प्रस्तावके विषयमें आपने आव घटा खूब प्रभावक भाषण भी दिया  
था और कहा था कि मैंने स्वयं अपने पिताजीकी तेरहीं नहीं की,  
पं० परमेष्ठीदासने भी नहीं की, आप लोग भी प्रतिज्ञा करिये। तब  
उसी समय २०० आदमियोंने मरणमोजका त्याग कर दिया था।

### आदर्श त्यागियोंके विचार—

१६-पूज्य वाषा भागीरथजी वर्णी—आपने अपने  
पिताजीका नुक्ता न करके अच्छा आदर्श उपस्थित किया है। जैनोंमें  
बहुत समयसे मरणमोजकी प्रथा छुसी हुई है। यह हिन्दुओंके श्राद्धका  
रूपान्तर है। मरणमोज जैनशास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे उचित  
नहीं है। जैन समाजमें मरणमोजका होना आवश्यक नहीं, उसे बंद  
कर देना ही अच्छा है। खेलड़ामें मैंने इस प्रथाको बद करा दिया  
है। यदि खण्डेलवाल, मारवाड़ी और बुन्देलखण्डके जैनी इस  
प्रथाका नाश कर दें तो समाजका कल्याण होजाय। इन्हींमें इसका  
विशेष प्रचार है। मरणमोजकी करुणाजनक बटनायें इतनी भयंकर  
होती रहती हैं कि उन्हें लेखनीसे किल्सना अशक्य है।

१७-धर्मरक्ष पं० दीपचन्द्रजी वर्णी—जैनोंमें मरण-  
मोजकी प्रथा कबसे आई सो तो नहीं मालूम, किन्तु यह ब्राह्मणोंका  
अनुकरण है। इसका प्रचार भट्टारकोंके शिथिकाचारसे हुआ है।

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीयांनोंके अभिप्राय । [ ७५ ]

मरणमोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी वृष्टिसे सर्वथा विरुद्ध और अनुचित है । नुक्तेसे कौकिक शुद्धिका भी कोई संबंध नहीं है । जैन समाजमें इसकी कतई आवश्यकता नहीं है । मैंने कई जगह इस प्रथाको बंद कराया है । कुछ मूर्ख तो अपने जीते जी अपना नुक्ता कर जाते हैं और मूढ़ समाज उसमें जीतती है । गुजरातमें कई जगह तो बालाणोंको बुलाकर रजाहैं, गदेला, तकिया, जूता (जोड़ा), अंगरखा, पगड़ी, लोटा, थाली आदि भी देते हैं । यह जैनोंका वयनीय अज्ञान है ।

**१८-जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी-**  
मैं आपकी वृद्धतापर साकाशी देता हूँ, जो आपने अपने पिताजीकी तेरई नहीं की । जैन शास्त्रोंकी वृष्टिसे तो शुद्धि होनेपर मंदिरमें यथाशक्ति विशेष पूजा व धर्मार्थ तथा करुणाभावसे चार दान करना चाहिये । मरणमोज इनके अन्तर्गत नहीं है और न जैन शास्त्रोंमें इसका विधान है और न यह आवश्यक ही है । इसे सर्वथा बंद कर देना चाहिये । मरणमोजसे बड़े२ सेठोंको भी दिवालिया होना पढ़ा है ।

**१९-ब्रह्मचारी प्रेमसागरजी पंचरक्ष -** भट्टारकोंके प्रभावसे जैनोंमें यह ब्राह्मणी प्रथा घुस गई है । मरणमोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी वृष्टिसे सर्वथा अनुचित है । न तो यह आवश्यक है और न इसके बंद कर देनेसे कोई दानि ही होगी, प्रत्युत समाजका हित ही होगा । जैन समाजमेंसे इस घातक प्रथाका शीघ्र ही समूल नाश होना चाहिये ।

**२०-झेठ सुनिश्ची न्यायविजयजी न्यायतीर्थ -** एक

ओर विषवा स्त्री, बुढ़ी माता और कुटुम्बीजन रो रहे हों, और दूसरी ओर पचलोग माल मलीदा उड़ा रहे हों, यह कैसी निष्ठुरता है । लोग मृत कुटुम्बियोंको शाति देने आते हैं या उन्हें बर्बाद करने ? समाजको चाहिये कि वह असहाय विषवा और दु स्त्री कुटुम्बियोंके प्रति समर्वेदना प्रगट करे, उनकी सहायता करे और उन्हें सान्त्वना दे, किन्तु ऐसा न करके उसके घर लोटा भरके पहुंच जाना और लड्डू ढाना कहाकी मानवता है ? सचमुच ही मरणभोजकी प्रथा मिथ्यात्वकी जड़में से उत्पन्न हुई है । इसलिये निरर्थक एवं दानिहारक इस प्रथाको उत्थान कर फेंक देना चाहिये ।

### कुछ श्रीमानोंके विचार—

२१-रा० भू० रा० ब० दानबीर सेठ हीरालालजी इन्दौर-जैन समाजमें मरणभोज अब आवश्यक नहीं है, कारण कि विषवायें और असमर्थ लोग मरणभोजके कारण ही जेवर बेच कर मकान गिरवी रखकर और कर्ज़ लेकर आगामी जीवनको संकटमय बना लेते हैं । इस आर्थिक संकटके जमानेमें तो समाजकी परिस्थिति इसी प्रथाके कारण क्षयनातीत भयानक होगई है । अतः इस प्रथाको सर्वथा बंद कर देना ही इष्टकर है । इन्दौरमें मरणभोजपर सरकारी प्रतिबंध भी है, जिससे १०० आदमियोंका ही तुका होसकता है । किन्तु यह प्रथा धर्मके नामपर रथ यात्राका रूप धारण करती जारही है । मरणभोजसे सम्बन्ध रखनेवाली कई करुणाजनक घटनायें यहापर हुई हैं, जिनके फलस्वरूप विषवाओं और असमर्थोंकी दशा बही दयनीय होगई है ।

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अधिप्राय । [ ७७ ]

२२-रा० ८० वाणिज्यभूषण सेठ लालचन्द्रजी सेठी उज्जैन-जैनोंमें मरणभोजकी प्रथा बहुत समयसे है । मैंने बहातक स्वाध्याय किया है बहातक मैं यह विना संकोच कह सकता हूँ कि जैन शास्त्रोंसे इसकी कुछ भी पुष्टि या सिद्धि नहीं होती है । और नुक्तेका रिवाज जैन तथा जैनेतरोंमें एकसा ही देखा जाता है । मेरी रायमें मरणभोजकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है । इस कुप्रथाके कारण कई विधवाओंको अपनी रही सही जीविकाकी आधारभूत पूँजीसे भी हाथ धोना पड़ता है, दरदरकी भिस्तारिणी बनना पड़ता है । मैं तो इस प्रथाको सर्वथा घातक एवं अनुपयुक्त ही समझता हूँ ।

२३-साहू श्रेयांसप्रसादजी रईस नजीबाषाद- अपनी माताजीके मरणभोजकी कल्पना तो मैं स्वप्नमें भी नहीं कर सकता । यह प्रथा हानिकर है । हमारे प्रान्तमें अप्रवाल जैनोंमें मरणभोज किसीके यहा नहीं होता ।

२४-दानबीर श्रीमंत सेठ लग्वमीचंद्रजी भेलसा - हमने अपनी माताजीकी स्वयं तेरही आदि नहीं की । परिषदके बाद यहाके लोग इस छृणित प्रथाको छोड़ते जारहे हैं । इस प्रथासे समाजकी भारी हानि हुई है । इसका समूल नाश होना चाहिये ।

कुछ समाजसेवक विद्वानोंके विचार—

२५-धावू कामताप्रसादजी सं० बीर और जैन सिद्धान्त भाष्कर-जिस समय भट्टारकोने वैष्णवोंकी नकल करके आद्द तर्फ्यादिका विधान अपने शास्त्रोंमें किया तब ही से इसका

जैनोंमें प्रचार हुआ । जैन दृष्टिसे मरणमोज मिथ्यात्व कहा जासकता है । इस तंगीके जमानेमें यह प्रथा जितनी जल्दी बन्द हो उतना ही अच्छा है । हमारी बुद्धेलवाल जातियें यह प्रथा प्रायः उठ गई है । करुणकथायें तो रोज देखने सुननेको मिलती है ।

**२६-भारतके प्रसिद्ध कहानीकार आ० जैनेन्द्र-कुमारजी देहली-**मरणमोजकी उत्पत्तिके विषयमें कुछ नहीं कह सकता । हा, मरणमोज करनेकी बाध्यता हरेक धर्माचारके विरुद्ध है । जैनाचार यदि धर्माचार है तो उसके भी विरुद्ध ही है । मरणमोजकी प्रथा सर्वथा अनावश्यक है इसे बद कर देना चाहिये । यहां पर भी कुछ पथा है, पर उसकी अनावश्यकता पर जनसत जागता दीखता है ।

**२७-श्री० बैरिष्टर जमनापसादजी सब जज-हिन्दू पढ़ौसियोंके असरसे जैनोंमें मरणमोज आया है । यह प्रथा कतई उचित नहीं है । यह अनावश्यक है और इसे सर्वथा बन्द कर देना चाहिये । एक दो घटनायें क्या लिखें, रोज ही घटनापर घटनायें होती हैं । सैकड़ों घर बर्बाद होगये, पर हम क्यों अगुवा बनें, इस भयसे लोग करते ही चले जाते हैं । आपने अपने पिताजीकी तेरई न करके जो साहस व दूरबर्शिता दिखाई है उसके किये बधाई !**

**२८-ला० तनसुखरायजी,** मंत्री आ० दिगम्बर जैन परिषद देहली-हर्ष है कि आपने अपने पिताजीका नुक्का नहीं किया । इस घातक रुदिका शीघ्र ही नाश होना चाहिये ।

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीशानोंके अभिभाव । [ ७९ ]

२९-बाबू लालचन्द्रजी एडवोकेट—तथा पं० उग्रसेनजी चक्रील रोहतक—आपका साहस प्रशंसनीय है । विरोधका मुकाबला ढढ़ताके साथ करें । मरणमोजकी पथाका इसी प्रकार विनाश होगा ।

३०-मा० उग्रसेनजी मंत्री परिषद् परीक्षाबोर्ड—अब हमारे यहा तो मृत्युमोजको कोई जानता ही नहीं है । जहाँ इसका रिवाज है वहाँ भी यह शीघ्र ही मिटना चाहिये । पंच लोग आपकी परीक्षा लेंगे, इसलिये होशयार रहना ।

३१-पं० अजितप्रसादजी सब जज, एडवोकेट लखनऊ—मरणमोजकी प्रथा गरीबीमें तो जीवित मनुष्योंको यम-राजके दर्शन करा देती है, संसार नरक होजाता है, आत्मघात मुक्ति-स्वरूप मातृम पड़ने लगता है । यह प्रथा घोर कष्टपद, अत्यन्त हानिकर और हिंसात्मक है । समाजका मुस्त्य कर्तव्य है कि इस भयंकर नाशकारी प्रथाको शीघ्र ही बंद कर दे । घार्मिक तत्व तो इस प्रथामें कुछ ही नहीं ।

३२-रायसाहब नेमदासजी शिमला—जैन शास्त्रोंमें मरणमोजका कोई उल्लेख या विवान नहीं पाया जाता । जैनाचारकी दृष्टिसे भी मरणमोज उचित नहीं है । जैन समाजके किये यह हानिकर प्रथा है । आपने अपने पिताजीका मरणमोज न करके समाजके सामने अच्छा आदर्श उपस्थित किया है ।

३३-बा० फलहरचन्द्रजी सेठी अजमेर—वहाँ नुक्ता करनेकी कोई अवधि निश्चित नहीं है । कई लोग मृत्युके १५—२० वर्ष बाद भी नुक्ता करते हैं । प्रायः यहाँ मरणकी तीन ज्योनारें

होती है, एक तीसरे दिन निष्ठटसंबंधियोंकी जिसमें लगसी पूढ़ी बनती है, दूसरी बारहवें दिन विवादीकी, तीसरी तेरहवें दिन ज्योनारें यहा आवश्यक हैं, चाहे मरनेवाला युवक हो या आत्मघात काके ही मरा हो ! अविवाहितोंके भोज नहीं होते । कावारिस विधवा जीते जी ही अपना बारहवेंका भोज दे जाती है और लोग खुशीसे जीमते हैं । इस भयंकर एवं अमानुषिक प्रथाका जितने जलदी नुश हो सो अच्छा है ।

**३४-स्व० ज्योतिप्रसाद्‌जी देवबन्दू-**जो मरणभोजका लोलुपी या समर्थक है उससे अधिक पतित और कौन होगा ? जैनोंमें मरणभोजकी उत्पत्तिका उनरदायित्व त्रिवर्णाचार जैसे कलंकित ग्रन्थों पर है । इस घृणिन प्रथाका जैन धर्मसे क्या सम्बन्ध ? यह तो मिथ्यात्व है । जैन समाजके लिये मरणभोज कलंक स्वरूप है । जो इसके पक्षमें हाथ-पाव पीटने है वे जैन समाजको पतनकी ओर खींचे जा रहे हैं । हमारे यहा मरणभोजकी प्रथा कर्तव्य नहीं है । आपने इस घृणिन प्रथा को टुकराकर सादसका काम किया है ।

**३५-बा०दीपचन्द्‌जी संपादक जैन संसार देहली-** मरणभोजकी प्रथा आनन्द्यक, अनुचित और मनुष्यताके प्रतिकूल है । इसका मर्वशा बद ढोजाना प्रत्येक जातिके लिये हितकर है । आपने पिताजीका मरणभोज न करके अनुकरणीय कार्य किया है ।

**३६-स्व० सेठ हीराचन्द नेमचन्द्‌जी दोशी सोलापुर-**मेरे अभिप्रायसे मरणभोज नहीं करना चाहिये । हमारे यहा चि० गुलाबचन्द्‌जीकी बहुका मरण होगया, मगर मरणभोज

## सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिशाय । ८८

नहीं किया गया है । जीवराज गौतमकी बहुका भी नहीं किया गया । वृद्धावस्थाके कारण मैं अमर्ण नहीं कर सकता, यदि आप यहाँ आकर मेरे साथ घूमें तो सोलापुर जिलेमें यह प्रथा बन्द कराई जा सकती है ।

**३७-पं० कन्हैयालालजी राजबैद्य कानपुर-जहाँ कुदुम्बी लोग रोहे हों वहा पत्थर-हृदयी लोग न जाने कैसे लड्डू गटकते हैं । मेरे तो मरणमोजका त्याग है । इस प्रथाका जल्दी ही नाश होना चाहिये ।**

**३८-श्री० विष्णुकान्तजी बैद्य संपादक 'बैद्य' मुरादाबाद-मरणमोज करना जैन शास्त्र और जैनाचारकी वृष्टिमें सर्वथा अनुचित है । जैन समाजके लिये यह एक भारी कलंक है । इसे सर्वथा बंद कर देना चाहिये । यहा मरणमोज प्रायः बंद है ।**

**३९-जैन समाजभूषण स्व० सेठ उवाला-प्रसादजी-अपने समाजमें होनेव ली मरणमोजकी नीच प्रथाने समाजकी सभ्यता, दृष्टिगति, महानता और धर्मिकतका दिशाला बोल दिया है । यह मरणमोजकी वृणिन प्रथ समाजके माध्ये एक बड़ा भारी कलंक है । मरणमोज स्वाश्र दया धर्म और प्रेमभावका खुले मेदान गला काटा ज रहा है, या मृतकमोनके बहाने दुख योका खून चूपा जारहा है । मृतकमोजका किसी भी जैन सूत्रमें उल्लेख नहीं है । यह कुप्रथा जैन धर्मके र्वथा विशद है और दूसरोंकी देखादेखी जैन समाजमें प्रचलिन होगई है । जो हृदयहीन मनुष्य इस कुप्रथाकी किसी प्रकर से पुष्टि करने हैं वे केवल लड्डू**

गटकनेके लिये जैन समाजको धर्मके नामपर धोखा देकर मिथ्यात्वके गहरे गड्ढेमें ढकेकते हैं और अपने लिये नर्कगतिका बन्ध बाधते हैं । इस नीच पथाको शीघ्र ही बन्द कर देना चाहिये । इसमें धनी निर्धन या किसी भी आयुक्ती कोई शर्त नहीं होनी चाहिये ।

४०- कविवर श्री० कल्याणकुमार 'शाशि'-आपसे जो नुकेकी बात करते हैं वे स्वय उपहासास्पद बनते हैं । आपसे मरणभोजकी आशा हिंदू मुस्लिम समझौता जैसी है । इस भयंकर प्रथाका समाजसे शीघ्र ही नाश होना चाहिये ।

४१- पं० छोटेलालजी परवार-सुपरि० दि० जैन बोहिंग अहमदाबाद-मैं इस भयंकर प्रथाका कट्टर विरोधी हूँ । मेरे हृदयपर एक घटनाने भारी चोट लगाई है (जो करुणाजनक सब्दी घटनाओंमें नं० २३ पर सुन्दरित है) तभीसे मैंने मरणभोजमें जाना छोड़ दिया है । नुकाका वार्ताला ही मुझे बुरा लगता है ।

४२- विद्यारत्न प० कमलकुमारजी शास्त्री-तथा बा० अमोलकचंदजी खण्डवा-जैनोंमें मरणभोज ब्राह्मणोंके अनुकरणका फल है । जैन शास्त्रोंमें इसका कोई विधि विधान नहीं है । यह प्रथा जैन शास्त्र और जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध है । यहां पर यह भयंकर प्रथा अभी भी बुरी तरह जारी है ।

४३- ब्र० नन्हेलालजी-भट्टाचारीय जमानेमें ब्राह्मणोंसे यह किया जैनोंमें आगई है । इसका जैनागम या जैनाचारसे कोई संबंध नहीं है । राज्यपूतानमें तो इही की जैन लोगोंमें 'शाद्व' भी करते हैं । वागड प्रान्तमें तो 'इतन' रिवाज है छि यदि किसीकी

## मुषसिद्ध विद्वानों और श्रीपाठोंके अभिप्राय । [ ८३ ]

शकि १३ दिनमें नुक्ता करनेकी न हो तो पंच कोग जमानत लेकर पगड़ी बाघ देते हैं । फिर सुविधा होनेपर नुक्ता करवाते हैं अन्यथा उसे अटका देते हैं । इधर हूमड़ोंमें ‘पिण्ड किया’ भी ब्राह्मणसे कराई जाती है । ‘गंगास्नान’ और ‘गोदान’ का भी संइच्छ्य किया जाता है । जहाँ जैन समाजमें इतना मिथ्यात्म धुसा हुआ है वहाँकी स्थितिका वया वर्णन करुँ ?

**४४—सेठ मूलचन्द्र किसनदासजी कापड़िया—**  
 संपादक जैनमित्र तथा दिग्ब्दर जैन, सूरत—मरणभोज किसी भी अवस्थामें शास्त्रोक्त नहीं है । मरण और भोज यह शब्द ही संगत नहीं हैं । मरणभोजकी प्रथा मिथ्यात्मियोंका अनुकरण है । जैनधर्म और जैनाचारसे यह सर्वथा विरुद्ध है । पहले सूरतमें हमारी ( वीसा हूमड़ ) जातिमें मरणके ५—५ जीमनवार जबर्दस्ती देना पढ़ते थे । किन्तु अब यह प्रथा यहाँसे उठ ही गई है । अब तो ८० वर्षके बुढ़े हो भी मरणभोज नहीं किया जाता । इसी प्रकार अन्य प्रान्तोंमें भी शीघ्र ही बंदू होजाना चाहिये । इसके लिये स्वयं शामिल न होनेकी और दूसरोंसे प्रतिज्ञा करानेकी आवश्यकता है ।

**४५—मिश्रीलालजी गंगवाल इन्दौर—**यहा नुक्ता आंदोलनके समय कई प्रचण्ड जैन विद्वानोंकी सम्मतिया मंगाई गई थी । उनके बलपर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रथाका जैन धर्म और जैनाचारसे कोई संबन्ध नहीं है । इस प्रथाका बंद होना आवश्यक है ।

**४६—पं० सत्यंधरकुमारजी सेठी—**जिस प्रकार जैनोंमें देवी देवताओंकी पूजा धुस गई, उसी प्रकार पढ़ोसियोंके संसर्गसे

मरणभोज भी पुस गया। जैन शास्त्रोंमें कहीं भी इस प्रथाका समर्थन नहीं मिलता। जैनसमाजमेंसे इस प्रथाका शीघ्र ही नाश होना चाहिये।

**४७-कस्तुरचन्द्रजी वैद्य-**मंत्री जैन विधवाश्रम अकोला-जैनर्म और जैनाचारकी यह विरोधी प्रथा न जाने जैन समाजने क्यों कर अपना ली? हमरे आध्रममें ऐसी अनेक विधवायें हैं जिन्हें अपने पतिका मरणभोज करके बर्बाद होना पड़ा और किर निराधार होकर मार्गभ्रष्ट होना पड़ा। मगर अभागी जैन समाजकी आखें ही नहीं खुलतीं।

**४८-आयुर्वेदविशारद पं० सुन्दरलालजी द्वारा-**जैनागम और जैनाचारकी हष्टिसे शुद्धिके लिये भी मरणभोज आवश्यक नहीं है। यह तो मात्र मिथ्यात्व है। इस घातक प्रथाका शीघ्र ही नाश होना चाहिये।

**४९-पं० बाबूरामजी जैन बजाज आगरा-वैदिक धर्मानुयायियोंके प्रभावसे जैनोंमें यह प्रथा घुसी है। जैन धर्म और जैनाचारसे इसका कोई संबंध नहीं है। इस ग्रथाने समाजको बेहाळ कर दिया है। इसका शीघ्र ही नाश होना चाहिये।**

**५०-श्री० शान्तिकुमार ठबली नागपुर-**यह प्रथा धार्मिक नहीं किन्तु सामाजिक कुरुदि है। यह निन्दनीय प्रथा है। इसका शीघ्र ही नामनिशान मिटाना चाहिये।

**५१-पं० रामकुमारजी 'स्नातक' न्यायतीर्थ-**मरणभोजकी पथा जैनर्म और समाजके लिये एक भारी कलंक है। इससे समाजका बहुत पतन हुआ है।

## मुख्यसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अधिष्ठात् । [ ८५

इन सम्मतियोंके अतिरिक्त मेरे पास और भी अनेक विद्वान् तथा श्रीमानोंके पत्र आये थे जिनमें उनने मरणभोजके पति अपना विरोध प्रगट किया है और मेरे कार्यकी अनुमोदना की है । उन मन्बकी सम्मतियां और विचार प्रगट करना स्थानाभावके कारण शक्य नहीं है । इसलिये यहापर मात्र उनसे से कुछके नाम ही प्रगट किये जाने हैं अतः वे मुझे क्षमा प्रदान करेंगे ।

१—प० कुन्दनलालजी न्यायतीर्थ भोपाल, २—मा० मोतीकालजी तलवाड़ा, ३—श्री० फूलचन्दजी सोगानी शोपुरकलां, ४—बा० नेमीचन्दजी पटोरिया वडील छिंदवाड़ा, ५—प० सुबनेन्द्रकुमारजी 'विश्व' जबलपुर, ६—मा० जिनेश्वरदासजी भेलसा, ७—मा० ज्ञानचन्दजी सिरोन, ८—मा० उत्तमचन्दजी लखनादौन, ९—श्रीमान् कपूरचन्दजी केवलारी, १०—श्रीमंत सेठ विरधीचन्दजी सिवनी, ११—प० सुमेरुचन्दजी न्यायतीर्थ कोलारस, १२—प० रवींद्रनाथजी न्यायतीर्थ रोहतक, १३—पांडिन महेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ बनारस, १४—का० जौहरीमलजी सराफ देहली, १५—बा० सुदर्शनलालजी एटा, १६—बा० कपूरचन्दजी सं० जैन संदेश आगरा, इत्यादि ।

## मरणभोज कैसे रुके ?

प्रत्येक कुरीतियां जब दृष्ट आन्दोलनके प्रभावसे शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाती हैं । ऐसी अनेक रुद्धियां आपने नष्ट होती हुई देखी हैं । इसी प्रकार आन्दोलन करनेसे मरणभोजका रुक जाना भी अशक्य नहीं है । आप इस पुस्तकके 'मरणभोज विरोधी आन्दोलन'

प्रकरणमें देख चुके हैं कि थोड़ेसे आन्दोलनसे अच्छी सफलता मिल रही है। इस आन्दोलनको अभी और भी उग्र बनानेकी आवश्यकता है।

इसमें संदेह नहीं कि आन्दोलनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पाठकोंको इस बातका अनुभव होगा कि गत कुछ वर्षोंके आन्दोलनसे जनताके विचारोंमें बहुत परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि कई जगह ४०—४५ वर्षसे कम आयुके मृतव्यक्तियोंके मरण-भोज नहीं किये जाते और कई जगह तो इनकी कलही चंदी होगई है। कितने ही विवेकी लोग अपने जीतेजी ऐसा प्रबंध कर जाते हैं कि मेरे मरनेपर मेरा 'मरणभोज' न किया जाय।

अभी पिरावा निं० श्री० चन्दूलाल बलद विहारीलालजी जैनने बाकायदे स्टाप्पर लिखत की है कि मेरे मरनेपर मेरा मरणभोज न किया जाय। आपके कुछ शब्द यह है—“यह रिवाज हमारे मज़ाहब जैनके उसूलके खिलाफ है। मज़ाहब जैनके मुआफिक किसीके मर जानेके बाद लोगोंके खिलानेका कोई सवाल नहीं माना गया और न मरनेवालेकी रुद्धको कोई फायदा पहुंचता है। इसलिये अमोलकचन्द जैन पिरावाको वसिअत तहरीर करके रजिस्ट्री करा देता हूँ कि मेरे और मेरी औरत सुन्दरबाईके मरनेके बाद हम दोनोंका नुक्का, छहमाही या वर्षी न की जाय। दोनोंके नुक्कामें जो ३५०) सर्च होते उन्हें कायम रखकर उसके सुदका धर्मार्थ उपयोग किया जाय। अगर अमोलकचन्द इसके खिलाफ (नुक्का) करेगा तो दौकतको बदराहमें लगानेवाला और मेरी रुद्धको तकलीफ पहुंचानेवाला समझा जायगा।”

इससे याठक समझ सकेंगे कि श्री० चान्दूकाकबीको मरण-भोजसे कितनी घृणा है, और यह आन्दोलनका ही प्रभाव है। इसी प्रकार और भी कई श्रीमानोंने आन्दोलनसे प्रभावित होकर मरणभोज नहीं किया और अच्छी रकम दानमें दी है। अभी हाल ही साहू शातिप्रसादजी जैन रोहतास हन्डस्ट्रीजकी माताजीका स्वर्गवास हुआ है। उनने मरणभोजादि न करके ५००००००) पाच काल सुखाका आदर्श दान किया है। पुनाके सेठ घोड़ीशम हीराचन्दजी जैनने अपनी माताजीका तुका न करके ५०००) गरीबोंकी रक्षाके लिये दान किये हैं। जबकपुरके सुप्रसिद्ध श्रीमान स० सिंघई भोजानाथ रतनचंदजीका स्वर्गवास होनेपर मरणभोज नहीं किया गया, किन्तु ५००) दान किये गये। कासीमें सिं० गुलाबचंदजी जैनकी मामी-का स्वर्गवास होगया। उनने मरणभोज न करके यथाशक्ति अच्छा दान किया है। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि जनतापर आदोलनका अच्छा प्रभाव पढ़ रहा है।

आन्दोलनका यह भी प्रभाव हुआ है कि यदि कोई हठपूर्वक रसोई बनाता भी है तो कई लोग उसके यहा जीमने नहीं जाते। कुछ ही समयकी बात है कि जोषपुरमें बद्रीनाथजी मूर्याने अपनी माताजीका मरणभोज किया। ५०० लोगोंको आमंत्रण दिया। किन्तु उसमें २५० लोग ही संमिलित हुये। इसी प्रकार यदि सर्वत्र बहिष्कार किया जाय तो बहुत जरूरी सफलता मिल सकती है।

यैने अपने पिताजीका मरणभोज नहीं किया। इससे अच्छा

आनंदोक्तन हुआ है । परिणामस्वरूप अब कई लोगोंने मरणभोज नहीं किये । जैतमित्र और बीमे पण्डित गोरेकालजी जैनने समाचार छागया है कि “सेंघरा निं० प० मोतीलालजीकी पिता महीका ३५ वर्षकी आयुमें स्वर्गवास हो गया । लोगोंके आग्रहसे रिवाजानुमार मरणभोजका विचार हुआ । मगर मैंने बहुत समझाया कि अपने गरीब प्रात ( बुन्देलखण्ड ) में यह घातक प्रथा मिटा देनी चाहिये । तब आपने प० प१मेष्ठीदामजीका अनुकरण करने हुये मरणभोज बन्द कर दिया और गोलापूर्व जैन समाजमें इस घातक प्रथाको बन्द करनेका सर्व पथम श्रेय आपने ही लिया । अब आप अपनी पिता महीके स्मरणार्थ एक दुस्तक प्रगट करनेवाले हैं । ”

जैन समाजके प्रखरसुधारक रुदैनी निं० पञ्चालालजी जैन घिरोग्ने अपने एक पत्रमें लिखा है कि “आपके समान ही एक मासका मेरे ऊपर अटक गया था । मेरे पिता जीका ७० वर्षकी आयुमें स्वर्गवाप होगया । यहाकी समाज मरणभोजके लिये आग्रह करती रही, मगर मैंने आपके साहम और अनशका अनुकरण करके मरणभोज नहीं किया । ”

इन घटनाओंके उल्लेख बरनेका तात्पर्य यह है कि यदि कोई साहसपूर्वक अपने घरसे सुधार करे तो उसका अनुकरण करनेवाले भी बहुत होजाते हैं । और फिर उनके भी अनुकरण करनेवाले तैयार होजाने हैं । इस प्रकार धीरे धीरे कुरुद्धियोंका नाश होता जाता है । मरणभोजको बन्द करनेके लिये भी स्वयं नमूना बननेकी आवश्यकता है । मरणभोजकी घातक प्रथाको बन्द करनेके लिये प्रत्येक जगहकी

परिस्थितिके अनुसार अनेक उपाय हो सकते हैं। किन्तु मैं यहांपर कुछ सर्वसामान्य उपाय लिख रहा हूँ—

१—यदि आप मरणभोजके विरोधी हैं और यदि इस पुस्तकको पढ़नेके बाद कुछ दया उत्पन्न हुई है तो प्रतिज्ञा करिये कि मैं किसी भी मरणभोजमें न तो भोजनके लिये समिलित होऊँगा और न इस कार्यमें किसी भी प्रकारका सहयोग ही दुँगा।

२—यदि आपके घरमें, कुटुम्बियोंमें या रिश्नेदारोंमें मरण-भोज होरहा है तो मात्र आपके न जाने या उपेक्षा रखनेसे काम नहीं चलेगा, किन्तु आप साहसपूर्वक उसका डटकर विरोध करिये, समझाइये और इतनेपर भी सफलता न मिलनेपर उसके विरोध स्वरूप उपचास करिये। और उसे सबपर प्रगट कर दीजिये।

३—अपनी जातिमें, ग्राममें और आसपासके ग्रामोंमें जाकर तथा मेला, प्रतिष्ठा या सभादिके समय लोगोंमें मरणभोज विरोधी प्रचार करिये। तथा अधिकसे अधिक लोगोंसे मरणभोज विरोधी प्रतिज्ञापत्र भराइये, जो “ला० तनसुखरायजी जैन मंत्री दि० जन परिषद—देहली” को पत्र देनेसे यथेष्ट संस्थामें मुफ्त मिलेंगे।

४—जब आपको मालूम हो कि कहीं मरणभोज होनेवाला है तब आप कुछ प्रभावक लोगोंको साथ लेकर वहां समझाने जाइये और उचित मार्ग बताइये। यदि समझाने पर वह न माने तो उसे स्वयं या अपने किसी मण्डलकी ओरसे चेतावनी दीजिये कि यदि आप मरणभोज करेंगे तो हम डटकर विरोध करेंगे। यदि इसमें भी सफलता न मिले तो मरणभोज विरोधी इक्तिहार छपाकर जीमने-

बालोंके घर तथा आम जनतामें बाटना चाहिये तथा उसमें अपना निक्षय प्रगट कर देना चाहिये । फिर भी यदि सफलता न मिले तो अपनी मण्डलीके कुछ साहसी युवकोंको तथा कुछ बहिनोंको लेकर मरणभोज करनेवालेके दरवाजे पर शात एवं अहिंसापूर्ण विकेटिंग (घरता) करिये । फिर देखिये कि उने निष्ठुरहृदयी आपकी छातीपर पैर रखकर भोजन करने भीतर छुसते हैं ।

**श्रीमती लेखवतीजी** जैनके शब्दोंमें तो “बहिनोंको भी विकेटिंग करना चाहिये, फिर भी जिन निष्ठुर पुरुषोंको मरणभोजमें जाना होगा वे भले ही बहिनोंकी छातीपर लात रखकर चले जावें ।”

५—प्रत्येक नगरमें मरणभोज विरोधी दल स्थापित होना चाहिये अथवा प्रत्येक मण्डल, युवकसंघ, विद्यार्थी संघको यह कार्य अपने हाथमें लेना चाहिये । सफलता अवश्य मिलेगी ।

**साहसी युवको !** मुझे तुमसे बहुत आशा है । तुम प्रतिज्ञा करो और अपने मित्रोंसे प्रतिज्ञा कराओ कि हम मरणभोजमें किसी प्रकारका भाग नहीं लेंगे । समाजमें मरणभोज जैसी राक्षसी प्रथा चालू रहे और युवक देखा करें यह तो युवकोंके सिर सबसे बड़ा कलंक है । इस कलंकको मिटानेके लिये मरणभोज विरोधी जबर्दस्त आन्दोलन ठाठाओ । अच्छे कामोंमें सफलता अवश्य बिल्ती है ।

**विवेकशील बहिनो !** तुम तो दया और करुणाकी मूर्ति हो । फिर क्यों इस निर्वयतापूर्ण छढ़िको पुष्ट कर रही हो ? यदि तुम मरणभोजमें जाना छोड़ दो, उसमें किसी प्रकारका भाग नहीं

ले और उसका ढटकर विरोध करो तो निश्चय ही यह प्रथा समाजसे जल्दी ही डठ जाय । तुम देख रही हो कि मरणमोजके कारण तुम्हारी विश्वा बहिनोंकी कैसी दुर्दशा होती है । फिर भी तुम इसका विरोध क्यों नहीं करती ? तुम्हारी ओरसे तो कोई आन्दोलन ही नहीं दिखाई देता । तुम्हें तो इसके विरोधमें सबसे आगे होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि जब तुम इसके विरोधमें अपनी आवाज़ उठाओगी तब मरणमोजका रहना असम्भव होजायगा ।

**समाजके मुख्यियाओं :** अब देश और समाजकी गति-विधिको भी देखो तथा विचार करो कि इस भयंकर प्रथाने अपनी समाजका कैसा नाश किया है । सैकड़ों हजारों घर इसीके कारण बरबाद होगये हैं । इसलिये इस रूढ़िका सर्वथा नाश कर दो । आप तो आजकलके स्वतंत्र बातावरणमें जी रहे हैं, तब फिर इस विनाशक राक्षसी प्रथाको क्यों नहीं मिटा देते ?

**सम्माननीय पाठकवर्ग !** इस पुस्तकको पढ़कर यदि आपके मनमें मरणमोज विरोधी विचार उत्पन्न हों तो आप भी कुछ प्रयत्न करिये । ऐसे कार्य तो संगठन और ऐक्यसे ही होसकते हैं । आशा है कि यदि आप लोग सम्मिलित प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । जिस दिन जैन समाजसे मरणमोजका मुंह काला होगा उसी दिन जैन समाजका मुख उज्ज्वल होसकेगा ।



# कविता-संग्रह ।

## मरणभोज ।

[ रच०-श्री० घासीगाम जैन “ चन्द्र ” ]

मिसक मिसकर इधर रोगही है विघ्वा बेचारी ।

उधर बाकसमुदाय विक्खता देकर किलकारी ॥

नहीं पास है इतना धन जिससे व्यर्तीत हो जीवन ।

ऐसी कुदशा छोड़ पधारे स्वर्ग लोक जीवनधन ॥

कहो किस तरह विश्वमें जीवनका निष्ठार हो ।

कैसे विघ्वावृन्दका मारतमें उद्धार हो ॥ (१)

अभी तीसरा भी तो पतिका हुवा नहीं है ।

कामकाज निज कर विघ्वाने छुवा नहीं है ॥

निज प्यारी मंत्रान न अबतक गले लगाई ।

धीरज तनिक न हुवा न कुछ तनकी सुध पाई ॥

नुक्ता करवाने यहा पचलोग आने लगे ।

माल उड़ानेके लिये जेवर विक्खाने लगे ॥ (२)

विघ्वा कहती कहो किम तरह जाति जिमाऊँ ।

कर्जी लूँ या निज जेवर गिरवी रखवाऊँ ॥

नहीं पास पैमा है जिससे काम चलाऊँ ।

भगवन् । ऐसे दुखमें कैसे धीरज पाऊँ ॥

सह न सकूँगी तनिक भी मैं बलाहने जातिमें ।

नुक्ता करना ही पढ़े सहं सभी दुख गातमें ॥ (३)

बोले पंच तुम्हारे पतिका नाम बड़ा है ।

किया उन्होंने यहा आजतक काम बड़ा है ॥

बुद्धिमान थे और जातिमें नाम करवाया ।

अपना मस्तक कभी नहीं नीचा करवाया ॥

गर उनका होगा नहीं तुक्ता वैसी शानसे ।

कैसे अपनी जातिमें बैठेगी अभिमानसे ॥ (४)

विघ्वाको देदेकर बाँड़े हा तुक्ता करवाया ।

जेवर वेचाया मकान उसका गिरवी रखवाया ॥

पाच पाच या चार वरसके बालक भी पालेगी ।

उधर जातिद्वारा आये संकटको भी टालेगी ॥

ऐसी दुष्ट प्रथामई जाति तुझे धिक्कर है ।

जहा पेटको होगहा इतना अत्याचार है ॥ (५)

यह तो थी असर्मर्थ समर्थोंकी अब सुनो कहानी ।

जिसको सुनकर मर आयेगा निज आखोंमें पानी ॥

बीस वरसका पुत्र सेठजीका था गौरवशाली ।

जिसे निरख सह वधु सेठजीको छाई हरियाली ॥

कालचकड़े चकरे हुवा अधिक बीमार था ।

बचनेका उसका तनिक रहा नहीं आसार था ॥ (६)

एक वही था उनके वह इकलौता बेटा ।

हाय अचानक उसे कालने आन समेटा ॥

नव विवाहिता वधु बिलखती छोड़ सिखारा ।

बला सेठकी छातीपर क्या काल दुधारा ॥

हाय हाथकर विविध विष शोष वहा होने लगा ।

सारा ही परिवार तब विलख विलख रोने लगा ॥ (७)

अरे दुष्ट लोगोंने उसका भी नुक्का करवाया ।

कन्दन करती विधवाका कुछ भी तो तरस न आया ॥

परवा नहीं द्रव्यकी लाखों भरे हुवे थे घरमें ।

पर अनर्थका हंका भारी बजता था जगभरमें ॥

कहो कौन रोगा नहीं देख हमारी नीचता ।

जिसे देखकर मूर्ख भी सदसा आखें मीचता ॥ (८)

किसी शास्त्रमें नुकेका सुविधन नहीं है ।

नुक्कामें कोई स्वजातिकी शान नहीं है ॥

स्वर्ग लोकमें मृत नरका सम्मान नहीं है ।

पूर्व—जनोंकी इसमें कोई शान नहीं है ॥

फिर क्यों ऐसी कुप्रश्ना की कीचड़में फंस रहे ।

तुम्हें देखकर सम्यग्ण “चन्द्र” सभी है हंस रहे ॥ (९)

अरे भाइयो अब तो युग उत्तिका आया ।

नहीं चलेगा ढोग यहा अब यह मनभाया ॥

सत पथपर आ ऐसी दुष्ट प्रथाएँ छोड़ो ।

कुटिल कुर्गिति कुर्मार्ग सदा इनसे मुख मोड़ो ॥

प्राण बचाओ जातिके त्याग दीनता हीनता ।

‘चन्द्र’ न हरगिज इस तरह फैलाओ अति दीनता ॥ (१०)

## नुक्तेकी भेट !

[ रचयिता-कविवार श्री० कल्याणकुमार जेन “शशि” ]

सामाजिक अत्याचारोंपर हो लो पानी पानी ।

युक्त प्रान्तके एक नगरकी है यह कहुण कहानी ॥

सरळ स्वभावी जैनी लाला दीनानाथ बिचारे ।

कूरकालसे कवकित होकर असमय स्वर्ग सिघारे ॥ (१)

अपने पीछे बीस कर्षकी विघ्ना पली छोड़ी ।

मानों इस निर्दयी कर्मने सुन्दर कली मरोड़ी ॥

लाला दीनानाथ बहुत ये साधारण व्यापारी ।

खर्च इसलिये होजाती थी कमी कमाई सारी ॥ (२)

इस कारण ही अपने पीछे अधिक नहीं धन छोड़ा ।

क्रिया कर्ममें खर्च होगया जो कुछ भी था थोड़ा ॥

विघ्ना अबला ‘रत्न प्रमा’ का रहा न नेक सहारा ।

कैसे होगा बेचारीका आगे हाय गुजारा ॥ (३)

पर समाजके आधीशोंका इसपर ध्यान नहीं था ।

मानों पंचायती राज्यमें इसको स्थान नहीं था ॥

यह निर्दयी समाज न उमड़ा किञ्चित् सुष लेती थी ।

विलख विलख हर अबला पनी प्राण दिये देती थी (४)

सम्पत्ति, सन्तुति हीन पथम थी पति अब हुआ पराया ।

भोली युवती सब कुछ खो हर हाय हुई असहाया ॥

तिसपर एक नया संकट यह रत्नप्रमापर आया ।

पंचोंने जल्दी ‘नुक्ता’ करनेका हुम सुनाया (५)

एकाएक नये संकटसे घबरा गई बिचारी ।  
 नाच गई आखोमेअकाकर नव भविष्यकी स्वारी ॥  
 सोचा आ कुछ जोड़ गाठ जीवन निर्वाह करूँगी ।  
 धर्म ध्यान रत जैसे होगा पापी पेट भरूँगी (६)  
 पर तुकेके महाशापने सब पर पानी केगा ।  
 हाय अधूरी ही निद्रामें असमय हुआ सवेरा ॥  
 पढ़ी और मरतीके ऊपर ये दो लातें ज्यादा ।  
 कैसे अब रखते समाजमें अक्षुण्ण कुल मर्दादा (७)  
 आखिर सब पन हार गई फिर पचों पर बेचारी ।  
 बही दीनतायुन रो रो करके यह अर्जु गुजारी ॥  
 पंचराज ! मैं हाय लुट रई अशुभ कर्मकी मारी ।  
 प्राणेश्वर मर गये किन्तु हा मैं न मरी हत्यारी ॥ (८)  
 जीवन भार सिर पड़ा मेरे इसको ढोने दीजै ।  
 पर इस 'तुके' के काण मेरी मत स्वारी कीजै ॥  
 आप सोचिये कैसे संभव होगा हुक्म बजाना ।  
 जब कि नहीं है यहा पेट भरनेके लिये ठिकाना ॥ (९)  
 पचोंके अगे बहुतेरी विधवा रोई धोई ।  
 पर लड्डू-लोनु । पापी दलमें न पसीजा कोई ॥  
 सब कुछ कहा दुइआई भी दी किन्तु न कुछ कल पाया ।  
 सिक्ताथलगर कहो किसीने भला कभी जरु पाया ॥ (१०)  
 बोले पंच पापिनी हमसे अधिक न बात बनाना ।  
 यह प्राचीन धर्म है इसको पढ़े जरूर निभाना ॥

कुशक चाहती है अपनी तो नुक्का करना होगा ।  
 बरना दण्ड बढ़ा भारी फिर इसका भरना होगा ॥ (११)  
 अबला समझी खूब दण्ड जो उसको भरना होगा ।  
 हो समाजसे खारिज फिर दरदरपर फिरना होगा ॥  
 यही पंच परमेश्वर फिर उष्टा परिणाम निकालें ।  
 हन्दे न कुछ संकोच पंच यह जो कुछ भी करडालें ॥ (१२)  
 महासंकटोंकी सिरपर घनघोर घटा धिर आई ।  
 मानो हो इस ओर कूप उस ओर गयंकर खाई ॥  
 समझ गई इस पंच कचहरीसे जो कुछ होना था ।  
 व्यर्थ पत्थरोंके आगे सिर धुनधुनकर रोना था ॥ (१३)  
 फिर उठ चली नाश्वसा करके वह लापरवाहीका ।  
 कहती गई नाश हो जल्दी इस तानाशाहीका ॥  
 पहन अधिक पचड़ेमें उसने शीघ्र किया यह निर्णय ।  
 सभी संकटोंका कारण है मेरा जीवन निर्दय ॥ (१४)  
 अतः नाशकारी कुप्रथापर इसका अंत उचित है ।  
 ईश्वर जाने मुरदेका खाजानेमें क्या हित है ॥  
 अस्तु, कुएँ कूद पढ़ी हो नुक्केसे दुःखित मन ।  
 तनिक देरमें अन्त होगया उसका कोमल जीवन ॥ (१५)  
 पता नहीं इस मांति नित्य ही हा ! कितनी अबलाएँ ।  
 जीवनकी बलि चढ़ा चुकी हैं छोड़ करुण माथाएँ ॥  
 अस्तु ऐट होंगी कितनी कुछ उसका नहीं दिखाना ।  
 कब होगा यह नह अष्ट पालण्ड अतीव पुराना ॥ (१६)

## प्राणाधारसे !

[ रच०-पं० राजेन्द्रकुमारजी जैन 'कुपरेश' साहित्यरत्र । ]

नाथ आपके साथ उसी दिन, यदि मैं भी मर जाती ।  
 तो मरनेसे अधिक आपदा, यह मुझ पर क्यों आती ॥  
 मैं दुखिया हा यहा रह गई, और साथ है कच्चा ।  
 भटक रहा दाने दानेको, आज तुम्हारा बच्चा ॥ १ ॥  
 नहीं लबर लेनेवाला है, भूल प्यासकी मेरी ।  
 मैं हूँ और लाल है मेरा, फूटी किस्मत मेरी ॥  
 हाय ज्यधा अपनी भी तो मैं, नहीं कहीं कह सकती ।  
 रो सकती हूँ हाय न मैं पर, रोकर भी रह सकती ॥ २ ॥  
 पंचोंका आदेश मुझे हा, पूरण करना होगा ।  
 करूं नहीं तो, नहीं जातिने, मेरा रहना होगा ॥  
 मरण भोज करना ही होगा, कैसी करूं भरे रे ।  
 छोड़ गये तुम तो प्रोत्तम पर, पास न कुछ भी मेरे ॥ ३ ॥  
 बेचू यह रहनेका घर क्या, या इस तनके गन्ने ।  
 नहीं किया तो नाथ ताहने, मुझे पढ़ेंगे सहने ॥  
 यह बच्चा होकर अनाथ हा, भटके मारा मारा ।  
 पर पंचोंका पेट हाय क्या, भर दूँ लड्डू ढारा ॥ ४ ॥  
 आओ पंचो अरे जीमलो, मैं हूँ लाल लड़ा है ।  
 हमें मिटा दो तुमको तो फिर, होगा लाभ बढ़ा है ॥  
 मरणभोज हां मरणभोज ही, पंचो अरे कुरुंगी ।  
 अपना और लाल अपनेका, हां ! हा ॥ इनन कुरुंगी ॥ ५ ॥

## लड्हुलोभी पंच ।

( रच०-श्रीमती कपलादेवी जैन-सूरत । )

मरणके लड्हुलोभी लोग,  
आज बनकर परमेश्वर पंच ।  
लृटते विषवाओंको खूब,  
दया आती नहिं उनको रंच ॥ १ ॥

कलेजा पत्थरका करके,  
बने लड्हु खानेमें दक्ष ।  
लृटने वे अबलाओंको,  
बने बैठे हैं पूरे यक्ष ॥ २ ॥

नहीं हो विषवाके घरमें,  
व्यवस्था कलके खानेकी ।  
खगाये रहते फिर भी आश,  
पंच तो छह पानेकी ॥ ३ ॥

खगर होनेसे द्रव्यविहीन,  
विचारी वह विषवा नारी ।  
नहीं कर सकनेकी तुक्का,  
प्रगट करती है लाचारी ॥ ४ ॥

पंच तब धमकी दे उसको,  
कराते मरणभोज भारी ।  
छटाकर उसमें वह सर्वस्थ,  
मटकती भूती दुखवारी ॥ ५ ॥

## मृत्युभोज निषेध ।

[ रच०—पं० शुकदेवप्रसादजी तिवारी विद्याभूषण । ]

कह की कह अब है गई, समुक्षि न जाय ।

बह समाज कस है गई, बुद्धि विहाय ॥

समदर्शीन याने, दियो भगाय ।

दूजेके दुखमें सुख, रही मनाय ॥

पंचनकी बुधि दिंगुरन, चरिगे हाय ।

ऐसिन दुरमति फैली, कही न जाय ॥

जाति बीच यदि कोऊ कहुँ मरि जाय ।

तीन दिनोंके पीछे, सब जुरि जाय ॥

मृतक ढोर पै मानहु, गिद्ध उडँय ।

ऐसहि जीभ सँभारे, अरु लकचाँय ॥

देखत नाहिं बिपत्ती, दुखियन केर ।

स्वयो मानुस घरको, सेवहिं टेर ॥

दया गँवा दई दियसो, भये कठोर ।

निरदई है कै निरनै, दयो बटोर ॥

देवत निरनै, घरकी, दशा सुलाँय ।

दुखी जीव सब घरके, का कक खाँय ॥

इतने पै, पुरुसनकी, कथा सुनाँय ।

ऊँची होय रसुहथा, बात न जाय ॥

चढ़ा सरग पै सबको, देत गिराय ।

पीछैका फिर है है, दया न जाय ॥

काटत चिठिया किस किस, बढ़ौ हुकास ।

गिनन लगे दिन पै दिन लग गई आस ॥

कैसिन भई तैयारी, लखी न जाय ।

मरि भरिके सब लोटा, बैठिसि आय ॥

करि करिके तारीफे, लगे उड़ान ।

उड़ा उड्हके चलिगे, होत बिहान ॥

रोबत दुस्री कुटुम्बा, करत विकाप ।

कबहुँ न हेरत फिरिके, कीन्हेसि पाप ॥

भूखे मरत लड़कवा, घर बिक जाय ।

फेरि न पूछत कोऊ, घर पर आय ॥

मृतक भोज जो खावत पाप कमात ।

इतने हू पै धिक है लाज न आत ॥

दुखी कुटुम्बे जाके, माल उड़ात ।

मानहु मानस मक्षक, तिन कहु तात ।

गीध, शान, कौआ अरु, बने शृगाल ।

मृतक भोजमें जाकर, खावत माल ॥

भैयन ! बिनबौ तुम सन, है कर जोर ।

कलु इक अरजी सुनिश्चयो, पावन मोर ॥

कबहुँ न जाकर खाबहु, मिश्तक भोज ।

कठिन कमाई खाकर, जीवहु रोज ॥

दया करहु दुखियन पै, बनो दयालु ।

तासों नित प्रभु तुम पर, रहे कुणालु ॥

एक दिना जेवनमें, अमर न होय ।  
 मृतक भोज पा बितवत, जीवन कोय ?  
 करिस्यो आज प्रतिशा “कबहुँ न जाँय ।  
 मृतक भोजके भोजन, कबहुँ न खाँय ॥”  
 ‘निरबद्ध’ की यह विनती, केवहु मान ।  
 सुख सम्पति सन्तति, पावहु यश मान ॥

### मरणभोजकी भट्टी ।

[ रचयिता—कविरत्न पं० गुणभद्र जैन ]

लिखदे सत्वर करुण लेखनी मरण कहानी,  
 सुन जिसको पाषाण हृदय हो पानी पानी;  
 जबतक यह दुष्पथा रहेगी जीवित भूपर,  
 आवेगे संकट अनेक हा ! अपने ऊपर,  
 मरणभोजकी अभिमें, स्वाहा कितने होगये ।  
 पाठक ! आप निहारिये, होते हैं कितने नये ॥ १ ॥

बनकर विष यह प्रथा जातिकी नसमें व्यापी,  
 हुये सभी इसके शिकार सज्जन या पापी,  
 घरमें मिलता नहीं पेटभर भी हो खाना,  
 पर पंचोंको तो अवश्य हा ! पढ़े खिलाना;  
 निर्धन करती जारही, आज जातिको यह प्रथा ।

दिल दहलावे आपका, दुखप्रद है इसकी कथा ॥ २ ॥  
 घर उजाह बन रहे, आज कितनोंके इससे,  
 अंतरका दुख कहे पासमें जाहर किससे;

धरकर पावड रूप प्रथा यह हमें जड़ाती,

शूल्य तुल्य आजन्म चित्तको नित्य दुखाती,

मरणभोजकी रीतिमें, आग कगा देंगे जभी ।

सुखमें होगी लीन अति, यह समाज सत्त्वर तभी ॥ ३ ॥

चिर संचित यह द्रव्य धूरमें हाय ! मिलाते,

करके यह ज्यौनार कौनसा हम सुख पाते,

है दुख पहले यही गुमाया निज प्रिय जनको,

और गुमाकर उसे गुमाते हैं फिर घनको,

इस शठताकी भी अहो, सीमा क्या होगी कहीं ।

मूरखमें सरताज भी, हमसा होगा ही नहीं ॥ ४ ॥

खिला विविध पक्षान्न कौनसा पुण्य कमाते,

देनेसे ज्यौनार मृतक जन छौट न आते,

दुख अवसरपर नहीं कार्य यह शोभा पाता,

क्यों करते यह कृत्य व्यानमें लेश न आता,

जानकैश्वर कुपथके, बनते आज गुकाम है ।

इसीलिये संसारमें, हीन हमारे काम है ॥ ५ ॥

रोती विधवा कहीं, कहीं भगिनी है रोती,

बैठी जननी कहीं चित्तमें व्याकुल होती;

रोता है हा ! पिता, कहीं आता भी रोता,

रो रो कर शिशु कहीं, दुखसे भूर सोता,

पापाणोंके चित्तमें, का देता ओ नीर है ।

परिजनमें सर्वत्र ही, ऐसा दुख गम्भीर है ॥ ६ ॥

दे न उसे सन्तोष, पेट हम अपना भर कर,  
जाते हैं निज सदन, मोत्तकोंकी बातें कर;  
कहलाते हैं मनुज किन्तु, पशुसे हैं कथा कम,  
होकरके भी मनुज हुए, जब उन प्रति निर्मम,  
दुखप्रद दृश्य विलोकते, करते जो आहार हैं ।

उनसे तो उत्तम कहीं, बनके भील गंवार है ॥ ७ ॥

होती है ज्यौनार कहीं, घर गिर्वी रख कर,  
अथवा तनके सकल, भूषणोंका विक्रय कर;  
फिर भी नहिं हो द्रव्य पूर्ण तो, चक्की दलकर,  
कूट पीसकर, किसी माति पानी भी भरका,  
करना पड़ता कृत्य यह, पंचोंका 'कर' है कड़ा ।  
मृतक भोज ही विश्वमें, धर्म अहो ! सबसे बड़ा ॥ ८ ॥

लख इसके परिणाम दगोंमें पानी आता,  
हा ! हा ! पृथर हृदय सहज टुकड़े होनाता,  
रो पड़ते निर्जीव द्रव्य भी इनके दुखसे,  
कह सकते हम किस प्रकार उस दुखको मुखसे,  
हाय ! हमारे पापने, हमें बनाया दीन है ।  
कर पोषण उन्मार्गका, यह समाज अतिदीन है ॥

दो मावन् ! सदवुद्धि शीघ्र हम आप विचारें,  
उत्तम पथमें चलें कभी नहिं हिम्मत दारें,  
करें कुरुद्धि विनाश सत्यका जगमें जय हो;  
सबका जीवन सदा यहां निर्भय सुखमय हो,  
दो शक्ती हम पापकी, सत्त्वर मूळ उत्तार दें ।  
फिरसे इस संसारमें, धर्मस्तंभको गाढ़ दें ॥ १० ॥

## वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० १९८५, पृष्ठ ४५,

लेखक नीरो भट्टाचार्य

शीर्षक मरण मौज

खण्ड क्रम संख्या १३६